खण्ड-125, अंक-1
सोमवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1875
(10 अगस्त, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 125 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० अगस्त, १९५३

[विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री

गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डालाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दलालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दातीराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुतूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मुन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुंशीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेख राज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्री निवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सईद जहां मखकी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री

सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल , श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जालौन के थानेदार की गोली से श्री भूरे सिंह की मृत्यु

*१—श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या गृह मंत्री कृपा करके यह बतलायेंगे कि तारीख २४-७-५३ को उरई जिले के जालौन थाने के थानेदार श्री प्रेमशंकर द्वारा श्री भूरे सिंह की गोली से मृत्यु के संबंध में अब तक जो कार्यवाही हुई उसकी क्या रिपोर्ट है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जालौन के थानेदार श्री प्रेम शंकर द्वारा गोली से हुई श्री भूरे सिंह की मृत्यु की दुर्घटना की जांच मौके पर एक मजिस्ट्रेट ने की। जांच करने के उपरान्त वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सब इन्स्पेक्टर ने अपने बचाव (self defence) के लिये गोली चलायी। श्री भूरे सिंह ने सब इन्स्पेक्टर पर जो उनके भाई भारत सिंह को गिरफ्तार करने के लिये गये थे आक्रमण किया था।

*२—श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या गृह मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि जिस मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में श्री भूरे सिंह की, थानेदार की गोली से मृत्यु हुई, वह किस दफा का मुकदमा था और किसके खिलाफ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मरौरी गांव के श्री महावीर सिंह ने मृतक भूरे सिंह के भाई श्री भारत सिंह के खिलाफ जालौन थाने पर एक रिपोर्ट दफा ४५२/३५४ भारतीय दंड विधान की लिखाई। इस रिपोर्ट के आधार पर श्री भारत सिंह के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह सही है कि श्री भूरे सिंह, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिये पुलिस गई थी वह वहां की अदालत के सरपंच थे और वहां की कोआपरेटिव सोसाइटी के सभापति भी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---भूरे सिंह को गिरफ्तार करने नहीं गये थे, भारत सिंह को गिरफ्तार करने गये थे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मेरा मतलब भारत सिंह से है जिनको गिरफ्तार करने गये थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, थे ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि प्रेमशंकर थानेदार जब वहां गिरफ्तार करने गये थे तो उनके साथ दशरथ सिंह, सूबेदार सिंह, रामसिंह, रामबहादुर सिंह, मथुरा सिंह, इतने लोग थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शुरू से इनके साथ सिवा महावीर सिंह जिन्होंने भारत सिंह के खिलाफ कोई रिपोर्ट की थी, कोई न था लेकिन जब उनपर हमला किया और उन्होंने आवाज दी ती गांव के और लोग भी आये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि यह जो रिपोर्ट भारत सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थी वह उसी २४ तारीख को सुबह साढे आठ बजे दर्ज की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी, हां। बिलकुल सही है ।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को यह मालूम है कि दौराने मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी थानेदार प्रेमशंकर उसी थाने के इंचार्ज रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी, हां, बिलकुल सही है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि थानेदार ने गोली भूरे सिंह की छाती में मारी और उस गोली से वह मर गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी, हां। उनको गोली लगी, छाती में लगी और वह उस गोली से मरे।

श्री अध्यक्ष---मैं जरा यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला अदालत के सुपुर्द है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो जाने के बाद और मैजिस्ट्रेट के फैसले के बाद यह मामला अब अदालत के सुपुर्द नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि भूरे सिंह के भाई भारत सिंह ने जालौन थाने में जाकर ३०२ की रिपोर्ट लिखानी चाही और वह रिपोर्ट नहीं लिखी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा नहीं है। उन्होंने जो रिपोर्ट लिखित दी थी वह दर्ज हो गई थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार इस मामले में प्रेमशंकर थानेदार के खिलाफ ३०२ की कार्यवाही शुरू करायेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर कोई ऐसी गवाही मिलेगी तो जरूर उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रेमशंकर थानेदार के कहां पर चोट लगी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कई जगह पर चोट लगी थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि सिविल सर्जन और डाक्टर की रिपोर्ट चोट के संबंध में क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वहीं के जो प्रमाण हैं उनसे यह मालूम होता है कि भारतसिंह और भूरे सिंह जब कि वह अपनी छत पर खड़े हुये थे तो उन्होंने ढेले, पत्थर और खपरैल के टुकड़ों से उनको मारा ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि भारत सिंह, भूरे सिंह और प्रेमशंकर थानेदार के बीच पहले से ही शत्रुता थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं एक सवाल के जवाब में कह चुका हूं कि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार के पास औरैया बार एसोसियेशन की तरफ से कोई डेपुटेशन आया था कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्यावरी की जाय ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार इस मामले में कोई जुडिशियल इन्क्वायरी सेट अप करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती है ।

जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गाजीपुर के मंत्री श्री दल शृंगार दुबे पर सांघातिक आक्रमण

*३---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि २८ जुलाई सन् १९५३ को सादात स्टेशन, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर के पास जिला प्रजा सोशिलिस्ट पार्टी गाजीपुर के मंत्री, श्री दल शृंगार दुबे पर लगभग १५ आदमियों द्वारा सांघातिक हमले के संबंध में पुलिस की जांच की रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री दल शृंगार दुबे के ऊपर जो २८ जुलाई को हमला हुआ था उसके बारे में पुलिस की जांच अभी जारी है ।

*४---**श्री राम नारायण त्रिपाठी**---क्या यह सत्य है कि श्री दल शृंगार दुबे ने कबीरचौरा अस्पताल में अपने (Dying Declaration) में यह बतलाया है कि आक्रमणकारी गुन्डों के गिरोह में गाजीपुर जिले के सादात सादियाबाद और सादात थानों के सब-इन्स्पेक्टर पुलिस भी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*५---**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---उपरोक्त घटना के संबंध में सरकार क्या कार्य-वाही करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस घटना के संबंध में जांच एक डी० एस० पी० खुद कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय गृह मंत्री को मालूम है कि इस घटना के संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट ने कोई बयान दिया है अगर दिया है, तो वह क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह लम्बा सा बयान है और वह अखबारों में छप चुका है । अगर आपकी इजाजत हो तो उसको पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसकी खास बातें बतला दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस बयान में तमाम चीजों का जिक्र था। इस घटना के संबंध में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से गोपाल नारायण सक्सेना जी ने एक बयान निकाला था। जिसमें इस बात का जिकर किया गया था कि श्री दुबे ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ३ पुलिस आफिसरों का नाम लिया। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि चूंकि अभी इस मामले की जांच नहीं हुई है ऐसी हालत में यह कहना बहुत मुश्किल है कि किसने इस वारदात में हिस्सा लिया। जहां तक मालूम हो सका है उससे यही मालूम होता है कि उसमें तीन पुलिस आफिसर नहीं थे। उन्होंने इस बात का भी जिकर किया था कि दुबे जी का स्वास्थ्य अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या गृह मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि सादात सादिया बाद थाने के थानेदार ने उनकी सभा भंग करने के लिये ९ जनवरी को कोई पत्र भेजा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि ९ जनवरी की घटना को १० अगस्त को बतला सकूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलाधीश को इस तरह से बयान देने की क्या आवश्यकता थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बिलकुल सही बात थी जिसको इस तरह से हेर फेर के साथ पब्लिक के सामने रखा गया और जिसकी जांच नहीं हुई थी। जिला मैजिस्ट्रेट की यह ड्यूटी थी कि पब्लिक के सामने सच्चे वाक्यात को रखे।

श्री राजनारायण---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि उक्त जिलाधीश के बयान से जो बातें प्रकट होती हैं उन से इन्कवायरी कमेटी की कार्यवाही में बाधा पड़ती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री गोपाल नारायण सक्सेना के बयान से जितनी बाधा पड़ती है उस से किसी हद में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बयान से अधिक बाधा नहीं पड़ती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्रीजी को यह जानकारी है कि ग़ाजीपुर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सुपरिंटेंडेंट पुलिस को संदेशा दिया था कि काम ठीक नहीं होता, है और भ्रष्टाचार बहुत अधिक है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा सुनने में तो आया था लेकिन जांच करने पर इसकी पुष्टि नहीं हुई।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की मीटिंग में जिलाधीश भी मौजूद थे और उस में पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा था कि दुबे जी की गाली बन्द नहीं की जायगी तो वे उनके मुंह को बन्द करने को तैयार हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी मैंने इस बात का जिक्र किया कि जो आरोप दुबे जी पर किया जाता है उस की पुष्टि नहीं होती।

श्री गेंदा सिंह---क्या गाजीपुर के इस सदन के माननीय सदस्यों ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है कि दुबे जी की मारपीट की घटना पुलिस की साजिश से हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कुछ लोगों ने लिखा है।

श्री गेंदासिंह---क्या इस बातकी जानकारी माननीय मंत्रीजी को है कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट के अत्याचारों के विरुद्ध दुबे जी बहुत कुछ निन्दा कर रहे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट के अत्याचारों का पता ही नहीं कि उसने क्या अत्याचार किये और दूसरी बात के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि वहां जो सुपरिंटेंडेंट पुलिस इस वक्त हैं वह देवरिया से शिकायतन हटाये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे कोई सूचना नहीं है।

तारांकित प्रश्न

अकबरपुर तहसील जिला फैजाबाद के कुछ हिस्सों को आजमगढ़ में मिलाने पर विचार

*१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि राज्य सरकार फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील का कुछ भाग आजमगढ़ जिले में मिलाने जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से लेखपाल क्षेत्र और कौन कौन से गांव ?

*२—क्या आजमगढ़ की फूलपुर तहसील के कुछ गांव फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में शामिल किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन से कौन लेखपाल क्षेत्र और कौन कौन गांव ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या वजह है कि जब प्रश्न लगभग १ साल से विचाराधीन है तो अब तक उस सम्बन्ध में फैसला क्यों नहीं हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस सम्बन्ध में कुछ गांवों के नाम आ गये हैं जिनको एक जिले से दूसरे जिले से मिलाये जाने की बात है लेकिन यह निश्चय नहीं हुआ है कि कौन कौन से गांव किस जिले के किस जिले में मिला लिये जायं और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने पहले सवाल किये थे तब से अब तक मामला विचाराधीन है और उसको कोई अधिक दिन नहीं हुये हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिला आजमगढ़ की फूलपुर तहसील के बहुत से निवासियों ने जिनको शंका है कि वे फैजाबाद जिले में चले जायंगे, कोई आवेदन पत्र दिया है कि उनको आजमगढ़ ही में रखा जाय ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो कुछ भी है उस सब पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार की यह नीति है कि जिले और तहसीलों के रक़बे के अदल बदल से पहले वह इस हाउस की भी मंजूरी ले ले ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जिले और तहसीलों के हल्कों का अदल बदल केवल एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और उसमें किसी उसूल की बात इन्वाल्व नहीं होती और अगर उसमें कोई उसूल की बात होगी तो सरकार को ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट न होगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये पहले स्थानीय एम० एल० एज० से भी कुछ परामर्श करेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उनसे तो पूछ लिया जाता है। उनकी भी राय ली जाती है।

*३-५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[स्थगित किये गये ।])

ज़िला अलीगढ़ में इस्तीफा वापस लिये हुये पटवारियों की संख्या

*६—श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)—क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि ज़िला अलीगढ़ में कितने पटवारियों ने अपने इस्तीफे वापस लिये तथा कितनों को बस्ते वापस दिये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिला अलीगढ़ में ७४ पटवारियों ने अपने इस्तीफे वापस लिये उनमें से ४७ को बस्ते वापस दिये गये।

*७—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार का कोई ऐसा सरक्यूलर गया था कि जिन पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें हैं उन्हें बस्ते न दिये जायें ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन ७४ में से केवल ४७ को ही बस्ते क्यों वापस किए गए, सबको क्यों नहीं किये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिन पटवारियों के करेक्टर रोल अच्छे थे, कोई शिकायत नहीं थी उन्हीं को दोबारा भर्ती किया गया। बस्ता जिनका वापस नहीं लिया गया उनका चालचलन अच्छा रहा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो ४७ पटवारियों के बस्ते वापस किए गये और उनको दोबारा नियुक्त किया गया तो उनके खिलाफ जो शिकायतें या भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं उनकी जांच करा ली गयी ? यदि हां, तो किस एजेंसी द्वारा जांच कराई गयी ?

श्री चरण सिंह— जिन लोगों को बस्ते वापस दिए गये उनके करेक्टर रोल अफसरान ने देखे और उसकी बिना पर वापस किये। यह नहीं कि हर पटवारी के सिलसिले में फिर अज़सरे नौ तहकीकात की जाय और फिर बस्ता वापस किया जाय। यह नहीं किया जाता। सरसरी तौर पर करेक्टर रोल देख कर नतीजा उन्होंने निकाला।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि इन ४७ पटवारियों में कुछ ऐसे पटवारियों को भी बस्ते दिए गये हैं जिनके खिलाफ लिखित शिकायतें भ्रष्टाचार की थीं और उनको स्वीकार भी कर लिया गया था ?

श्री चरण सिंह—यदि कोई ऐसा केस है और माननीय सदस्य उसका नाम और पता बतलाएंगे तो उसकी तहकीकात करा ली जायगी।

*८-९—राजा वीरेन्द्र शाह—[प्रश्न सं० १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१०—श्री गेंदा सिंह—[स्थगित किया गया ।]

*११-१३—श्री नारायण दत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—[स्थगित किये गये ।]

*१४—श्री श्रीचन्द (ज़िला मुजफ्फरनगर)—[स्थगित किया गया ।]

वेटेरिनरी कालेज मथुरा की फीस

*१५—श्री श्रीचन्द— क्या यह सही है कि वेटेरिनेरी कालेज मथुरा की प्रत्येक कक्षा की मासिक फीस ५ रु० से १२॥ रु० कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)— वेटेरिनरी कालेज मथुरा की प्रत्येक कक्षा की मासिक फीस इस वर्ष से १२ रु० कर दी गई है।

इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति तथा कालेज को चलाने के लिये जो आवर्तिक रूप से व्यय किया जाता है और देश के अन्य वेटेरिनरी, कृषि तथा मेडिकल कालेजों में जो फीस ली जाती है उनको ध्यान में रखते हुये यह उचित समझा गया कि वेटेरिनरी कालेज मथुरा की फीस १२ रु० मासिक कर दी जाय।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कालिज में आवर्त्त मासिक व्यय क्या है?

श्री जगन प्रसाद रावत—मासिक व्यय का तो कोई हिसाब इस वक्त नहीं है, लेकिन बजट में सालाना व्यय का हिसाब रहता है। उसके लिए नोटिस की जरूरत है?

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कितना आवर्त्तक व्यय बढ़ गया है?

श्री अध्यक्ष—जो वे पहले उत्तर दे चुके हैं कि नोटिस की आवश्यकता है वह सब के लिए लागू है। आप दूसरा प्रश्न कीजिये।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बिहार, सी० पी० तथा पंजाब के वेटेरिनरी कालिजों में फीस कितनी कितनी है?

श्री जगन प्रसाद रावत—मद्रास वेटेरिनरी कालिज में दो सौ रुपया और पंजाब में एक सौ रुपया वार्षिक फीस ली जाती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इस वर्ष में कौन से खास खर्चे आ पड़े जिनके कारण फीस विद्यार्थियों की बढ़ाई गयी?

श्री जगन प्रसाद रावत—खर्चे पहले से भी ज्यादा थे और इस साल बिल्डिंग्स भी बढ़ाई गयी है, स्टाफ भी बढ़ाया गया है, और भी बहुत सी सुविधाएं शिक्षा देने के सम्बन्ध में बढ़ाई गई हैं।

*१६—राजा वीरेन्द्र शाह—[स्थगित किया गया।]

*१७–१९—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—[स्थगित किये गये।]

*२०—श्री राम नारायण त्रिपाठी—[स्थगित किया गया।]

जिला आजमगढ में ग़लत इन्दराज के कारण सत्याग्रह के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने दिया है, इसमें उनका कहना है कि आजमगढ़ में सत्याग्रह शुरू हुआ और कई गिरफ्तारियां कल वहां पर हुईं। उसके बारे में इस सदन में पहिले भी उन्होंने एक दफे प्रश्न उठाया था कि खेत जोतने वाले किसान वगैरह बेदखल किये जा रहे हैं इत्यादि, और ग़लत इन्दराज हैं। इसके बारे में इस प्रस्ताव में बहुत सी बातें इसमें दी हुई हैं। नियम काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि बार बार ऐसा प्रस्ताव पेश होता है तो वह जरा सही फार्म में होना चाहिये। चूंकि अंग्रेजी में रूल्स हैं इसलिये मैं नियम को अंग्रेजी

में ही पढ़ देता हूं, बाद में मैं उसे आवश्यक हो तो हिन्दी में भी बतला दूंगा। नियम ७० (७) में यह 'रेस्ट्रिक्शन' दिया हुआ है :—

"The motion must not deal with a matter on which a resolution could not be moved."

[प्रस्ताव का सम्बन्ध किसी ऐसे विषय से नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।]

यानी जिस नियम पर कि प्रस्ताव नहीं आ सकता उस पर मोशन यानी संकल्प नहीं हो सकता। और एक उसमें यह भी प्रतिबंध ७० (२) के नियम में है कि "not more than one matter shall be discussed on the same motion;"

[एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं हो सकेगी।] मोशन में एक ही प्रश्न आना चाहिये, अनेक प्रश्न उसमें शामिल नहीं होने चाहिए।

अब रिजोल्यूशन जिस विषय पर नहीं आ सकता उस सम्बन्ध के नियम ७९ (३) में यह दिया हुआ है कि "It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;"

[उसमें तर्क, निष्कर्ष, व्यंगात्मक विवरण, दोषारोपण तथा अपमानजनक वक्तव्य नहीं होंगे।]

इस प्रस्ताव में आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, इनफरेंसेज भी हैं। बड़ा भारी एक उक्त प्रतिबंधों के विरुद्ध यह प्रस्ताव भेजा है। दूसरा एक विषय और भी इसमें विचार के लिए माननीय सदस्य पेश करना चाहते हैं। यह डेफिनिट यानी निश्चित भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इसको इन आर्डर, वैध नहीं करार देता हूं। लेकिन जब कुछ प्रश्न महत्व के होते हैं ऐसे अवसरों पर मैं यह तरीका उचित समझता हूं कि यदि ऐसी कोई बातें हों तो गृह मंत्री जी जिनका स्पष्टीकरण जनहित में उचित हो उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि यदि मामला सब - जुडिस हो, अदालत के अधीन हो तो अपना वक्तव्य इसकी बचत करते हुए देवें जिसमें कोई ऐसा प्रश्न न आवे जिसका अदालती मामलों पर असर हो। ऐसा ही वह स्टेटमेंट दे सकते हैं। नहीं तो मैं उनको स्टेटमेंट देने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। तो अगर वह उचित समझें तो ऐसे विषय को बचाते हुए कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आपने ऐजर्नमेंट मोशन की इजाजत तो दी नहीं इसलिए मैं ऐजर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहूंगा लेकिन एक चीज ऐसी है जोकि ऐजर्नमेंट मोशन के पेश होने में उठती है। आपकी इजाजत से मैं उसकी एक पार्सिंग रेफरेंस कर देना चाहता हूं। मेरी समझ में उसमें कुछ प्रासंगिकता है। श्रीमन् को याद होगा कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने एक ऐजर्नमेंट इस विषय में पेश करना चाहा था कि कोई सज्जन मद्रास में अनशनरूपी सत्याग्रह कर रहे थे, उसको डिस-एलाउ करते हुये डिप्टी स्पीकर ने यह कहा था कि अनशन का कहीं हमारे कांस्टीटचूशन में जिक्र नहीं है और जिस चीज का हमारे कांस्टीटचूशन में जिक्र नहीं है उस चीज को डिस्कस करने के लिये सदन का समय लिया जाय यह नामुनासिब है। मैं इसका जिक्र इसलिये करता हूं कि अनशन का ही नहीं बल्कि किसी प्रकार के सत्याग्रह का जिक्र हमारे कांस्टिटचूशन में नहीं है। जिस भूमिका में जिस बैक ग्राउंड में कि मैं आपके सामने स्टेटमेंट कर रहा हूं उसको हमको याद रखना चाहिये कि इस कामरोको प्रस्ताव को पेश करते वक्त यह कहा गया था कि न्यायहित

रक्षार्थ श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने सत्याग्रह किया। हमारे सदन को यह मालूम है कि अगर किसी अदालत के सामने कोई मुकदमा जाता है तो उस मुकदमा के फैसला करने का सवाल उस अदालत के सामने होता है। जो वह अदालत फैसला करे, उसके लिये यह हो सकता है कि किसी की समझ में वह फैसला ग़लत हो और किसी की समझ में वह फैसला सही हो।अगर वह फ़ैसला ग़लत है तो उसके लिये कांस्टिट्यूशन में यह दिया हुआ है कि उससे ऊपर की अदालत में अपील हो सकती है और फिर उससे ऊपर की अदालत में अपील हो सकती है। लेकिन हमारे कांस्टिटयूशन में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि न्याय की रक्षा करने के लिये सत्याग्रह किया जाय। इसलिये यह तो १६ आने अवैध विषय है, इसलिये मेरी समझ में न केवल कामरोको प्रस्ताव के द्वारा बल्कि किसी प्रकार भी इस मामले पर विचार नहीं हो सकता है और न आगे चल कर किसी दूसरे मामले पर विचार हो सकता है। अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जमींदार या कुछ खास काश्तकार नापसन्द हैं और किसी जाति बिरादरी से चिढ़ है तो उसके लिये रास्ता खुला है कि जो अदालतें हैं उनके सामने वे जायं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

जहां तक इस मामले की बात है, उस रोज जब किसी दूसरे रूप में यह प्रश्न उठा था तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। उससे ज्यादा मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। इस सम्बन्ध में भरसक कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसका असर मुकदमे पर पड़े। और जिलों की भांति इस जिले में गवर्नमेंट का हुक्म प्रचारित हुआ कि अगर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लैंड रिकार्ड्स में ग़लत इन्दराज है तो वे दरख्वास्त दे सकते हैं। इस जिले में भी लोगों ने दरख्वास्तें दीं...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय पर मैंने इजाजत नहीं दी कि जिसके ऊपर कोई बहस खड़ी हो या पुराने विवादग्रस्त प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डाला जाय। जो कल वाकया हुआ है उसके बारे में जो मालूमात हों उनको आप बतला सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात यदि हो जिससे जो मामला अदालत चलाने वाला है उस पर असर पड़ता हो तो उसका आप कोई संकेत न करें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कल के वाक़या की बात ऐसी है कि जहां तक हमें पता चला है प्रजा सोशलस्टि पार्टी ने यह तय किया था कि ९ अगस्त से सत्याग्रह की जायगी उस चीज के खिलाफ जिसको कि वे लोग गलत इन्दराज कहते हैं। ७ तारीख को और ८ तारीख को उनकी किसी एक्जीक्यूटिव कमेटी की आजमगढ़ में मीटिंग हुई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम एक खत भेजा गया और उसमें एक गांव का जिक्र किया गया था कि फलां फलां गांव में जा करके फलां जगह पर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और यह कहा गया कि हम लोग पीसफुल तरीके से सत्याग्रह करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आप लोग पीसफुल तरीके से करना चाहते हैं लेकिन जब किसी के खेत पर आप जायेंगे तो उसमें अन्देशा इस बात का है कि ब्रीच आफ पीस हो जाय। बहरहाल उन्होंने नहीं माना और कल चार बजे अपने प्रोग्राम के मुताबिक श्री गोपाल नारायण सक्सेना कुछ लोगों के साथ, जिनमें कुछ स्त्रियां भी थीं, कुछ पुरुष भी थे एक आदमी के खेत में चले गये और उसकी खुर्पी से निराई करना शुरू कर दी। स्वाभाविक बात थी कि जब उस आदमी को मालूम हुआ तो वह आदमी उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि आप हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? उसने प्रोटेस्ट किया। हमारी इत्तिला यह है कि उससे श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने यह कहा कि हम इस काम को करेंगे, जो तुम्हारे मददगार हों उनको बुला लाओ। पता नहीं उनका मददगार से क्या मतलब था। बहरहाल वहां पुलिस का पहले से इन्तजाम था। उसने पुलिस में रिपोर्ट की कि हमारे खेत पर जबरदस्ती इस किस्म की कार्यवाही हो रही है। पुलिस वहां गई, उसने औरतों को छुआ नहीं बल्कि उसने श्री गोपाल-नारायण सक्सेना और दूसरे लोगों को अनलाफुल असेम्बली और ट्रेसपास में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके वे लोग आजमगढ़ लाये गये। इस खास मामले के इतने ही मालूमात हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आप इसके ऊपर.....

श्री अध्यक्ष–आप इसके ऊपर भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—जी नहीं, मेरा निवेदन यह है कि काम रोको प्रस्ताव जो हमने दिया था उसे आपने अनियमित करार देकर आने नहीं दिया। माननीय गृह मंत्री जी को थोड़ा सा मौका मिला उसमें उन्होंने सरकारी पक्ष और स्थानीय कर्मचारियों के पक्ष को जिस ढंग से वह उचित समझते थे इस सदन में रखा और जो गिरफ्तारियाँ हुईं उन गिरफ्तारियों का भी स्वरूप जो माननीय मंत्री जी को मालूम था उनके स्थानीय कर्मचारियों.....

श्री अध्यक्ष—आप चाहते क्या हैं ?

श्री राजनारायण—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप थोड़ा सा समय हमें दें जिससे मैं भी जो वहां की जागृतियां इस संबंध में हुई हैं, आपके द्वारा इस सदन को उनसे अवगत करा सकूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। बात स्पष्ट यह है कि गवर्नमेंट का यह कर्त्तव्य है कि यदि कोई मामला महत्व का हो तो वह उनकी जिम्मेदारी है कि सदन को सूचना उस विषय में दे इसलिये मैंने इजाजत इस बारे में गृह मंत्री जी को दी। माननीय सदस्यों के अधिकार भी नियमों के अनुसार मौजूद हैं और उसके तरीके भी इस सदन के उनको मालूम हैं। या तो प्रश्न द्वारा वह पूछ सकते हैं या कामरोको प्रस्ताव द्वारा अगर वह वैध हो, नियमित हो, उसके लिये कम से कम १२ वां हिस्सा यानी ३६ मेम्बर तैयार हों, अनुमति दें तो वह आ सकता है। मैंने उसे अवैध होने के कारण अनुमति उसके लिये दी नहीं तो वह तो खत्म हो गया। उन्होंने कल के जो वाकयात हुये उन पर प्रकाश डाला। उस पर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार है। अगर बहस करनी है तो गवर्नमेंट से तय करके इस विषय को सदन के सामने विवाद के लिये लाने का एक तीसरा तरीका भी है। यह सब तरीके आपको स्पष्ट विदित हैं। इन तरीकों में जो आप मुझ से अनुमति देने को कह रहे हैं वह बात मेरे अधिकार में नहीं है। जबकि मैंने प्रस्ताव को अवैध करार दे दिया तो उसके ऊपर अब बहस नहीं हो सकती, इसके लिये लाचारी है।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब इस विषय पर बहस नहीं हो सकती है।

श्री राजनारायण—इस विषय पर नहीं कहूंगा। मैं इस कामरोको प्रस्ताव पर केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी के भाषण से जो बातें सदन में प्रकट हुईं मेरी समझ में ऐसा आया कि आपने इजाजत नहीं दी और उसके बावजूद भी कामरोको प्रस्ताव की चर्चा उन्होंने कर दी और उसके लिये मैं आपसे निवेदन करता हूं.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जिस वक्त उन्होंने ऐसी बात शुरू की, मैंने उन्हें रोक दिया था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसके लिये हम पांच मिनट सदन से बाहर जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–जो उचित आप समझें वह करें।

(इसके पश्चात् प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के समस्त सदस्य ५ मिनट के लिये सदन के बाहर चले गये।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं। इस संबंध में मुझे कोई तकरीर नहीं करनी है। जो तब्दीलियां हुई हैं उनका विवरण रिपोर्ट में दिया हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं उसे पेश करता हूं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६८-८५पर)

*उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३ पर विवाद जारी रहेगा। श्री नारायण दत्त तिवारी बोल रहे थे वह नहीं है। अब और कोई नहीं है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कुछ और नहीं कहना है। कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूंकि उपर्युक्त विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--अभी तो मुझे वोट लेना है कि उस पर विचार किया जाय या न किया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कोई बात इसके खिलाफ नहीं कही गई है, इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २-४

२--विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में शब्द "सुनवाई" और इसके व्याकरण संबंधी परिवर्तन में, कोड आफ सिविल प्रोसीजोर, १९०८ के आर्डर ४१, रूल ११ के अधीन सुनवाई (hearing) अथवा यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २१६ की उपधारा (१), अथवा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा, २६८, अथवा किसी अपील अभिदेश (reference) या पुनरीक्षण (revision) को गृहीत (admit) करने या सरसरी तौर पर खारिज करने (summary rejection) से सम्बद्ध किसी अन्य विधि में सदृश उपबंधों के अधीन कोई कार्यवाही (proceedig) सम्मिलित नहीं है।

अपीलों, अभिदेशों तथा पुनरीक्षणों (apeals, references and revision)

३--यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८ तथा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ अथवा बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा अपील, अभिदेश (reference) अथवा पुनरीक्षण (revision) सुनवाई से सम्बद्ध किसी दूसरे की नियम की अथवा किसी बातका अर्थ इसप्रकार न लगाया जायगा जिससे

---

*३ अगस्त १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

सुनवाई की प्रक्रिया। यह आवश्यक हो कि वे सभी सदस्य (members), जो किसी अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के निर्णय में भाग लें या उससे सहमति (concur) या तजवीज (judgement) दें, वास्तव में एक साथ बैठकर अथवा अलग बैठकर पक्षों को अथवा उनके वकीलों को सुनें और उस दशा को छोड़कर जिसमें इसके विपरीत स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो यह सदा ही विधि का पर्याप्त पालन समझा जायगा, यदि कम से कम एक ही ऐसे सदस्य ने इस प्रकार उनकी सुनवाई कर ली हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त प्रत्येक सदस्य तजवीज देने के अथवा उससे सहमति देने के पूर्व, यदि अपील, अभिदेश (reference) अथवा पुनरीक्षण (revision) में अन्तर्गस्त (involved) किसी बात (point) के विषय में अपने को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे कि वह पक्षों या उनके वकीलों की ओर सुनवाई करे तो वह केवल उस बात के संबंध में अथवा ऐसी अपील, अभिदेश (reference) पुनरीक्षण (revision) में अन्तर्ग्रस्त सामान्यतः सभी बातों के संबंध में सुनवाई कर सकता है।

वैधीकरण। ४—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ अथवा अन्य किसी विधि में वर्णित किसी अधिकार के अभिप्राय से पूर्वोक्त प्रकार से दी हुई प्रत्येक तजवीज जो यदि अपील, अभिदेश (reference) अथवा पुनरीक्षण (revision) की सुनवाई के, अथवा तजवीज देने अथवा उससे सहमति होने के दिनांक पर धारा ३ प्रचलित हो गई होती, तो वैध होती, और ऐसी तजवीज के अनुसार किया गया कोई कार्य यदि उक्त आरम्भ से पूर्व तजवीज अथवा कार्य खारिज न कर दिया गया हो तो विधितः सुनी हुई, दी हुई सहमत हुई, अथवा किया हुआ जैसी भी दशा हो, समझी जायगी तथा समझा जायगा। प्रत्येक ऐसी तजवीज के संबंध में यह भी समझा जायगा कि उस सदस्य से, जिसने पक्षों या उनके वकीलों की सुनवाई की हो, भिन्न प्रत्येक सदस्य ने जिसने तजवीज दी हो या उससे सहमति दी हो, धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खंड में की गई व्यवस्था के अनुसार पक्षों अथवा उनके वकीलों की सुनवाई करना आवश्यक नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३

कुछ मामलों के निर्णयों में बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकार प्रख्यापित करने तथा कुछ निर्णयों के वैधीकरण की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुछ मामलों के निर्णयों में बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकार प्रख्यापित किये जायं और कुछ निर्णयों की, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे वैधीकरण की व्यवस्था की जाय।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है विचार किया जाय।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—मैं जनाब की इजाजत से यह मूव करता हूं कि इस बिल को फिर सेलेक्ट कमेटी को वापस किया जाय। जनाबवाला, इसके वजूह यह हैं कि अगर आप बनजरेगौर मुलाहिजा फरमावें तो देखेंगे कि जहां तक गन्ने की डेवलपमेंट का सवाल है उसे बिलकुल नजरअन्दाज कर दिया गया है। जनाब देखेंगे कि काफी लिटरेचर इसके ऊपर मौजूद है कि जो जरूरियात गन्ने की हैं और किस तरीके से उनको पूरा किया जा सकता है। सन् १९२० की इंडियन शुगर कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है और उसमें जो सब से बड़ी कमी इस इंडस्ट्री के मुताल्लिक बतलाई गई है वह यह है कि यहां की गन्ने की पैदावार निस्बतन बहुत कम है और यह कहा गया था कि कम से कम १०० करोड़ रु० का नुकसान पहुंच रहा है और उस वक्त शुगर की कीमत १२ रु० मन थी तो शुगर की कीमत दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है तो करीब २५० करोड़ रुपये का लास पहुंच रहा होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा कोई फीगर्स ऐसे नहीं हैं जिनसे यह कहा जा सके कि हकीकतन कितना लास है। मुमकिन है कि यह लास ३०० करोड़ रुपये का भी हो। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि वे जिम्मेदारियां जो इस सदन पर आज आयद आती है आया वे पूरी होती हैं या नहीं और जो इकनामिक लास मुल्क को हो रहा है उसमें कोई रुकावट करने की ओर हम जा रहे हैं या नहीं। आज इस बिल को सिर्फ इस नजरिये से देखा गया है और सेलेक्ट कमेटी में भी गालिबन इसी नजरिये से देखा गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव पहलू इसका क्या है। डेवलपमेंट के पहलू को बिलकुल टच तक नहीं किया गया है।

जनाब देखेंगे कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो इंडियन शुगर कमेटी की रिपोर्ट है उसका कहीं जिक्र तक नहीं आया, डेवलपमेंट को क़तअन टच नहीं किया गया। जनाब इसके दो आस्पेक्ट्स हैं, एक तो वह है कि जिसका ताल्लुक रिसर्च से है और दूसरा यह है कि जिसका ताल्लुक प्रोपेगंडा से है या उस रिसर्च को पापुलर बनाने से है कि किस तरीके से हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब जब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुगर फैक्टरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया है जहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक आगे नत्थी "क"- में छपा है।

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

साइड का ताल्लुक है उससे कोई मतलब आज स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है लेकिन जहां तक केन की पैदावार का ताल्लुक है, ऐग्रीकल्चरल आपरेशन्स का ताल्लुक है उसकी पूरी जिम्मेदारी इस्टेट गवर्नमेंट पर आयद हो गई है और शायद उससे ज्यादा है जितनी पहले थी जिस वक्त कि वह ऐक्ट पास नहीं हुआ था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन् ५० या ५१ में पास किया। तो जहां तक उस रेकमेंडेशन का ताल्लुक है वह इंडियन शुगर कमेटी की रिपोर्ट में मौजूद है। उसके बाद सन् २७ में एक रायल कमीशन आफ़ ऐग्रीकल्चर मुकर्रर हुआ जिसकी रिपोर्ट सन् २८ में आयी। उसके रेकमेंडेशंस मेरे पास मौजूद हैं लेकिन बदकिस्मती से मैं लाया नहीं क्योंकि मैंने समझा कि शायद लायब्रेरी में मौजूद हों लेकिन यहां मिले नहीं, मालूम हुआ कि वह किताब कहीं खो गई है। बहरहाल, जो एविडेंस यू० पी० में रायल कमीशन आफ़ ऐग्रीकल्चर ने लिया उसको समझने की मैंने कोशिश की क्योंकि उसी की लाइट में कमीशन ने अपने रेकमेंडेशंस किये होंगे। तो उसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों ने जिनकी जगह इस स्टेट में किसी दूसरे ने नहीं ली अपनी अपनी ओपीनियन्स दी थीं। उनमें एक डाक्टर क्लार्क थे जो कि बहुत दिनों तक आपके डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर रहे, उनके अलावा मिस्टर हिगिनबाटम थे जो कि एक मशहूर मिशनरी थे, औरमिस्टर नोएल डियर थे जो कि वर्ल्ड अथारिटी शुगर पर समझे जाते हैं। इस तरीके से बहुत से बड़े बड़े लोगों की ओपीनियन उसमें मौजूद है और उन्होंने डेफिनिट रेकमेंडेशंस गवर्नमेंट के सामने पेश कीं कि इन लाइन्स पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिये। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब तक अंग्रेज रहे उस वक्त तो उस पर कोई तवज्जह नहीं दी गई और आज जब कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट है तब भी मैं समझता हूं कि उस प्वाइन्ट को बिलकुल इगनोर किया गया है। उसके मुताल्लिक कोई दिलचस्पी ही नहीं ली गई। जनाब अगर उसको गौर से देखा जाय तो उसमें दो मुख्तलिफ चीजें हैं जिन पर हमको अमल करने की जरूरत है। एक तो वह है कि जो स्टेट को सेंट्रलाइज्ड तरीके पर करना चाहिये, मसलन् रिसर्च स्टेशन्स। जावा की इंडस्ट्री को अगर जनाब गौर करेंगे तो वहां कहा जाता है है कि "शुगर इज मेड इन फ़ील्ड्स ऐंड नाट इन फैक्टरीज" हमारी जब तक यह इंडिजिनस वेराइटीज थीं तब तक पैदावार फी एकड़ साढे तीन सौ तक थी। उसके बाद ५०० के करीब हो गई जब कि जावा में ११०० से भी ज्यादा है। आज २७,५०,००० एकड़ में गन्ना बोया जाता है और जब कि ऐग्रीकल्चरल कमीशन ने जो रेकमेंडेशंस किये हैं उसमें उन्होंने डेफ़िनिटली, जैसा कि मैं अर्ज करूंगा, मिस्टर नोएल डियर ने कहा है कि अगर वाकई वैसा किया जाय तो सिर्फ १३ लाख एकड़ जमीन में उतना गन्ना पैदा कर सकते हैं जितना कि २७ लाख एकड़ जमीन में हो रहा है। तो ऐसा करने से १४ लाख एकड़ जमीन दूसरी क्राप्स के पैदा करने में इस्तेमाल की जा सकती है और जो सेल्फ सफ़िशियेंसी का सवाल हमारे सामने है वह भी एक तरह से आटोमेटिकली पूरा हो जाता है। तो इसको इस जाविये निगाह से भी देखने की जरूरत है। यह एक ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर खास तौर से तवज्जह न दी जाय या जिसका खास तौर पर इन्तजाम न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपने जो बहुत लम्बी बहस कर दी। आपका प्रस्ताव तो यह है कि फिर से सेलेक्ट कमेटी के सामने रिकंसीडरेशन के लिये यह बिल भेजा जाय।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाब वाला मैं इसके मुताल्लिक अपने रीजन्स दूंगा। मैं समझता हूं कि जब तक हाउस इस चीज को मद्देनजर न रखेगा तब तक इसको अच्छी तरह से न समझ सकेगा।

श्री अध्यक्ष—जरा मुख्तसिर में भाषण दीजिये।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं बहुत मुख्तसिर में अर्ज कर रहा था कि डेवलपमेंट के दो आसपेक्ट्स हैं। एक तो रिसर्च स्टेशन्स हों और दूसरे हिल नर्सरीज हों। जावा में हिल

नर्सरीज को इस तरह से मेंनटेन किया जाता है कि हर तीसरी साल खेतों में नया बीज पहुंचा दिया जाता है। एक बीघा में जो बीज होता है वह २० बीघा में ट्रांसप्लान्ट कर दिया जा सकता है। वहां पर इस प्रकार का कानून है कि जहां ४००एकड़ प्लान्टेशन है वहां एक एकड़ गन्ना हिल नर्सरी से लाना लाजिमी है। और यह इसलिये किया जाता है कि उसकी किस्म डिटेरिओरेट न हो क्योंकि अगर वह बदली न जायगी तो जरूर ही खराब होती चली जायगी। इन रिपोर्ट्स में कोयम्बटूर २१३ का जिक्र बार बार किया जाता है लेकिन आज उसका यहां नाम भी नहीं है। सबब उसका यह है कि उसको प्रीजर्व नहीं किया गया और बदकिस्मती यह है कि उसको दुबारा क्रास भी नहीं किया जा सकता क्योंकि डेटाज भी अवेलेबिल नहीं है। इसलिये हिल व प्लेन्स में नर्सरीज होना बहुत जरूरी है। इस तरह की चीज शुगर कमीशन की रिकमेंडेशन्स में भी मौजूद है। उन्होंने सिफारिश की है कि गोरखपुर, मेरठ और शाजापुर में रिसर्च स्टेशन की जरूरत है। शाजापुर में जो रिसर्च स्टेशन मौजूद है उसको बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरी चीज, आप तो कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड्स को आपने ऐक्सपेरीमेंट के अख्तियारात नहीं दे रखे हैं, न कोई रूल्स उसके लिये हैं न यही मालूम है कि हमारे यहां कितना डेवलपमेंट हो सकता है। जरूरत इस बात की कि विलेजेज में फील्ड्स पर जाकर एक्सपेरीमेंट्स हों, वहां पर लोगों को वेराइटीज बताई जायं। अगर उनकी जगह पर यह सब न किया जायगा तो रिसर्च के मानी ही खत्म हो जायेंगे और किसी तरह से भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिये मैं ख्याल करता हूं कि इस बिल में कई डिफेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट साइड को तो इसमें टच ही नहीं किया गया है, सेंट्रल बोर्ड को कोई पावर ही नहीं है। शुगर केन का सही तरीके पर डेवलपमेंट किस तरह से होगा इस बात को बिलकुल बताया ही नहीं गया। तीसरे इस बिल को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि डेमोक्रेसी तो इस स्टेट में एक्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इस बिल का पूरा का पूरा ट्रेंड आटोक्रेसी की तरफ मालूम होता है और उसमें शुगर कमिश्नर को आटोक्रेट बना दिया गया है। इसके मुकाबिले में अगर आप १९३८ का ऐक्ट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जहां जहां रिजेक्शन का सवाल आया है या ऐसी ही और चीज का भी सवाल आया है वहां यह लिखा हुआ है कि "विद दी एडवाइस आफ ऐडवाइजरी कमेटी" लेकिन जब हम आज २० बरस आगे बढ़ चुके हैं, जब हम अपने को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स वाला कहते हैं ऐसी हालत में एक शख्स को आटोक्रेटिक पावर्स दे देना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात नामिनेशन की है उनके लिये भी बहुत ही ज्यादा कंजरवेटिव ऐटीट्यूड अपनाया गया है। कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन्स हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन का कोई हक नहीं है।

यहां पर केन कमिश्नर को नामिनेशन करने के पूरे अधिकार दे दिये गये हैं। इस सदन के एम० एल० एज० भी हैं जिनका रेप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर है और मैं समझता था कि उनका वहां होना जरूरी है लेकिन एम० एल० एज० को भी उस कमेटी में नहीं लिया गया है। डेवलपमेंट के काम के लिये गवर्नमेंट द्वारा उनको कमेटी में लेना जरूरी था लेकिन वह चीज भी बिलकुल छोड़ दी गयी है। यह चीज ज्यादा जरूरी और लाजिमी है कि जो केन डेवलपमेंट बोर्ड जोन बनाये जायं उनमें एक एम० एल० ए० या जितने भी एम० एल० एज० उस एरिया के हों उनको लाजिमी रेप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये इसलिये कि उनका एक रेप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है और वे गवर्नमेंट से, मिनिस्टर इन चार्ज से इस संबंध में सब कुछ कह सकते हैं और गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन के लिये कोशिश कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उनकी मुताबिकत से काम करे। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि पूरा स्कोप जो बिल का है वह लिमिटेड है और जो तरीका सोचने का है वह गलत तौर पर अख्तियार किया गया है। आप मुलाहिजा फरमायें, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि डेमोक्रेसी का जो तरीका है उसे आप छोड़ते जा रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि डेमोक्रेसी के रहते हुये नामिनेशन न होना चाहिये बल्कि एलेक्शन होना चाहिये। जो जिम्मेदारी एक डेवलपमेंट स्टेट की आपके ऊपर आयद हुई है उसको बिलकुल टच नहीं किया गया है, बदकिस्मती से इस बिल में उसको बिलकुल नजरअन्दाज कर दिया गया है। बिल का पूरा स्कोप ही गलत तरीके पर अख्तियार किया गया है और गलत तरीके से सोचकर इस बिलको सामने

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

रखा गया है वह बनाया गया है। इन अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रिकमेंड किया जाय और वह इस पर जो आबजर्वेशंस किये गये हैं उनको सामने रखते हुये गौर करें और उसमें मजीद एडिशन न करें।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव भवन के सामने रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में फिर भेजाजाय, उसके खिलाफ मैं कुछ निवेदन करना चहता हूं। उसके विरोध में मैं इसलिये कुछ निवेदन नहीं कर रहा हूं कि विकास के मामले में जो कुछ माननीय सदस्य ने बतलाया उससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं परन्तु प्रस्ताव का विरोध मैं इसलिये कर रहा हूं कि मेरी समझ में इस विधेयक का प्रवर समिति में फिर वापस जाना समय नष्ट करना होगा। क्योंकि उसी प्रवर समिति के एक सदस्य की हैसियत से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि इस पर वहां कुछ विचार करूं और जहां तक गन्ने के विकास का प्रश्न है जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार उस दृष्टिकोण से अपने सूबे में काम करे, इस विधेयक में उन प्रत्येक दृष्टिकोणों की पूर्ति होती नहीं। उसके लिये तो माननीय सदस्य को चाहिये कि वे सकार के ऊपर जोर दें कि गन्ना डेवलपमेंट बिल या गन्ना विकास विधेयक कोई दूसरा बनाया जाय और वह भवन के सामने लाया जाय तो वह चीज ज्यादा कामयाब हो सकती है।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इसमें परिषद् जो बनाया गया है उसके कार्यों का जो उल्लेख है वह इस तरह से है :—

"(१) प्रभाग (Zone) के लिये विकास कार्यक्रम पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना,

(२) विकास योजना के सभी आवश्यक अंगों, जैसे गन्ने के विभेद, गन्ने के बीज, बुआई का कार्यक्रम उर्वरक और खाद के निष्पादन (Execution) के उपाय और साधन का पता (लगाना) निकालना"

तो श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक में इस परिषद् को अधिकार दे रखा है विकास के काम करने के लिये और उसमें विकास की ओर बातें सोचने के लिये वह तो जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, काफी है। अब सवाल जो हमारे माननीय सदस्य का है वह यह है कि सरकार गन्ने के विकास पर काफी ध्यान नहीं दे रही है और उन विशेषज्ञों की जो कि पहले यहां पर आ चुके हैं और जो उन्होंने अपनी राय दी है उनकी राय के तो ऊपर सरकार नहीं चल रही है उसके लिये तो समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य सरकार के ऊपर यह जोर दें कि उनकी हर सिफारिशों पर सोच विचार कर एक नया विधेयक अगर आवश्यक हो तो लाया जाय जिसमें कि केवल गन्ने के विकास की तरफ ही ध्यान दिया गया हो।

जहां तक श्रीमन्, इस विधेयक का अनडेमोक्रेटिक होना माननीय सदस्य ने बतलाया, माननीय सदस्य ने.....

श्री अध्यक्ष—बिल के ऊपर बहस नहीं हो रही है। जो उनका संशोधन है उस पर ही अभी विचार हो रहा है और आप सिर्फ उसका ही विरोध कर सकते हैं। लिहाजा जितनी बातें आवश्यक हैं उतनी बातें कहें। विधेयक पर अभी न आयें।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमन्, मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिये फिर मौका मिलेगा?

श्री अध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी के बाद जो कार्यवाही होती है वही होगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—इन शब्दों के द्वारा श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि यह विधेयक फिर प्रवर समिति के पास भेजा जाय।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ख्वाजा साहब ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया है उसके जरिये से उनकी ख्वाहिश यह है कि यह बिल दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय क्योंकि जिस शक्ल में यह सिलेक्ट कमेटी से आया है वह शक्ल हमारे ख्वाजा साहब को पसन्द नहीं। ख्वाजा साहब की शिकायत मुख्य यह मालूम होती है कि इस विधेयक में जैसा कि वह प्रवर समिति से संशोधित होकर आया है, डेवलपमेंट के सम्बन्ध में कोई प्राविजन रक्खा नहीं गया है। इसके अलावा और कई शिकायतें उनकी हैं। मैं एक के बाद दीगर के मुताल्लिक उनके इत्मीनान के लिये इस सदन में श्रीमन् की आज्ञा से अर्ज करना चाहता हूं।

मैं यह कैसे जुर्रत करूं कहने के लिये कि हमारे लायक दोस्त ने इस विधेयक को जो कि सिलेक्ट कमेटी से आया है उसको गौर से नहीं पढ़ा। अगर धारा ६ की तरफ उन्होंने तवज्जह दी होती तो उनको मालूम हो जाता कि उसमें डेवलपमेंट का सारा इन्तजाम और बन्दोबस्त किया गया है। हां, इस धारा में हर एक का विवरण नहीं लिखा गया है, लेकिन डेवलपमेंट करने का पूरा अधिकार दिया गया है। जब रूल बनेंगे उस वक्त पूरी पिक्चर हमारे मित्र को दिखलाई देगी। हां इस बिल में हव पूरी पिक्चर दिखलाने से मैं जरूर कासिर रहा और सिलेक्ट कमेटी भी कासिर रही। लेकिन जहां तक प्रयोजन का सम्बन्ध है वह इस बिल से पूरा हो जाता है और हमको पूरे अख्तियारात केन के डेवलपमेंट करने के लिये हो जाते हैं। हमारे मित्र का यह कहना कि बहुत बड़े-बड़े कमीशन कायम हुए और उसमें बड़े-बड़े माहरीन थे, उनकी राय की उपेक्षा की गई। मैं बहुत ही अदब के साथ अपने मित्र से श्रीमन् के जरिये से अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार ने, सिलेक्ट कमेटी और इस सदन के सदस्यों ने कभी उनकी राय की उपेक्षा करने की इच्छा नहीं की बल्कि उनसे कुछ सबक ही लिया और उसको इस विधेयक में प्राविजन करने की कोशिश की गई।

हमारे मित्र ने कहा कि नर्सरी के बारे में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बजट के समय पर एक किताब निकली थी और उसका पूरे तौर से उन्होंने अध्ययन किया होता तो उनको केन के डेवलपमेंट के बारे में में काफी जानकारी हो गई होती। लेकिन अगर कोई इत्तिलात हासिल न करे तो फिर उसको अख्तियार है कि जो वह चाहे कहे, जो राय चाहे कायम कर ले हमारे यहां ७० केन डेवलपमेंट कौंसिल्स हैं और हर कौंसिल के पास ५० से लेकर १०० तक नर्सरीज कायम हैं। उनके जरिये से सीड का वितरण डेवलपमेंट जोन्स में होता। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जावा में तो यह हो रहा है लेकिन यू० पी० में कुछ नहीं होता। यह सब यू० पी० में भी होता है लेकिन अगर किसी की जानकारी नहीं है तो मजबूरी है।

मैं आइंदा इस बात की भी चेष्टा करूंगा कि सबको जानकारी ठीक वक्त से कराऊं। हां, मुमकिन है कि इस बात में मैं कासिर रहा हूं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका ठीक से प्रोपेगैंडा न कर रहा हूं। लिहाजा मैं अपने मित्र को दोष नहीं देता बल्कि अपने को ही दोष देता हूं कि ऐसा करने से मैं कासिर रहा। लेकिन हमारे मित्र ने जो जो बातें बतलाईं उनके लिये अगर विधेयक को ग़ौर से पढ़ा जाय तो वह सब कवर हो जाती हैं।

एक बात उन्होंने यह बतलाई कि रिसर्च के बारे में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि उसके बारे में हमारा एक डिपार्टमेंट है और इसने काफी प्रगति डेवलपमेंट और रिसर्च के मामले में की है। हां, यह बहुत मुमकिन है कि जितना

[श्री हुकुम सिंह]

हमारे मित्र चाहते हों उस हद तक न पहुंचा हो लेकिन यह कहना कि सरकार ने उस ओर प्रयत्न नहीं किया, ज्यादती की बात है। हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने मौजूदा फाइनेंशल स्ट्रिंजेंसीज जितनी आसानी के साथ कर सकता है उसमें खर्च करने की चेष्टा भी की है और नये नये अनुसंधान करने की कोशिश भी की है और करता है। कौन कौन सी नयी नयी स्टेबिल वेराइटीज कौन कौन सी हमारे सूबे के लिये उपयोगी होंगी। किसमें ईल्ड (उपज) ज्यादा होगी, ये सारे प्रयत्न करते जा रहे हैं।

इर्रीगेशन के बारे में भी जो डेवलपमेंट जोन हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि डेवलपमेंट की हमने उपेक्षा की है और इस बिल में भी पूरी पूरी उपेक्षा की गई है। उन सबका प्रबन्ध इसमें किया गया है और सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान ने बड़ी सावधानी के साथ इन सब बातों पर विचार करके जो शक्ल इस विधेयक को दी है उसके बाद अब कोई वजह नहीं मालूम होती कि यह दोबारा सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। जो बातें कही गईं उन सबका प्रबन्ध इसमें है इसलिये कोई कारण नहीं है कि इस बिल को दोबारा सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। मुझे अफसोस है कि मुझे इस बात को अपोज करना पड़ता है लेकिन वह पेनफुल ड्यूटी है जिसे डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैं इस प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ को जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है प्रवर समिति को पुनर्निर्दिष्ट किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री हुकुम सिंह--मैं यह वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य जो सेलेक्ट कमेटी का मेम्बर रहा हो वह भी वोट दे सकता है?

श्री अध्यक्ष--किस नियम के अन्तर्गत आप यह प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह--जनरल डीसेन्सी की यह डिमांड है कि सेलेक्ट कमेटी का जो मेम्बर रहा हो और उसने अपने विचार पूरी तरह से प्रकट किये हों तो उसके लिये यह उचित नहीं मालूम होता है कि वह भी वोट दे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनको यह निर्णय करने का अपना उनका अधिकार है कि वह उसका विरोध करें या न करें और इसमें कोई उनको लज्जा का अनुभव हो या न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१७

विपक्ष में--१५४)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो संशोधन आये हैं वह अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आये हैं और इसलिये वह अभी छप नहीं पाये हैं और उनका सिलसिला भी अभी नहीं जमाया गया है कि वह किस खंड पर है। इसलिये खंडों पर विचार कल किया जायगा जब वे छपकर आ जावेंगे। जो लोग अभी संशोधन देना चाहें वह ४ बजे तक दे सकते हैं।

*उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मेरी एक वैधानिक आपत्ति अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार है। मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान की धारा १०२ (१) की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि---

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament (a) if he holds any office of Profit under the Government of India or the Government of any other State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder.

[कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा (क) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुये है।]

इसके मुताबिक़ सिर्फ पार्लियामेंट को अख्तियार है कि वह इस तरह की डिस-क्वालिफिकेशन को दूर कर सके और इसलिये मेरा कहना है कि इस बिल पर विचार नहीं हो सकता।

श्री सैयद अली जहीर---मेरे पास कांस्टीटचूशन इस वक्त नहीं है लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है गवर्नमेंट आफ इंडिया ही ने हमें लिखा है और वह ख़त यहां मौजूद है जिसकी वजह से यह जरूरत हुई कि इस बिल को यहां लाया जाय। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का २७ जून, १९५३ का ख़त है।

श्री अध्यक्ष---क्या आपको संविधान की कापी चाहिये?

मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि आपने जो धारा १०२ को पढ़ा वह तो पार्लियामेंट के सदस्यों के बारे में है और धारा १९१ प्रदेशीय विधान सभा के सदस्यों को लागू है। १९१ पढ़िये वह यह है कि---

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assambly or Legislative Conuncil of a State.

(a) If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा (क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसे धारण

*३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अध्यक्ष]

करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुये है।]

तो यहां के लिये तो यह है। आपने शायद पार्लियामेंट का पढ़ दिया।

श्री सैयद अली जहीर--जो खत गवर्नमेंट आफ इंडिया का आया है उसमें लिखा हुआ है कि-- I am directed.....

श्री अध्यक्ष--उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह आपत्ति वैध नहीं है और माननीय न्याय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री सैयद अली जहीर--तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह महसूस किया कि जो यह दोनों जमाअतें हैं जिसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट बने हुए हैं, यानी टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट १९४८, और नैशनल कैडिट कोर, १९४८ इन दोनों के मातहत अगर कोई मेम्बर असेम्बली का या लेजिस्लेटिव कौंसिल का इसमें शरीक हो जाय तो उसको कुछ थोड़ा सा मुआविजा मिल जायगा जैसा कि इन ऐक्टों में मुकर्रर है, तो इस वजह से वह डिस्क्वालिफाई हो जायगा और वह या तो इनमें मेम्बर नहीं रह सकता या असेम्बली या कौन्सिल का मेम्बर नहीं रह सकता। इस दिक्कत को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने महसूस किया और उन्होंने हमको खत लिखा कि इसमें मुनासिब यह है कि बड़े बड़े स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वह इस किस्म के कानून पास कर दें कि अगर यहां का मेम्बर इन दोनों जमाअतों में से किसी जमाअत में शरीक होना चाहें और शरीक होकर उसका जो मुआविजा मुकर्रर है वह लेना चाहें तो ले। उसको वजह से कोई डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकिल १९१ में नहीं होगी चूंकि उन्हीं की मंशा की वजह से हमने यह ऐक्ट इस हाउस के सामने पेश किया है। इसकी गरज सिर्फ इतनी है कि जिसका हवाला दिया हुआ है कि आर्टिकिल १९१ के मुताबिक जो डिस्क्वालिफिकेशन मेम्बरों के लिए है कि अगर वह कोई मुआविजा गवर्नमेंट से या कोई सैलरी या इस किस्म की चीज, कोई फायदा हासिल करे तो वह मेम्बर असेम्बली के नहीं रह सकते तो वह उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जो टेरिटोरियल आर्मी या नेशनल केडेट कोर में होंगे। यही इसकी गरज है। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इसको मंजूर किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय न्याय मंत्री ने पेश किया है उसकी जो खास धारा है वह यह है--

"एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये कोई भी व्यक्ति इस कारण से अनर्ह न होगा (shall not be disqualified) कि वह टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, १९४८ के अधीन टेरिटोरियल आर्मी में अथवा नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, १९४८ के अधीन नैशनल केडेट कोर में भर्ती (enrolled) है।"

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा या पार्लियामेंट के मेम्बरों की डिस्क्वालिफिकेशन या कौन सी जगहों पर रह सकते हैं, आफिस आफ प्राफिट का प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में हमारी विधान सभा में सन् १९४० में जो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिस्क्वालिफिकेशन ऐक्ट बना था उसकी धारा २ इस प्रकार है :--

"No person shall, by reason only of his holding an office of profit under the Government in the Army in India Reserve of Officers, the in the Indian territorial force, or in other branches of Naval, Military or Air Force, be disqualified for being chosen as, or for being a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or Legislative Council".

अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐक्ट १९४० में पास हुआ उस समय हमारे देश में विदेशी शासक थे। उनके लिये तो यह जरूरी था कि वह फ़ौज में भी रहें और गवर्नमेंट में नुमाइन्दगी भी करें। आम तौर पर यह प्वाइंट तो निर्विवाद है कि जहां तक आर्मी का सवाल है, पुलिस फोर्स का सवाल है उसमें जो भाग लेता हो उसको विधान सभा और पार्लियामेंट में मेम्बर नहीं होना चाहिये, लेकिन यह जो विधेयक है उसमें नैशनल कैडेट कोर और टेरिटोरियल आर्मी के लिए माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन न हो। उसूलन तो यह बात मुनासिब नहीं है। क्योंकि यह आफिस आफ प्राफिट का प्रश्न एक अजीब सा प्रश्न है जो हमेशा से लोगों के दिमाग़ को परेशान करता रहा है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आफिस आफ प्राफिट और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में वहां के अटरनी जनरल ने, एक सेलेक्ट कमेटी में जो सन् १७०७ में हुई थी सर फ्रैंक सास्काइस जो अटरनी जनरल थे उन्होंने मेम्बरों के सवाल का जवाब दिया। थोड़ा सा उदाहरण उसका मैं देना चाहता हूं इसलिये कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है—

'**Mr. Clement Davies**—In considering office or place of profit under the Crown quite naturally, if you are interpreting, you look at the words generally without any consideration whatsoever as to who may occupy it ?"

"Yes , in the first place."

Mr. Davies—As to whether he will be in pocket, out of pocket, and whether he loses money or makes money ?"

"Yes."

Mr. Davies—You have to decide that, quite apart from the individual ?"

"Yes."

Mr. Davies—"Do you draw any distinction at all between place and office? Do you think is there any distinction you could draw ?"

"I do not know what distinction can be drawn between those two".

Mr. Davies—"Nor. do I. Do you think it may possibly be said that place is a wider word than office ?"

"I would not like to say. It is very difficult to attribute different meanings to each of those two words." '

और अध्यक्ष महोदय, हाउस आफ कामंस के क्लर्क सर गिल्बर्ट कैम्पियन से भी यही प्रश्न १९४५ की सेलेक्ट कमेटी में पूछा गया था तो उन्होंने यह जवाब दिया :

"A series of precedents supports the view that the receipt of remuneration by the holder of office is immaterial, provided that his office is one in respect of which remuneration is payable, and this is so even when the remuneration is now fictional, as in the case of the stewardship of the Chiltren Hundreds."

अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले मर्तबा सन् १९५२ में जब इस सम्बन्ध में एक विधेयक यहां पास हुआ था उस समय भी हमने मांग की थी कि सरकार को यह दुविधा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और जितनी कुछ ऐसी जगहें हैं उनको बिल्कुल साफ साफ तय कर देना चाहिये कि इन इन जगहों पर जो लोग रहेंगे वह डिस्क्वालिफाईड नहीं होंगे या आफिस आफ प्राफिट नहीं करार दिये जायंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। टेक्स्टबुक्स के सम्बन्ध में अभी कुछ साल पहले इसी सरकार की तरफ से विधान सभा के एक सदस्य आफिसर थे, आज कल तो वह नहीं हैं। लेकिन उस पर भी काफी आवाजें उठाई गईं, तब सरकार के कुछ कान खड़े हुये। तो इसमें चूंकि नेशनल कैडेट कोर का युनिवर्सिटीज से ताल्लुक है, युनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और वाइस चांसलर वगैरा भी उसमें आ सकते हैं और वह पदाधिकारी होते हैं, इसलिये इस बिल का तो विरोध करना मुनासिब नहीं है। लेकिन साथ ही साथ टेरिटोरियल आर्मी में हमारी समझ में नहीं आता

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कि ऐसी चीज की क्या जरूरत है कि जिसमें विधान सभा के मेम्बर को रखना पड़े। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पोलिटिकल पार्टीज का आर्मी में या गवर्नमेंट सर्विस में रहना मुनासिब नहीं है। तो अगर इस समय इस विधेयक के उपस्थित करते वक्त न्याय मंत्री जी कोई खास बात इसमें रखते जैसे कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के हों या कालेज के लोग हों ऐसी कोई बात रखते तो एक मुनासिब चीज होती। एक साधारण विधान सभा के मेम्बर को यदि नेशनल कैडेट कोर में न भी शामिल किया जाय, तो उससे क्या दिक्कत होती है लेकिन सरकार ने फिर वही एक गोल मटोल विधेयक उपस्थित कर दिया और चूंकि उनको इस बात का फख्र है कि बहुमत तो हमारा है ही, चाहे स्पष्टीकरण करें या न करें, पास तो करा ही लेंगे इसलिए इसे पेश कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार का रुख ऐसा हो यह बात नहीं है बल्कि इस सम्बन्ध में मैं विन्ध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के रुख का बयान कर देना चाहता हूं कि विन्ध्य प्रदेश के १२ सदस्य एक एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर थे और उनकी वैधता का मामला प्रेसीडेंट के सामने आया। प्रेसीडेंट ने विधान की धाराओं के मुताबिक उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया और मुझे तो कम से कम यह कहते हुए शर्म मालूम होती है कि फिर पार्लियामेंट को कांग्रेस पार्टी ने प्रेसीडेंट की आज्ञा हो जाने पर भी, उसके विरुद्ध उसे रेगुलराइज नियमित बना दिया, इस डर से कि कहीं उनके १२ सदस्य जगह पाने से रह न जायं। मैं समझता हूं, कम से कम, प्रेसीडेंट की आज्ञा हो जाने के बाद तो ऐसा नहीं ही करना चाहिये था। तो अब भी समय है कि माननीय मंत्री जी इसको पोस्टपोन कर दें और कोई दूसरा बिल, जिसमें कि वह पद स्पेसिफिकली बता दिये जायं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी चाहते हों कि वह नेशनल कैडेट कोर और टेरीटोरियल आर्मी में रखे जायं, लायें और हम समझते हैं कि हम लोगों का यह सुझाव मुनासिब है। मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक बिल उन पदों का जिक्र करते हुए सामने आना चाहिए।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुःख है कि टरीटोरियल आर्मी या नेशनल कैडेट कोर ऐसी नेशनल आवश्यकता के प्रश्न पर माननीय उपनेता विरोधी दल ने खड़े होकर इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने इस विधेयक को गोल मटोल बतलाया और यह भी उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अपने भाषण में माननीय मंत्री से उन्होंने यह भी कहा कि बाद में एक और दूसरा विधेयक लाया जाय जो कामप्रिहेंसिव विधेयक हो। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी समझ में नहीं आता कि टेरीटोरियल आर्मी में पालिटेशिएंस का क्या काम। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इस तरह की बातें चाहते हैं या कहते हैं इसलिये कि कभी हम लोगों को लड़ाई में फंसना नहीं पड़ा है। जिस समय इस विधान भवन के ऊपर बम्ब गोलों की बारिश होने लगेगी उस समय मैं श्रीमन् देखूंगा कि कहां सफ़ेद टोपी रहती है और कहां लाल टोपी रहती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—एक साथ रहेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—एक साथ रहेंगे तो आर्मी में भी रहिये। सवाल यह है कि यदि किसी प्रकार का हमारे ऊपर आक्रमण होता है, हम किसी जंग में फंसते हैं, उस समय क्या हम यह देखेंगे कि अमुक व्यक्ति लाल टोपी वाला है इसलिये वह ठीक गोली नहीं चला सकता है और दुश्मन के सीने में गोली नहीं मार सकता है, और अमुक व्यक्ति सफेद टोपी वाला है, इसलिये आर्मी मे जा करके अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता है। अभी आज ही श्री महावीर त्यागी जी का वक्तव्य निकला है और उन्होंने बतलाया है कि टेरीटोरियल आर्मी को उन्होंने फिर से क्यों कायम करना चाहा है। उन्होंने बतलाया कि वार तो दूर रही, टेरीटोरियल आर्मी में जाने से हमारी डिसिप्लिन, हमारी फिजकल कंडीशन और बहुत सी बातें हैं जो हम लोग वहां सीख सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। उससे एक नेशनल फायदा ही होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं और ऐसे प्रश्नों पर भी विरोधी दल की ओर से विरोध लिया जाता है तो दुःख होता है । हमें इन सीटों पर बैठने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, हम विरोधी दल में बैठे हैं, हमारा भी अपने प्रान्त की पालिटिक्स में कुछ स्थान है विरोधी होने के नाते, लेकिन, श्रीमन्, उसके माने यह नहीं है कि अगर टेरीटोरियल आर्मी के लिएकोई विधेयक यहां लाया जाय जिससे यहां के माननीय सदस्यों को यह सहूलियत हो जाय कि वे टेरीटोरियल आर्मी में जा सकें तो मैं समझता हूं कि ऐसे विधेयक का विरोध करना ऐंटी नैशनल है। मैंने श्रीमन्, ४० साल इस मार्च में पूरे कर लिये नहीं तो मैं इस बिल का और भी स्वागत करता क्योंकि मैं इस बिल के द्वारा इस काबिल हो जाता कि मैं टेरीटोरियल आर्मी में जा सकूं। मैं प्रान्तीय विधान सभा में बैठा हूं, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं यह कहता कि पार्लियामेंट और विधान सभा के सदस्यों के लिये ५० तक एज लिमिट कर दी जाय । इन शब्दों के द्वारा श्रीमन्, मैं यह आशा करता हूं कि इस विधेयक के विरोध को हमारे उपनेता विरोधी दल वापस ले लेंगे और इसको बग़ैर किसी विरोध के यहां से पास होने देंगे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको भी श्री रामनारायण त्रिपाठी का भाषण सुन कर के अफसोस हुआ और आश्चर्य हुआ । मैं ऐसा समझता हूं कि मिस्टर डेविस या कोई भी हों.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैंने विरोध नहीं किया बल्कि मैंने साफ़ करने के लिये कहा। इसलिये ग़लत बयानी करना ठीक नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, किसी का यह कहना कि मैंने यह कहा कि रामनारायण त्रिपाठी ने इसका विरोध किया यह बात ग़लत है। उनकी स्पीच को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, यह मैंने कहा और विरोध लफ्ज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया।

किसी जगह पर किसी मिस्टर डेविस या एक्स वाई जेड ने कुछ भी कहा हो मेरी समझ में जिन किताबों में वह चीजें लिखी हुई हैं वह रद्दी की टोकरी में फेंक देने के लायक़ हैं। जब हमारे देश की स्वाधीनता की रक्षा का सवाल पैदा होता है और उसमें जब हम अपने विधान सभा के सदस्यों का ख़याल करते हैं तो इसलिये मैं नहीं कि उनका किसी पार्टी पालिटिक्स से संबंध है, बल्कि वह देश के नागरिक हैं। विधान सभा के मेम्बर होने से कोई शख्स नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता । टेरिटोरियल आर्मी इसलिये बनायी गई है क्योंकि हमारी जो रेगुलर आर्मी है उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां है और दूसरे नागरिकों को फौज द्वारा देश की सेवा करने का मौक़ा मिले इसीलिये यह क़ानून बनाया गया है। जैसा कि अभी माननीय सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि सब लोग इसमें नहीं आते इसीलिये पार्लियामेंट में इस बात का एनाउन्समेंट किया गया कि आगज़िलरी टेरिटोरियल आर्मी क़ायम की जायगी, जिसमें वह लोग रहेंगे जो कि टेरिटोरियल आर्मी में नहीं आते। टेरिटोरियल आर्मी के लिये कहा गया है कि १८ से ४० की उमर के लोग हो सकते हैं। छुट्टी के दिन जिस वक्त उनको और कामों से फुर्सत हो उनको ट्रेनिंग दी जायगी । उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है और बन्दूक चलाने की ट्रेनिंग भी होती है। आशा की जाती है कि हर शख्स इसे करे और अगर हमारे विधान सभा के सदस्य भी शामिल हो सकें तो अच्छी बात है और उनको देखने से और लोग भी शामिल हो सकते हैं।

जो आदमी ट्रेनिंग पाता है तो जितने दिन वह ट्रेनिंग पायेगा वह एक मामूली सिपाही की हैसियत से रहेगा और उसको वही तनख्वाह और एलाउन्सेज मिलते हैं जो कि एक सोलजर को मिलते हैं, खाना भी फ्री मिलता है और वर्दी भी फ्री मिलती है इसलिये उसको प्राफिट भी होगा। अगर वह पहले से ट्रेनिंग पा चुका है तो वह जूनियर कमीशन्ड आफिसर होगा

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

और उसको वही तनख्वाह मिलेगी जो कि एक रेगुलर आर्मी के आफिसर को मिलती है। इस-लिये यह करने की जरूरत पैदा हुई कि अगर कोई चला जाय तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन न हो। हमारे न्याय मंत्री जी से कहा गया कि इसको विस्तार करके बता दें कि वह कौन कौन से ओहदे हैं, यह बताना असम्भव है। आज यह रखा गया हैं कि जूनियर कमीशन्ड आफिसर फलां फलां होंगे और कल फौज के अधिकारी तय कर सकते हैं कि जूनियर कमीशन्ड आफिसर फलां२ होंगे तो फौरन बदल जाने की बात है इसलिये यह बताना असम्भव है।

मैं आशा करता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इसका स्वागत करेगा लेकिन वह लोग जिनकी उमर ज्यादा हो गई है वह इस बात पर अफसोस भी करेंगे कि उनको देश की सेवा करने का इसके द्वारा मौक़ा नहीं मिल सकता।

श्री अध्यक्ष—क्या मैं पूछ सकता हूं आक्जिलरी टेरीटोरियल आर्मी भी इसमें आ जाती है?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें नहीं आती है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय न्याय मंत्री जी ने इस भवन के सामने बिल पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। माननीय न्यायमंत्री और गृह मंत्री के भाषण को सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमको कोई बात जिसमें देश की रक्षा का सवाल आता हो पार्टी पालिटिक्स से नहीं सोचना चाहिये और किसी तरह की रुकावट नहीं डालनी चाहिये, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। विधान सभा के मेम्बरों को यह मौक़ा दिया जाय। आज श्रीमन् अगर आप देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंग्रेजों की तरक्क़ी हुई जहां से डिमोक्रेसी और प्रजातंत्रवाद का जन्म हुआ वहां का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जिसने पिछली लड़ाई जीती अगर वह लड़ाई का काम न जानता होता तो वह अपने देश को कैसे बचा सकता था? मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति का फर्ज है और सरकार का भी यह फ़र्ज है कि जो व्यक्ति देश की रक्षा करने के लायक़ हो उसे हर तरह की सुविधा दी जाय। उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने कहा कि सरकार आफ़िस आफ़ प्राफिट की बात को साफ़ नहीं करती लेकिन वाक़या यह है कि हमारी सरकार क़दम ब क़दम यह कोशिश कर रही है कि वह ऐसी रुकावटों को दूर करे। इसमें मेम्बर होने के नाते यह अधिकार दिया गया कि आप वहां ट्रेनिंग ले सकें। आफिस आफ़ प्राफ़िट के अन्दर हमारे और आप के दोनों के ऊपर पेटीशन हो सकता है। लेकिन आज देश की पुकार है और आप देखिए कि २४ घंटे के अन्दर देश का नक्शा कहां से कहां पहुंच रहा है। हमें हिन्दुस्तान को बनाना है और बचा कर उसे ऊंचा उठाना है। हमें पार्टीइज्म को छोड़ कर मुल्क को एक जगह लाना है। इसलिये गवर्नमेंट ने सोचा कि हर आदमी को मौक़ा दिया जाय कि वह मैदान में आवे। बहुत से आदमी जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं वे लड़ाई में आने वाले हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अगर कोई मेम्बर या मिनस्टिर हों, अगर वे फर्स्ट क्लास में चल सकते हैं तो मैं कहता हूं कि उनको मौक़ा दिया जाय कि वे यह ट्रेनिंग लेकर अगर अच्छे कमान्डर इन चीफ़ हो सकें तो अवश्य हों। अगर कोई लाल टोपी से रिजाइन करके या मिनिस्ट्री से इस्तीफा देकर ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें मुल्क की सर्विस करने का मौक़ा देना चाहिये। युनीवर्सिटी के विद्यार्थी हमारी कमिंग जनरेशन हैं और उन्हें यह मौक़ा जरूर दिया जाना चाहिये। अगर उन्हें टेरीटोरियल आर्मी में रख कर कुछ पैसा भी दे दिया जाय और इस लायक़ बना दिया जाय कि वह देश की रक्षा करने में सहायक हों, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को भी बिरोध नहीं होना चाहिये। जैसा सुरेश प्रकाश जी ने कहा, अगर बम यहां गिरने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप योग्य नहीं

होंगे तो आप बच नहीं सकेंगे। हमारे उस्ताद हमें हिस्ट्री पढ़ाया करते थे तो उन्होंने कहा था कि हमें हिन्दुस्तान में साढ़े पांच फीट का आदमी चाहिये जिसके कन्धे पर बन्दूक रखकर चलाई जा सके। तो मैं निहायत अदब के साथ हाउस के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस बिल को हमें तहेदिल से सपोर्ट करना चाहिये क्योंकि यह नेशनल बचाव का और तरक्की का प्रश्न है। आज अगर बाहरी हमला मुल्क पर होता है तो हमें पार्टी भेदभाव छोड़कर यूनाइट होकर उसका मोर्चा लेना है। याद रखिए अगर किसी ने इसमें किसी तरह की कोताही की तो न लाल टोपी वाले बचेंगे और न सफेद टोपी वाले ही बचेंगे। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं माननीय शिवनारायण जी का भाषण सुन रहा था तो मालूम यह पड़ता था कि इस मुल्क में कोई लड़ाई छिड़ गई है। आज सुबह ही शायद उन्होंने अखबार में पढ़ा होगा कि कश्मीर में कुछ गड़बड़ सी हो गयी है। उससे शायद उन्हें संकेत हो गया हो कि कहीं लड़ाई न छिड़ जाय और उसमें भर्ती हो जावें तो उससे सहूलियत हो जायगी।

श्री शिवनारायण—मैंने तो कश्मीर का नाम भी नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उनको लेने का अधिकार है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—वह शायद यह समझते हैं कि जब कोई लड़ाई होगी तो माननीय शिवनारायण जी ही शायद मैदान में रहेंगे, ऐसा उनका खयाल है। हम उससे भी पहले उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहां लड़ाई का मैदान होगा हम लोग भी वहां होंगे लेकिन आज यहां पर फौज वालों में और हम लोगों में आपस में कोई मनमुटाव सा करा दें अगर यह उनका उद्देश्य है तो यह बिलकुल ग़लत है। हम चाहते हैं फ़ौजी शिक्षा हासिल करना। जब हम कालिजों में पढ़ते थे तो उस वक्त भी यू० टी० सी० वग़ैरह में भर्ती होते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। माननीय रामनारायण जी का मतलब अपने कुछ विचार प्रकट करने का सिर्फ यही था कि जो धारा-सभा के मेम्बर हैं उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं हो सकती है कि वह किसी और काम में भी हिस्सा ले सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारा अपना तजुर्बा तो यही है कि जब से हम इस विधान सभा के मेम्बर हुये हैं, हमें इसके अलावा कोई दूसरा काम करने की फुर्सत ही नहीं है। हो सकता है कि दूसरे दल वालों को कुछ आराम हो और वे दूसरा काम कर सकते हों लेकिन जहां तक हमारा सवाल है हमें तो शाम को हाकी तक खेलने का वक्त नहीं मिलता, फ़ौज का मामला तो दूर रहा। अगर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने की ग़रज़ से हम लोग टेरीटोरियल आर्मी में चले जायं और वहां पर शिक्षा हासिल करें उसमें तो मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन फौज में जाकर कैप्टन और कर्नल बनें और लम्बी चौड़ी तनख्वाहें लें, यहां भी लें और वहां भी लें, तो यह मेरे विचार में ठीक नहीं होगा। इस हिन्दुस्तान में ४० करोड़ आदमी हैं और बेकारी इतनी बढ़ गयी है कि कुछ कहना नहीं। हमारे पहाड़ों पर हजारों आदमी फ़ौज में भर्ती होते थे लेकिन आज कुछ काम मिलता नहीं है, सब लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, कम्यूनिस्ट लोग अलग कहते हैं कि हमारे साथ मिल जाओ। तो आज अगर बेकारों की एक फौज बना दी जाय और असेम्बली के लोगों को छोड़ दिया जाय तो देश का बड़ा उपकार हो सकता है। क्या जरूरत है कि असेम्बली के आदमी फौज में जायं। जो फ़ौज में जाते हैं वे सिर्फ़ फ़ौज का ही काम कर सकते हैं और जो असेम्बली में आये हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें और कोई काम करने की फुर्सत नहीं है। हमारी कोई लड़ाई फ़ौज वालों से नहीं है। वह अगर धारा सभाओं में न आ सकें तो कोई मामला बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दोनों जगह हाथ बटाने लगें और वहां भी तनख्वाह लें और यहां भी तनख्वाह लें और गवर्नमेंट की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ही जेबों में डालने लगें तो अच्छा नहीं होगा और लोग कहेंगे कि ये मेम्बर लोग अपने फ़ायदे के ही लिये बैठे बैठे क़ानून बनाते रहते हैं।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

आज तो माननीय सुरेश प्रकाश जी ने हम लोगों को ऐंटीनेशनल कह दिया। सुरेश प्रकाश जी नेशनल हो गये और हम ऐंटी नेशनल हो गये। उनके मुंह से ऐंटीनेशनल शब्द सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अब शुरुआत हुई है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—हो सकता है कि ऐसा मौक़ा आये कि कभी उनके हाथ में सरकार आये और शायद उनके ख़िलाफ़ हम बग़ावत करें। लेकिन आज तो ऐसे दल के हाथ में हुकूमत है जिसे हम ऐंटीनेशनल नहीं कहते और वह दल भी समझता है कि हम लोग रिएक्शनरी नहीं हैं, प्रोग्रेसिव हैं। हो सकता है कि वह प्रोग्रेसिव न मानें लेकिन वह हमें रिऐक्शनरी नहीं कहते, आज तक किसी ने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो आपके विचारों को कहा था, आप को नहीं कहा था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—उनका यह सोचना ही बुरा है कि हमारे विचार ऐंटीनेशनल हो सकते हैं। उन्हीं को समझाने के लिये मैं खड़ा हुआ था कि माननीय सुरेश प्रकाश जी की ग़लतफ़हमी दूर हो जाय। हम ऐंटीनेशनल नहीं हैं।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—ग़लतफ़हमी आप की थी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं यही चाहता हूं। यहां जो माननीय सदस्य आये हैं वे क़रीब क़रीब सब ४० वर्ष से ऊपर हो गये हैं। उनके लिये तो फ़ौज में कोई उम्मीद नहीं कि वे कर्नल वग़ैरह बन सकें। हां, माननीय शिवनारायण जी को बड़ी उम्मीद लगी हुई है कि वे मास्टर से अब फ़ौज में कुछ बन जायं। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि देश के ऊपर जब हमला होगा तो हम इस सभा के भीतर बैठे नहीं रहेंगे। असेम्बली को छोड़ कर मुल्क की आज़ादी के लिये हम बाहर भी जाने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, टेरीटोरियल आर्मी के लिये भी कहा जायगा और कल कोई नई बात आ जाय तो जितने पद हैं उन सब पर से डिसक्वालीफिकेशन हटा दी जाय। वे वहां से भी तनख्वाह लें और यहां से भी २०० रुपया पाते रहें। यहां पर तो कानून बनाये ही जाते हैं, उनको बदला भी जा सकता है लेकिन इसका असर प्रान्त की जनता पर बुरा पड़ेगा। जहां तक फौजी ट्रेनिंग का सवाल है हम उसके विरुद्ध नहीं हैं लेकिन रामनारायण जी तो यही चाहते थे कि उनको यह बता दिया जाय कि आगे क्या होगा क्या कोई फ़ौजी अफसर या केप्टन भी यहां पर मेंबर हो सकता है या नहीं। रामनारायण जी तो केवल यही चाहते हैं कि उनको यह बता दिया जाय कि टेरीटोरियल आर्मी के कौन कौन लोग और नेशनल केडेट कोर के कौन कौन लोग विधान सभा के मेम्बर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर ज़रूर प्रकाश डालेंगे, बाक़ी उनसे हमें हमदर्दी है। देश की लड़ाई के लिये जो फ़ौजी ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है उससे हमें हमदर्दी है लेकिन उसके साथ ही साथ मैं उनसे यह भी कहूंगा कि जितना रुपया उन पर ख़र्च किया जायगा उसके अन्दर ही हजारों देश के दूसरे नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाकर ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसलिये हम आशा करते हैं कि जो बिल आप लाये हैं उसमें कुछ तब्दीली की जाय।

श्री सुल्तान आलम खां (ज़िला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त भवन के सामने पेश है उसकी ग़रज़, मैं समझता हूं, बिलकुल ही साफ़ है और छोटी सी है। हमने इस सिलसिले में बहुत सी तक़रीरें सुनीं, फौज के मुताल्लिक़ और उसके अलाउन्स के बारे में भी सुनी, बहुत लोगों का उसके मुताल्लिक़ अंदेशा भी मालूम किया, यह भी मालूम हुआ कि बाज़ साहबों को यह अन्देशा है कि यह बात साफ नहीं है कि टेरीटोरियल आर्मी और नेशनल कैडेट कोर के कौन कौन से पद हैं जिनसे डिसक्वालिफिकेशन हटाई जा रही है

लेकिन मैं यह समझता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है यह बिल बहुत ही सीधा और साफ है। इसमें उन डिसक्वालीफिकेशन्स को दूर करने की कोशिश की गयी है जो मेम्बरान असेम्बली या कौंसिल के लिये पैदा हो जाती हैं उनको दूर करने के लिये इस बिल की जरूरत समझी गयी। यह डिसक्वालीफिकेशन पीपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के मातहत पैदा होती हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि यदि कोई शख्स फौज में नौकर हो तो वह असेम्बली का मेम्बर नहीं हो सकता और अगर हो तो उसको मेम्बरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस जगह रेग्यूलर आर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वह तो सरकारी मुलाजिम हैं और जो सरकारी मुलाजिम २४ घंटे के लिये होता है वह कैसे असेम्बली का मेम्बर बनकर आ सकता है? लेकिन बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेशनल केडेट कोर में हों या टेरीटोरियल फोर्स में हों, या ओक्जीलिर फोर्स में हों और वे इस सदन के मेम्बर बन गये हों तो उनके लिये बहुत से कानूनी मशीडिरों का यह ख्याल है कि उन पर यह डिसक्वालीफिकेशन कायम हो जाती है इसलिये उनके लिये यह सवाल पैदा हुआ कि उनकी यह डिसक्वालीफिकेशन एक बिल ला कर दूर की जाय और उनको यह मौक़ा दिया जाय कि वह इस हाउस में रह कर यहां का काम भी अंजाम दे सकें।

बहुत से दोस्तों को इससे यह भी अन्देशा पैदा हुआ कि इससे पोलिटिक्स और आर्मी या सोल्जर और स्टेट्समैन को एक बनाया जा रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लोग नेशनल केडेट कोर में होते हैं वे एक महीने के लिये फौजी ट्रेनिंग के लिये बुलाये जाते हैं क्योंकि फौजी ट्रेनिंग पाये हुए लोगों की जरूरत मुल्क की रक्षा के लिये, उसकी खिदमत के लिये होती है और वक्त जरूरत उनको तलब कर लिया जाता है। एक बार ट्रेनिंग देकर फिर हर साल एक माह के लिये रिफ्रेशर्स कोर्स के लिये बुला लिया जाता है ताकि वह वक्त के ऊपर मुल्क के काम में आ सकें। इसकी इसलिये जरूरत होती है कि रेग्युलर फौज पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। दूसरे मुल्कों में भी हम देखते हैं कि वहां पर फौज टैरीटोरियल क़िस्म की या ओक्जीलियरी क़िस्म की ज्यादातर होती है। जहां साल के ११ महीने लोग बहैसियत सिविलियन के काम करते हैं और एक महीने के लिये फौजी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इससे सरकार का बहुत कुछ रुपया बच जाता है और उनको ट्रेंड लोग नौजवान उम्र के इस बात के लिये मिल जाते हैं जो कि वक्त जरूरत मुल्क की रक्षा के लिये सामने आ सकें और मुल्क का तहफ्फुज कर सकें। यह बात जो कही गयी है कि सोल्जर्स और पोलिटिशियन का मिलना सही नहीं है तो मैं समझता हूं कि खासकर आजकल के जमाने में या मैं यह कहूं कि १९५२-५३ में ऐसा कहना कुछ सही नहीं है। अभी हमारे सामने मिश्र की मिसाल मौजूद है जहां कि फौजी इन्क्लाब हुआ और उसके बाद बादशाहत ख़तम हुई और बादशाहत खतम होने के बाद एक ऐसा शख्स वहां का वजीरआजम बना और उसके बाद वहां की हुकूमत का सदर बना जो कि फौजी था और जिसने अपनी सारी जिन्दगी फौज में ही गुजारी थी। मेरी मुराद जनरल नाजिब से है। तो यह बात कहना कुछ सही नहीं है। दुनिया में इस तरह के आदमी हो सकते हैं जिनके अन्दर स्टेट्समैन और सोल्जर्स दोनों की खूबियां हों तो वह शख्स अपने मुल्क की रक्षा का इन्तजाम बहुत बेहतर तरीक़े से कर सकता है। आम तौर पर हममें से इस हाउस के अन्दर बैठकर या इसके बाहर भी अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि साहब जम्हूरियत सही तरीक़े से नहीं चल रही है। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों क़रीब-क़रीब हर शख्स की जबान से कभी न कभी इस बात की शिकायत सुनने को आ ही जाती है कि जम्हूरियत में यह यह कमजोरियां हैं, वह सही स्प्रोट में काम नहीं कर रही हैं। तो मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं कि इस तरीक़े से अगर जम्हूरियत के साथ साथ उसके ड्राइव को कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव भी मिलता रहे कि पोलिटिशियन और सोल्जर दोनों रहें तो मैं समझता हूं कि हुकूमत की मशीनरी ज्यादा आसानी से चल सकती है। लेकिन मुझे मुआफ फरमावें और यह बात इस बिल के मुताल्लिक़ नहीं है इसलिये मैं इसके मुताल्लिक़ कुछ ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। यहां सवाल सिर्फ यही है कि हम इस कानून के जरिये

[श्री सुल्तान आलम खां]

उन लोगों को मुस्तसना करें या न करें जो फौज की खिदमत पूरे वक्त के लिये नहीं बल्कि साल के कुछ हिस्से के लिये करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि भवन के अन्दर भी नौजवान उम्र के लोग सामने आवें और फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क की रक्षा का प्रबंध करें। तो यह ज्यादा बेहतर होगा। फर्ज कीजिये कि हमने उनके लिये दरवाजा बन्द कर दिया, या हमने ऐसे लोगों का लेजिस्लेचर में आना रोक दिया तो हो सकता है कि ऐसे लोग जो कि मुस्तक़िल तौर पर फौजी खिदमात करना अपना पेशा बनाना चाहें तो ऐसे लोगों के लिये टेरिटोरियल फोर्स या नेशनल केडेट कोर में जाने का दरवाजा बन्द हो जायगा। खास-तौर पर वे नौजवान जो कि यूनिवर्सिटी और कालेजों में तालीम पाते हैं, हमें इस बात की खुशी है कि एन० सी० सी० का फैलाव हुआ है और खासतौर पर हमारे जिले में यह काफ़ी बढ़ा और हमारी हुकूमत ने इसको खास तरक्की दी और इसमें दिलचस्पी ली। तो हमें इस बात को सोचना है कि ऐसे नौजवान जो कि आजकल यूनिवर्सिटी व कालेजों में तालीम पाते हैं, अगर इस तरह की कोई पाबन्दी लगा दी जाय तो फिर उनका एन० एन० सी० की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जायगा। तो मैं समझता हूं यह बिल बहुत ही इन्नोसेंट बिल है। अगर कोई पोलिटिशियन हैं जो कि यहां के मेम्बर होकर आये और जिनकी उम्र ऐसी है कि वे फौजी खिदमात का अंजाम भी दे सकते हों तो उनको इस बात का मौक़ा रहे कि वे वहां वक्ती तौर पर अपनी फ़ौजी खिदमात को अंजाम दे सकें और यहां आकर इस भवन में भी बैठकर यहां का काम कर सकें। मैं समझता हूं कि यह बिल इस हाउस के सही ऐडमिनिस्ट्रेशन के ही मातहत लाया गया है और जो ग़लतियां हैं उनको दूर करने के लिये ही लाया गया है। मुझे यक़ीन है कि हाउस यूनैनिमस तरीक़े से इस बिल को पास करेगा ताकि यह जल्द से जल्द हमारी स्टेच्यूट बुक पर आ सके ताकि इसके मातहत जो हमारे लिये दिक्क़तें पैदा हो सकती हैं या उनके होने का अंदेशा है वे दूर हो सकें। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं इस विधेयक को जो कि इस हाउस के सामने पेश है, वेलकम करता हूं और इसका खैरमकदम करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय न्याय मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के भाषणों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और इस बात की चेष्टा की कि मैं इस विधेयक के पीछे सिद्धान्त को पूर्णतया स्वीकार कर सकूं लेकिन अपने को ऐसा करने में असमर्थ पाया, इस वास्ते कि एक तरफ तो मैं देखता हूं कि नेशनल केडेट कोर और टेरिटोरियल आर्मी के समकक्ष ही हमारे प्रान्त में संस्था है जिसे पी० आर० डी० कहते हैं लेकिन पी० आर० डी० का आफिस, आफिस आफ प्राफिट माना गया है लेकिन टेरिटोरियल आर्मी और नैशनल केडेट कोर जो कि प्रान्तीय रक्षा दल से उच्च स्तर की संस्थायें हैं उनमें आफिस होल्ड करने वालों को "आफिस आफ प्राफिट" नहीं माना जाय, यह डिसक्वालिफिकेशन हटा दी जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे इस बात के उदाहरण मालूम हैं कि विधान सभा की सदस्यता के लिये कुछ लोग खड़े हुए थे उनको प्रान्तीय रक्षा दल के डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि नियम में इसके खिलाफ था। तो समझ में नहीं आता जब कि हमारे प्रान्तीय संगठनों के लिये डिस्क्वालिफिकेशन कायम है तो अखिल भारतीय संगठनों के लये ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे हटाया जा रहा है। जहां तक एन० सी० सी० और टेरीटोरियल आर्मी का सवाल है यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के नीचे काम करने वाली अर्द्ध फ़ौजी संस्थायें हैं। यह लाजमी नहीं है कि इनमें काम करने वाले अधिकारी यू० पी० में ही काम करें, उनको बंगलोर भेजा जा सकता है, गौहाटी भेजा जा सकता है और काश्मीर भी भेजा जा सकता है या और किसी ट्रेनिंग के लिये कहीं और भेजा जा सकता है। तो यह सोचने की बात है चाहे कोई व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों न हो लेकिन वह एन० सी० सी० या टेरीटोरियल आर्मी में अपने पद को धारण किये हुए भी विधान सभा

का सदस्य हो सकता है और जिम्मेदारी के साथ काम कर सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। जब हमने विधान सभा के सदस्य होने के नाते शपथ खाई है उसमें लिखा हुआ है:—

"That I will bear true faith and solemnly affirm allegiance to the Constitution of India as by law established and that I Will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

[कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रक्खूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा।]

तो इस विधान सभा की सदस्यता का महत्व या इसकी महत्ता शपथ के द्वारा जो विधानतः हमसे कराई गई है, उसको देखते हुए इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती लेकिन ऐसा व्यवहार रूप में नहीं देखा जाता। साथ ही साथ मैं आप का ध्यान विधान की धारा १९२ की तरफ दिलाना चाहता हूं, उसमें यह लिखा हुआ है।—

192(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final"

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

[१९२ (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान–मण्डल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन–आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]

श्रीमन् इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में साफ दिया हुआ है कि यह सरकार की राय है इलेक्शन कमीशन की राय ली जाय लेकिन यह इसमें साफ नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के विद्वान या कोई भी लेजिस्लेटिव प्रणाली से संबंध रखने वाला विद्वान इस प्रकार की आज्ञा नहीं देता कि विधान सभा की सदस्यता और किसी फौजी संगठन की सदस्यता को साथ–साथ मिला दिया जाय। श्रीमन् मुझे याद है कि अभी हाल ही में नार्थ वेस्टर्न फान्टियर प्राविन्स में खान अब्दुल कयूम खां ने इंस्पेक्टर जनरल का मुख्य मंत्री नियुक्त कर दिया था तो उस संबंध में बहुत से देशों के अखबारों ने और भारत और पाकिस्तान के भी अखबारों ने इस बात की राय जाहिर की थी कि पुलिस कर्मचारी को एक राज्यपद पर नहीं रखा जाना चाहिये। श्रीमन्, आप को याद होगा कि जेनरल मैकार्थर साउथ ईस्ट एशिया के कमान्ड से हटे थे और उस समय संसार भर के अखबारों ने एक स्वर स हटाये जाने के सिद्धांत को स्वीकृत किया था और वह सिद्धान्त यह था कि जेनरल मैकार्थर ने आर्मी के अन्दर होते हुए भी पोलिटिकल स्टेटमेंट दिये थे, सियासी बयानात दिये थे। श्रीमन्, आप को याद होगा कि पिछले दिनों जब जेनरल आइजनहावर यू० एस० ए० के राष्ट्रपति पद के लिये खड़े होने को हुए तो उन्होंने अपने जेनरलशिप से इस्तीफा दिया तो इसके हमारे सामने बहुत से मिसाल मिल सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंध रखने वाले जनप्रतिनिधि आर्मी के पदों से अलग हुये हैं। तो इस प्रकार फौजी या अर्द्धफौजी मामलों में जनप्रतिनिधियों को डालना कोई सिद्धान्त से संबंध रखने वाली बात नहीं हो सकती। यह बात हो सकती है कि जब कोई संकटकाल उपस्थित हो उस समय विधान सभा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के सदस्य या पार्लियामेंट के सदस्य अपने विधान सभा के कार्य को छोड़कर मोर्चे के आगामी बैरेक्स में शामिल हों और ऐसे मौक़े पर जरूर उनको मौक़ा दिया जाय, लेकिन इसके यह मतलब नहीं हैं कि हम शान्ति काल में भी इस प्रकार की बातें करें जिससे हमारे प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में किसी प्रकार का विभेद हो सके। मैं यह सूचना चाहूंगा कि जहां हमारे मंत्री जी यह बिल डिसक्वालिफिकेशन हटाने का ला रहे हैं वहां यह बतलावें कि कितने सदस्य विधान सभा और विधान परिषद् के हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में या नेशनल केडेट कोर में हैं या जाना चाहते हैं। क्या माननीय न्याय मंत्री जी विधान सभा के ४३१ मेम्बरों में से किसी को मिसाल दे सकते हैं जो विधान सभा का सदस्य भी है और जिसने नेशनल केडेट कोर में भर्ती होने के लिये ऐप्लाई किया है। किसी ने टेरीटोरियल आर्मी में भर्ती होने के लिये अर्जी दी है। और वह पेंडिंग है, क्या किसी ने अपनी इच्छा स्वयंसेवक बनने के लिये जाहिर की है। श्रीमन्, मैं सोचता था कि माननीय शिवनारायण जी या और कोई माननीय सदस्य जो वास्तव में इस सिद्धांत के हामी हैं उन्होंने स्वयं कोई अपना उदाहरण नहीं रखा कि मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और अपने को प्रस्तुत करता हूं कि मैं सदस्य रहकर सदस्यता का भी काम करूंगा और टेरीटोरियल आर्मी के लिये अपने को आफर भी करूंगा। लेकिन ऐसा कोई उत्साहपूर्ण उदाहरण हमारे सामने नहीं आया। मैं अब भी आशा करूंगा कि कोई ऐसा उत्साहपूर्ण उदाहरण हमारे सामने आये। जब कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने नहीं है तो फिर ऐसे विधेयक पास करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान ब्रिटेन की प्रणाली की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं। ब्रिटेन में इस्तीफ़ा देने की प्रणाली जो हाउस आफ़ कामंस में प्रचलित है वह चिल्टर्न हन्ड्रेड्स की प्रणाली है हमारे विधान में इस्तीफा देने की प्रणाली को स्वीकृत किया गया है लेकिन वहां हाउस आफ कामंस में कोई सदस्य आफिस आफ प्राफिट्स के लिये जाना चाहे तो वह चिल्टर्न (chiltern hundreds) में एप्लाई करे और उसकी वह सदस्यता हटा दी जाती है लेकिन हमारे विधान म केवल इतना कहा है कि कोई मेम्बर जो इस्तीफा देना चाहे वह ले कर सीधा मान लिया जायगा। तो इसलिये भी आवश्यकता नजर नहीं आती। तो श्रीमन्, सिद्धान्त के रूप में माननीय न्याय मंत्री जी कोई बात नहीं बता सके हैं और उसके अलावा और कोई बतला सकें तो इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों को समर्थन करने के लिये शक्ति मिलेगी और शायद मुझ जैसे विधान सभा के सदस्यों को भी इसका समर्थन करने का मौक़ा मिलेगा।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (ज़िला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने माननीय मंत्री का ध्यान इस बिल की तरफ आकर्षित करते हुये चन्दे अपनी राय उनकी सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं। जहां तक इस बिल का संबंध है जो कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखा है इसके समर्थन के बारे में लोगों की अलग-अलग राय है। मैं यह उचित समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस तरीके से विधेयक को इस समय ला रहे हैं और उसकी जो शकल है वह स्पष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस बिल को फिर से एक दफा सिलेक्ट कमेटी बना कर उसके सुपुर्द किया जाय और इसकी शक्ल को ज्यादा स्पष्ट किया जाय और उसके बाद इस विधेयक को सदन के सामने ला कर पेश किया जाय। इस विधेयक को लाते समय माननीय मंत्री जी ने अगर मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की तरफ ध्यान दिया होगा जो कि बहुत बड़े विधान के पंडित की लिखी है। उन्होंने इसका ज़िकर किया है कि जहां पर ड्यूटी और इन्टरेस्ट का क्लैश होता है वहां पर इस बात की इजाजत विधान द्वारा नहीं होनी चाहिये कि कोई भी सदस्य सदन की सदस्यता के लिये उपयुक्त मान कर खड़ा किया जा सके। अगर यदि मुझे ठीक तरह से याद है तो ११४ पेज पर ड्यूटी और इन्टरेस्ट के संबंध में काफी डिस्कशन मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के अन्दर किया गया है। यहां पर भी कोई आदमी सदन का सदस्य नहीं हो सकता जिसकी ड्यूटी और इन्टरेस्ट में क्लैश होता हो और इसी आधार पर उन व्यक्तियों के लिये सदस्यता के लिये खड़ा होने का अधिकार

नहीं दिया जाना चाहिये । मैं खुद पी० आर० डी० का आफिसर था और इसी सदन की सदस्यता के लिये जिस वक्त मैं खड़ा हुआ तो मुझे त्यागपत्र देना पड़ा था । और तभी मैं खड़ा हो सका। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बुनियादी वसूल है जिसके मुताबिक विधान के अनुसार सदन की सदस्यता के लिये इजाजत नहीं है यदि उस उसूल पर इस विधेयक को तोला जाय और तोलने के बाद अगर उचित समझा जाय तो फिर यह इस सदन के सामने लाया जा सकता है । इसीलिये मैंने अपनी राय में यह कहा है कि एक सेलेक्ट कमेटी बनायी जाय और उसके सुपुर्द यह विधेयक किया जाय । काफी गम्भीरता के साथ इस पर विचार होना चाहिये और यदि बुनियादी उसूल के ऊपर यह सही न जंचे तो इसकी तरमीमशुदा शक्ल बना कर इस विधेयक को इस सदन के सामने आना चाहिये । मैं इस सदन के सदस्यों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक में यह बात पेश की जा रही है कि एन० सी० सी० और. टेरीटोरियल वाले आदमी इसकी सदस्यता पा सकें । मैं समझता हूं कि यह नैशनल कैडेट कोर तो ऐसा जरूरी है कि जिसका सरकार से संबंध नहीं है लेकिन जो टेरीटोरियल आर्मी की बात है उसका संबंध सरकार से है और उसके ऊपर सरकार का असर होता है । अगर इस विधेयक के द्वारा इस बात का अधिकार दिया जायगा तो यह मुमकिन है कि अधिक से अधिक सरकार के आदमी सदन की सदस्यता को पा सकें और सरकार के दबाव में आ सकें, और दूसरे लोग उसका वोट न पा सकें। सरकार किसी न किसी तरीके से उनको मजबूर कर सकती है कि वह सरकारी आदमी जो कि सरकार के असर के होते हैं सदन की सदस्यता पा सकें । ऐसी सूरत में सरकार की शक्ल बदल कर क्या हो जायगी यह आप स्वतः समझ सकते हैं हो सकता है कि बढ़ते-बढ़ते इस विधेयक की शकल के मुताबिक़ यहां तक इस सदन की नौबत आवे कि यह सरकार एक बिलकुल फौजी सरकार की शकल धारण कर ले और उस वक्त आपके सामने यह दिक्क़त पड़ेगी । जिन दूसरे मुल्कों में आज सरकारें बिल्कुल फौजी हो गयी हैं और उनकी शक्लें बदलने के लिये जो चेष्टा अन्य मुल्क कर रहे हैं वह आपके सामने हैं और तमाम दिक्क़तें आज आप महसूस करते हैं । मेरी राय में सेलेक्ट कमेटी में भेज कर इस पर विचार किया जाय और फिर हाउस में इसे लाया जाय । जहां इसकी अच्छाइयां हैं वहां उनके साथ ही साथ स्पष्टीकरण न होने से जो इनमें बुराइयां हैं उनकी ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि मेरी इस राय को माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे और इस बिल को फिर सेलेक्ट कमटी के आने के बाद पेश करेंगे ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को देखा है और यह एक छोटा सा बिल है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण और इस पर जो भाषण विरोधी दल की ओर से दिये गये हैं उनको बड़े ध्यान से मैंने सुना है अभी हमारे सीतापुर के माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया है उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । उन्हें इस बिल से ख़तरा हो रहा है कि यहां फौजी हुकूमत क़ायम हो जायगी । वह समझते हैं कि इससे फौज के जो बड़े बड़े अफसर हैं केवल वही विधान सभा के सदस्य हो जायंगे और यहां भी मिश्र जैसे मुल्क की सी हालत हो जायगी । यह ख़तरा उनको मालूम हो रहा है । मैं समझता हूं और जहां तक बुद्धि जाती है इसको पास करना उचित नहीं है और मैंने इसके उद्देश्य को जहां तक पढ़ा है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि टेरीटोरियल आर्मी और नेशनल केडेट कोर में भर्ती हो जाने से कोई भी व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिये अनर्ह न हो, इसलिये यह बिल लाया जा रहा है । मैं श्री नारायणदत्त जी, जो बड़े विचारशील व्यक्ति हैं और कम उम्र में ही जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है, मैं उनके विचारों को मानता हूं और उनकी इज्जत करता हूं, परन्तु उन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया उस पर मुझे आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र दोनों को एक जगह मिलाना उचित नहीं है और साथ ही उन्होंने बड़े-बड़े लोगों के नाम लिये । उन्होंने अपने बयान में नजीब, मेकार्थर और आईसेनहावर का जिक्र किया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब इसके उद्देश्य का उन्होंने विरोध किया । हमने इस देश में जनतन्त्र हुकूमत स्थापित की है । अध्यक्ष महोदय, क्या

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

मैं आपके द्वारा श्री नारायणदत्त जी से पूछा सकता हूं या उसतरफ के दूसरे माननीय सदस्योंसे पूछ सकता हूं कि क्या वह समझते हैं कि क्या आमतौर से हर एक बड़ा सैनिक इस सदन में आने को तैयार होगा, और अगर कोई सैनिक हो और उसमें पालिटिक्स में काम करने की शक्ति और लगन हो तो क्या हम उसको पालिटिक्स में आने से रोक देंगे और उसके लिये दरवाजा बन्द कर देंगे ? डेमोक्रेसी का यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि ऐसे आदमी को हम मौक़ा न दें और उसके लिये दरवाजा बन्द कर दें और उसके कैरियर से लाभान्वित न हों। हम तो चाहते हैं जैसा कि इस विधेयक में प्रावीजन किया गया है कि इस तरह से कार्यवाही की जाय या ऐसे लोगों को मौका दें जो कि सैनिक होते हुए भी, सेना से संबंधित होते हुये भी राजनीतिज्ञ हों और यहां आ करके देश की सेवा कर सकें। जैसे हमारे सामने जनरल कैरिअप्पा साहब जो हमारे कमांडर इन चीफ रह चुके हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत है, जिनकी सेवायें हम ले सकते हैं, तो अब तो हम को इस नतीजे पर पहुंचना है, ऐसी व्यवस्था करना है कि अच्छे से अच्छे राजनीतिज्ञ भी उन्हीं में से ले सकें जो हमारे फौजी आदमी हैं और फौज में काम करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जो विरोध विरोधी पक्ष की तरफ से किया जा रहा है वह कुछ मिस्अंडरस्टैंडिग की वजह से किया जा रहा है। वह लोग अपना विरोध वापस लेंगे और इस विधेयक को पास करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से माननीय गृह मंत्री जी का और दूसरे माननीय सदस्यों का भाषण सुना। मैं बहुत गौर करने के बाद भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर फौज वालों को हम विधान सभा में बुलाने के लिये यह सुविधा प्रदान करना चाहते हैं या विधान सभा वालों को फौज में जाने के लिये सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। हो सकता है कि दोनों बातें हों। विधान सभा वाले फौजी शिक्षा लेना चाहते हों, फौज की सुविधा से लाभ उठाना चाहते हों या माननीय न्याय मंत्री जी ही इसे बता सकते हैं कि फौज वाले लोगों को वह इस विधान सभा में लाना चाहते हैं और उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति उसमें नहीं है और जहां तक रामनारायण जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई आपत्ति की बात ऐसी नहीं है कि हम अपने सदन के माननीय सदस्यों को फौजी शिक्षा लेने से रोकना चाहते हों या उन्हें उस तरह की सुविधा का लाभ उठाने से रोकना चाहते हों। फौज के लोग भी अगर मेम्बर हो करके आना चाहें, जनता उन्हें चुने और वह आवें तो इस सुविधा को अगर सरकार उन्हें देना चाहे तो हम उसे भी इन्कार नहीं करेंगे। अब यह तो जरा माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारा देश जो है वह बेकारी के लिये बहुत मशहूर देश है और जब विधान सभा के माननीय सदस्यों को फौज में जा करके उसकी सुविधा का लाभ उठाने का अवसर मिले, उस अवसर पर यदि वह विधान सभा की सुविधा को छोड़ दें तो इसमें कोई अनुचित बात न होगी। माननीय रामनारायण जी का जो कहना है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, और जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यही है कि विधान सभा के, विधान परिषद के, पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों को "फौजी शिक्षा लेने से, फौज में जाने से कभी रोकने का मंशा हम लोगों का नहीं है। हम चाहते हैं कि जो इतनी क्षमता रखते हों, जिनका साहस हो, उन्हें जाना चाहिये और जितना भी उन्हें उत्साहित किया जाय अच्छा है। लेकिन एक उत्साह नहीं दिलाना चाहता हूं और वह केवल एक ही उत्साह से हम वंचित करना चाहते हैं अपने माननीय सदस्यों को जो वह दोनों जगह का आर्थिक लाभ न उठायें। अगर यहां का आर्थिक लाभ उठाते हैं तो वहां के आर्थिक लाभ से अपने को महरूम रखें और अगर वहां का आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं तो यहां का जो आर्थिक लाभ है उससे अपने को महरूम रखें। प्राफिट लफ्ज जो है, आफिस आफ प्राफिट का माने हिन्दी

में मोटे तौर पर हम समझते हैं "नफा"। तो दोनों जगह का नफा उठाने से अपने को रोकें तो मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति की बात नहीं होगी इधर के लोगों को कि हमारे माननीय सदस्य वहां न जायं। यदि वह दोनों लाभ उठाना चाहें और यदि इस बिल की भी मंशा यही है तो यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इसका विरोध करेंगे और विरोध करना चाहिये। देश हमारा इतना गरीब है कि एक आदमी के लिये एक जगह से तनख्वाह लेना, एक जगह से ही आर्थिक लाभ उठाना बहुत है और वह भी माननीय सदन के सदस्यों को अपने गुजारे भर के लिये तो मिल जाता है यहां से। अब उस गुजारे के बाद अगर वे फिर दूसरी जगह भी जाकर फायदा उठाना चाहते हैं तो यह हमारे देखने में अनुचित मालूम होता है और देश की अवस्था जो है वह इस चीज की मांग नहीं करती है। तो मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी इस पर सफाई करेंगे और इसी तरह के बिल को बनाने की चेष्टा करेंगे। मैं इस पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं समझता हूं क्योंकि मैंने माननीय गृह मंत्री और दूसरे माननीय सदस्यों के जितने भाषण सुने थे उनसे हमारी यह गलतफहमी दूर नहीं हो पायी थी हालांकि बातें बहुत लम्बी चौड़ी हो गयीं थीं। माननीय गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि माननीय त्रिपाठी ने जिस किताब का उद्धरण दिया उस किताब को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। हम माननीय गृह मंत्री की इस इच्छा का स्वागत करते हैं। मालूम नहीं गृह मंत्री जी ने कितनी किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मैं यह नहीं कहता कि जो किताबें अच्छी हैं उनको वे रद्दी की टोकरी में फेंक दें लेकिन जिन किताबों की टोकरी ढोने से हमारे देश की हालत बिगड़ी हुई है अगर ऐसी किताबों को वे रद्दी की टोकरी में फेंक दें तो हम समझते हैं कि हमारे देश का कल्याण हो जायगा। हम आगे सुनना चाहेंगे कि किन-किन किताबों को उन्होंने टोकरी में फेंकने को कहा है। मैं उनके सामने दावा नहीं कर सकता। जितनी उनकी विद्वता है जितनी उनकी जानकारी है उसके सामने हम लोग बच्चे हैं लेकिन हम इतनी जरूर उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी किताबें जिनके पढ़ने से हमारे देश में बेकारी बढ़े, जिन किताबों के पढ़ने से हमारे धन इकट्ठा होने लगे और उस धन के इकट्ठा होने का परिणाम यह हो कि दूसरे लोग भूखों देश में मरने लगें उन किताबों को, वे फेंकने की बात कहते हैं, हम कहते हैं कि जितनी जल्दी दफन कफन किया जाय उतना ही अच्छा है। मुझे यह कहने की नौबत इसलिये आयी कि इस विधेयक में मुझे इसकी गंध आयी कि एक विधान सभा का सदस्य यहां का भी लाभ उठाना चाहेगा और टेरीटोरियल आर्मी में या नेशनल कैडेट कोर में भी जा करके अगर यहां से कोई नफा उठा सकेगा तो उससे वह अपने को खींचेगा नहीं बल्कि वह वहां से भी नफा उठायेगा। इस बिल में हम को यह गंध आती है। अगर यह बात है तो हम इस बिल का विरोध करते हैं और मुझे आशा है कि माननीय न्याय मंत्री जी हमारा समर्थन करेंगे। अगर माननीय न्याय मंत्री जी की यह मंशा है कि विधान सभा के सदस्य दोनों जगह का लाभ उठायें तो फिर मैं यह समझता हूं कि इस बिल को उन्हें वापस लेना चाहिये और बिल को वापस ले करके दूसरी तरह से इसको रखें तब फिर हमारा समर्थन पूरी तरह से मिल सकेगा। हम हरगिज इस चीज को नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट, विधान सभा और विधान परिषद के माननीय सदस्य तालीम न लें और देश की रक्षा के लिये अपने को तैयार न करें हम तो यहां तक चाहते हैं कि इस देश का हर बच्चा फौजी बने और उसको एक सीमा तक फौजी तालीम दी जाय। लेकिन उस फौजी तालीम में मुल्क को गुलाम न बनाया जाय, मुल्क को निर्धन न बनाया जाय। इसी तरह से हम फौज वालों को कहां रोकते हैं। अगर सरकार इस बात के लिये राजी है और वह इस तरह का बिल लाना चाहती है कि उनको अधिकार है कि वे जनता में खड़े हो सकें और खड़े हो करके जनता के प्रतिनिधि हो करके आ सकें, तो हम यह समझते हैं कि यह सोचने की बात है, कोई विरोध करने की बात नहीं है। बस उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना था और ज्यादा तो इसमें स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरे के ऊपर लांछन लगाने या कुछ इस तरह की बात कहने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। यदि सफाई हो गयी होती तो हम समझते हैं कि इतना समय भी इस विधेयक पर न लगता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस समय सदन के सम्मुख उपस्थित है, जैसा कि अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया, मैं समझता

[श्री राजनारायण]

हूं कि उनकी मंशा से माननीय गृह मंत्री जी भी सहमत होंगे । जहां तक एक व्यक्ति के जरिये कुछ विधान संबंधी कार्यवाहियाँ हो जायं या उनकी बुद्धि से, उनके दिमाग से हम भी कुछ लाभ उठा पावें और कुछ विधान संबंधी लाभ उठाने के बाद अगर उनकी फौजी तालीम और योग्यता से देश का कल्याण हो और उसके बाद हम सबका कल्याण हो इसमें मैं समझता हूं कि सदन में दो मत नहीं है ।

मगर हां, इसमें हमारा गहरा मतभेद जरूर है । अगर कोई ऐसा जरिया बैकडोर का निकल आये कि एक आदमी कई रास्ते से आमदनी पैदा करे तो ऐसा नहीं होना चाहिये । इसलिये मुझे कुछ कहने की आवश्यकता महसूस हुई यद्यपि कि जब इस विधेयक के जनरल प्रिंसिपल पर हमारे कुछ वक्ता महोदय बोल गये थे तो मैं इस सदन में उपस्थित नहीं था । मुझे मालूम हुआ कि इस जनरल डिस्कशन में माननीय गृह मंत्री जी ने भाग लिया था, कुछ दूसरे विद्वान साथियों ने भी भाग लिया था और उसमें कुछ राष्ट्र हित और राष्ट्र विरोध की भी बातें आई थीं । अब इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहिये कि कौन राष्ट्र विरोधी आज है और कौन राष्ट्र विरोधी नहीं है ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन सर । लंच के पहले जब स्पीकर महोदय स्वयं बैठे थे उन्होंने मेरे भान को समझा था । मैंने किसी को राष्ट्रविरोधी नहीं कहा है । मैंने कहा था कि विचार एन्टी नेशनल मालूम होते हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं समझ नहीं पाया कि इस वाक्य के कहने मात्र से ही उसे हमारे मित्र ने अपने ही ऊपर कैसे समझ लिया कि उन्हीं के लिये मैं कुछ कह रहा हूं । ठीक है । लेकिन मेरा तीर जो कहीं और जा रहा था मगर उसको उन्होंने अपने ऊपर ही ले लिया ।

मैं फिर आपके जरिये सरकार से अपील करूंगा कि यहां पर सफाई के साथ वह तरीके हरगिज न खोले जायं इस विधेयक के जरिये कि एक व्यक्ति दो रास्तों से आमदनी पैदा कर सके । अगर ऐसा कोई रास्ता खुलता है इस विधेयक के जरिये तो मैं इसका विरोध करूंगा । इसलिये मैं समझता हूं कि श्रीमन्, आप माननीय गृह मंत्री जी को फिर मौका दें और इस पर वह सफाई करें कि जिस रूप में यह विधेयक यहां पेश है उसमें आमदनी के दो रास्ते खुल जायेंगे या नहीं खुल जायेंगे । अगर दो रास्ते खुल जाते हैं तो मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि आज इस बिल को वापस लिया जाय और इसको गवर्नमेंट सिलेक्ट कमेटी में भेजें जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य ने पहले भी कहा गृहमंत्री जी की बात सुनने के बाद मैं चाहूंगा कि चाहे सरकार की ओर से या चाहे मेरी ओर से एक मोशन आ जाय, यह सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और मैं इसका मोशन रखने के लिये तैयार हूं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । इसमें यह मूल परिवर्तन होना चाहिये कि कोई व्यक्ति चाहे वह विधान सभा के सदस्य की हैसियत से काम करे चाहे नेशनल कैडेट कोर या टेरिटोरियल आर्मी में काम करे लेकिन वह किसी भी तरीके से दो जगह से आमदनी न करे । अगर यह साफ हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इसके बाद हम सबकी आपत्ति खत्म हो जाती है और सर्वसम्मति से यह विधेयक भी पास हो जाता है । इसलिये इस प्रकार का कोई प्रापर मोशन लाने से पहले मैं माननीय गृह मंत्री जी से इतना जरूर चाहूंगा आपके जरिये कि इसकी जरा वह सफाई कर दें । और अगर आमदनी के दो जरिये होते हैं तो इस पर मेरा विरोध है और मैं निवेदन करूंगा कि कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जा करके इसमें परिवर्तन किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह कह देना मुनासिब समझता हूं कि गो अभी यह फारमली नहीं मूव नहीं किया गया है कि प्रवर समिति में यह विधेयक भेजा जाय । पर ऐसे सुझाव तो माननीय सदस्यों ने दिये हैं इसलिये माननीय न्याय मंत्री जी अपना उत्तर देते वक्त इसे प्रवर समिति में भेजने और न भेजने के संबंध में अपनी राय जाहिर कर देंगे ।

श्री सैयद अलीज़हीर---माननीय उपाध्यक्ष, पहले मैं सेलेक्ट कमेटी का ही जवाब दे दूं। यह सिर्फ १ दफा का बिल है और इसमें कोई ऐसी अहम चीज़ नहीं है जो सेलेक्ट कमेटी में जाय। किसी तब्दीली के लिये यहां भी संशोधन आ सकता था।

जहां तक आम बिल का ताल्लुक है, ऐसा तो मैं नहीं समझता, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐंटीनेशनल आइडियाज होने की वजह से उसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन कुछ गलतफहमी हुई है कि क्या-क्या इस बिल में आ सकता है जिसके सबब से मुखालिफत की गई है। बिल में सिर्फ यह है कि जो दो ऐक्ट बने हुये हैं, एक तो टैरीटोरियल आर्मी ऐक्ट और दूसरा नेशनल कैडेट कोर, इनमें यहां के नागरिकों को, उनकी शरायत पूरा करने पर, जाने का हक हासिल है और ट्रेनिंग ले सकते हैं।एक शर्त उसमें यह है कि उनकी उम्र १८और ३५ साल के बीच में हो। अगर माननीय राजनारायण जी और दूसरे मेम्बरान गौर करेंगे तो बहुत से मेम्बरान तो इसी में निकल जावेंगे। ऐसे मेम्बर भी हैं, जैसे राजनारायण जी या नारायणदत्त जी, जिनके लिये हम यह चाहते हैं कि अगर उनका जी चाहे तो वे उसमें शरीक हो सकें। जब एक नागरिक शरीक हो सकता है और ट्रेनिंग ले सकता है तो कोई वजह नहीं है कि कोई सदन का मेम्बर होने से ही उसमें शरीक न हो सकें। जैसा उपाध्यायजी ने कहा कि लड़ने के लिये वे सब तैयार हैं और लाल टोपी और सफेद टोपी सब एक हो जायगी और साथ-साथ लड़ेंगे, तो यह अपनी जगह पर है। लेकिन इससे पहले तैयारी की जरूरत है। जैसा और मुल्कों में भी है, टेरिटोरियल आर्मी को सेकिंड लाइन आफ डिफेंस कहा जाता है। बहुत से लोग मुलाजिम हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं वे शामिल हो सकते हैं तो यहां के मेम्बरान के ऊपर क्यों रोक रखी जाय। इसका तो सिर्फ इतना मंशा है कि अगर कोई राइटलैफ्ट करके मार्च कर सकता है या खीमा लगा सकता है तो वह उससे नाआशना न रहे। जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि या तो आप चाहते हैं पूरी फौज लेजिस्लेटिव असेम्बली में आजाय या यहां के सब मेम्बर फौजी हो जावें, तो इन दो में से कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद केवल इतना है कि नागरिक यह ट्रेनिंग हासिल करके तैयार रहें ताकि अगर जरूरत हो तो वे फौजी काम अंजाम दे सकें।

मुनाफे के लिये माननीय गृह मंत्री ने साफ कहा था कि कोई तनख्वाह या भत्ता नहीं है। सिर्फ यह है कि जितने दिन वहां काम करेंगे यानी फौज में जाकर ट्रेनिंग लेंगे वहां वही हकूक उनको मिलेंगे जो और फौजियों को मिलते हैं ताकि वह अपने फ़रायज को अंजाम दे सकें। और यह चन्द महीने की बात है, कभी एक महीना कभी दो महीने। इससे ज्यादा की ट्रेनिंग, जहां तक मैं समझता हूं, एक वक्त में नहीं होती है। और वह भी जब एक आदमी की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फिर वह नहीं बुलाया जाता है। वह तो सिर्फ उतने दिन जितने दिन वह ट्रेनिंग हासिल करेगा उसको सहूलियतें मिलेंगी और मुझे यकीन है कि हमारे यहां के माननीय सदस्य जब शुरू करेंगे तो सिवाय एक सिपाही के दर्जे के इससे ज्यादा रुतबा उनका शुरू में नहीं होगा क्योंकि किसी को ट्रेनिंग पहले से हासिल नहीं है। इसलिये जाहिर है कि वह ऐसी रकम नहीं होगी कि जिसके लालच में वे अपने सिद्धांत को बदल दें या जिसकी वजह से यह समझा जाय कि वे अपने फरायज को सही तरीके से अन्जाम नहीं दे सकेंगे। और यह समझना कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि एक आदमी को दो जरिये आमदनी के हो जायं यह बिलकुल ग़लतफहमी है और मेरे ख्याल में इस बिल के मकसद को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है लेकिन अगर वह समझा जाय तो मुझे यकीन है कि यह समझ में आजायेगा कि कोई शख्श ऐसा नहीं होगा जो महज पैसे के लालच में इसमें शरीक हो। वह अगर जायगा तो महज आजाद हिन्दुस्तान के बाशिन्दे की हैसियत से वह अपना फर्ज समझेगा कि हम ट्रेनिंग हासिल करके उस दिन के लिये तैयार रहें कि शायद हमारी कभी पुकार हो और हमें दुश्मन का मुकाबिला करना पड़। यही दो मकसद हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आप में से कोई ऐसा समझता है कि अगर एक ऐसे अच्छे मकसदके लिये हम मौका मोहय्या करते हैं मेम्बरों के लिये कि इससे उनकी मेम्बरी खत्म नहीं होगी। तो कोई बेजा काम है? और जहां तक डिसक्वालिफिकेशन का सवाल है उसके लिये तो कई ऐक्ट बन चुके हैं। तीन ऐक्ट तो मेरे सामने हैं, ऐक्ट नम्बर १९ सन् १९५१ का, ऐक्ट नम्बर ४ सन् १९५२ का और ऐक्ट नम्बर १३ सन १९५२ का। इन ऐक्ट्स के बनते वक्त अंग्रेजी

[श्री सैयद अली ज़हीर]

क़ानूनों और मेज़ पार्लियामेंटरी प्रक्टिस वगैरह पर अच्छी तरह से बहस हुई थी और अगर किसी को दिलचस्पी है जैसे हमारे तिवारी जी और त्रिपाठी जी तो वे उस बहस को देखें उसमें उनको सब चीजें मिल जायंगी। ये सब मामलात यहां पर डिसकस हो चुके हैं। जहां तक इस कानून का सवाल है इसमें तो कोई ऐसा उसूल इनवाल्वड नहीं है। यह तो महज इस लिये है कि एक आजाद मुल्क के लिये यह जरूरी है कि एक सेकेंड लाइन आफ़ डिफेंस मौजूद हो। यह एक नामुनासिब चीज भी है कि मेम्बरों के लिये डिसक्वालिफिकेशन हो कि जो मेम्बर हो गया लेजिस्लेटिव असेम्बली का अगर वह जाना चाहे तो नहीं जा सकता। तो महज इस बिल के जरिये एक इजाजत रहेगी कि वे उस ट्रेनिंग को हासिल कर सकें। मुझे यकीन है कि अगर हमारे विरोधी दल के लोग अच्छी तरह से समझ जायं कि इसकी गरज क्या है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। जहां तक फौजियों का ताल्लुक है, आइसनहोवर या जनरल नजीब का तो मैं अर्ज करूं कि जो फौजी है वह न तो असेम्बली का मेम्बर हो सकता है और न हममें से कोई फ़ौज में जाकर मुलाजिमत कर सकता है। वह तो बिलकुल एक अलग चीज है। जैसे और नौकरियां है वैसे ही फ़ौज की नौकरी भी है। हमारी यह नीयत नहीं है कि हम यहां फ़ौजियों को ले आयें या सब फ़ौजी बन जायं। मकसद तो सिर्फ यह है कि अगर हमारें यहां कोई नौजवान मेम्बर है, जैसे तिवारी जी और उनके दिल में फौजी ट्रेनिंग लेने की और वक्त पड़ने पर मुल्क की हिफाजत करने की ख्वाहिश हो तो महज मेम्बर होने की वजह से वह उससे मजबूर न हो जाय। इस मकसद से ही हमने इसको पेश किया है और मुझे यकीन है कि इस गरज को समझने के बाद कोई साहब इसकी मुखालिफ़त नहीं करेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सेलेक्ट कमेटी वाली बात का जवाब नहीं दिया गया क्योंकि जो शिडचूल था उसके मुताबिक गन्ना सम्बन्धी विधेयक पर आज विचार होना था, चूंकि उस पर अमेंडमेंट नहीं आये इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उस पर कल विचार होगा। चूंकि इस पर आज बहस हो रही है इसलिये इस पर अमेंडमेंट आज ले लिये जाने चाहियें। अगर आप-हमने जो अमेंडमेंट दिया है उसको मंजूर कर लेंगे तो हम अपना सेलेक्ट कमेटी वाला सवाल उठा सकते हैं, अगर अमेंडमेंट अलाऊ नहीं होगा तो वह वैसे ही रहेगा।

मैं आपके जरिये से माननीय न्याय मंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमने केवल एक बात यह अर्ज की थी और उसको शायद माननीय न्याय मंत्री समझ नहीं पाये, कारण यह है कि वह हिन्दी समझ नहीं पाते इस कारण से अक्सर वे दूसरा ही मतलब समझ जाया करते हैं। हम आपके जरिये से उनकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहते हैं कि अगर कोई सेंकिड लाइन आफ डिफेंस में जाना ही चाहता है तो फिर वह असेम्बली की सैलेरी न ले। जब भत्ता वहां से उसको मिलेगा तो फिर असेम्बली की सैलेरी उसको क्यों मिले ? मैं यह जानता था कि इससे पहले भी कई मर्तबा डिसक्वालीफिकेशन्स रिमूव हुई हैं और उनसे बड़ा अनर्थ हुआ है और लोगों ने उन दोनों जरियों से हजारों रुपये का लाभ उठाया है। इसलिये हम माननीय न्याय मंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जिन दिनों कोई सदस्य ट्रेनिंग ले उन दिनों का उसे भत्ता मिलेगा और सैलेरी नहीं मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे अभी तक केवल एक संशोधन की सूचना मिली है, मैंने न्याय-मंत्री से उसके बारे में परामर्श ले लिया है और मैं समझता हूं कि न्याय मंत्री को उसके पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिये मेरे ख्याल से प्रवर समिति को भेजने के बारे में जो बात है उसको माननीय सदस्य वापिस ले लें गो प्रस्ताव तो अभी बाज़ाप्ता पेश नहीं हुआ है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये कोई भी व्यक्ति इस कारण से अनर्ह न होगा। (shall not be disqualified) कि वह टेरीटोरियल आर्मी ऐक्ट, १९४८ के अधीन टेरीटोरियल आर्मी में अथवा नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, १९४८ के अधीन नेशनल केडेट कोर में भर्ती (enrolled) है।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड २ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ाने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति केवल एक समय में एक ही पद का वेतन तथा भत्ता प्राप्त करेगा।"

श्रीमन्, अभी हमारे माननीय विरोधीदल के नेता ने इस सिद्धान्त को अच्छी तरह प्रतिपादित कर दिया कि सेकेंड डिफेन्स की आवश्यकता को समझते हुए अगर सरकार यह चाहती है कि इस विधान सभा के सदस्यों को इस बात का मौका दिया जाय कि वह भी इस प्रकार की ट्रेनिंग हासिल कर सकें तो वह तरीका एक स्वयं सेवक का तरीका होना चाहिये। एक स्वयंसेवक के रूप में, एक रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्र सेवक के रूप में, अगर वे शिक्षा प्राप्त करें तो अच्छा होगा बजाय एक आफिस आफ प्राफिट की भावना से। चूंकि आफिस आफ प्राफिट एक डिसक्वालिफिकेशन्स होती है, उससे बचाने के लिये यह बिल आप ला रहे हैं ताकि मेंबरान डिसक्वालिफाई न हों और उनको यह लाभ भी होता रहे तो यह द्वैध वृत्ति लाभ प्राप्त करने की इसमें न होनी चाहिये। जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि उपयुक्त नहीं लगता कि ट्रेनिंग प्राप्त करें टेरिटोरियल आर्मी में लेकिन विधान सभा के सदस्य होने की हैसियत से हम यहां से वेतन प्राप्त करें या नहीं तो विधान सभा में हों या अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हों लेकिन टेरिटोरियल आर्मी के किसी पद से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। ये दो बातें परस्पर विरोधी हैं। इसलिये बात यह है कि जिस समय टेरिटोरियल आर्मी में काम कर रहे हों उस समय तो उसका वेतन प्राप्त करें और अगर वहां काम न कररहे हों या विधान सभा में काम कर रहे हों तो विधान सभा के सदस्य की हैसियत से वेतन प्राप्त करें। इसलिये कि अगर दोनों जगह से वेतन लिया जायगा तो जो वेतनों का अतिक्रमण हो जायगा या सब मिलाकर या जोड़कर जो वेतन या भत्ता प्राप्त करेंगे उसकी एक बड़ी लम्बी लिस्ट तैयार हो जायगी। इस तरह से इस भवन की कमजोरी हटाने के लिये या डिसक्वालिफिकेशन हटाकर क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिये जो माननीय विरोधी दल के नेता ने अपना सुझाव दिया है उसी को मैंने अपने इस संशोधन के रूप में, इस सदन के सामने उपस्थित किया है। मुझे आशा है कि माननीय न्याय मंत्री हमारे इस भवन को स्पष्ट रूप से समझा देंगे और आवश्यकतानुसार इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री सैयद अली जहीर---आप चाहते क्या हैं, जरा संशोधन फिर से पढ़ दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा संशोधन यह है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति केवल एक समय में एक ही पद का वेतन तथा भत्ता प्राप्त करेगा।"

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं। वजह उसकी यह है कि जैसा मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि इसी के साथ मैं यह नहीं समझता कि कोई शख्स वहां महज कुछ पैसे पाने के लिये या कुछ रुपये वहां से पा जाने के लिये अपने को टेरिटोरिअल आर्मी में नामजद करेगा, बल्कि अगर वह करेगा तो इस नीयत से करेगा कि लेजिस्लेटिव असेम्बली का मेम्बर रहते हुए एक ट्रेनिंग हासिल कर लें और उस ट्रेनिंग से आयन्दा चलकर कभी कुछ फायदा हो, लेकिन अगर कोई शख्स यह चाहता है कि हम टेरिटोरियल आर्मी या फौज से कोई मुस्तकिल फायदा हासिल करें तो उसके लिये साफ रास्ता खुला हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेम्बली से इस्तीफा दे दें, और महज टेरिटोरिअल आर्मी में रहें। लेकिन अगर कोई शख्स टेरिटोरिअल आर्मी में रहते हुए कुछ ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है और उस ट्रेनिंग के साथ आर्मी रूल्स के मातहत फर्ज कीजिये कि उसे कुछ मुनाफा मिलता है उस दौरान के लिये जब कि वह उसमें रहता है तो जाहिर है कि इसके लिये किसी तरह से भी यह मुनासिब नहीं हो सकता कि इस किस्म की कोई तरमीम यहां कर दी जाय। आप तनख्वाह के मामले को छोड़ दीजिये, जहां तक डिसक्वालिफिकेशन्स का ताल्लुक है यह तो खुद तसलीमशुदा है कि उसमें किसी आमदनी का ताल्लुक नहीं है, इसमें यह सवाल नहीं होता कि उसे कितना मुनाफा या रुपया मिलता है या नहीं मिलता है। महज एक ओहदे का होना ही उसके लिये काफी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ हो चाहे उससे एक पैसे की भी आमदनी न हो लेकिन वह डिसक्वालिफिकेशन के अन्दर आ जायगा। जहां तक डिसक्वालिफिकेशन का ताल्लुक है उसके लिये एक पैसे की आमदनी होना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ ओहदे की बात है, सिर्फ एक ओहदा वह हासिल कर ले तो डिस्क्वालिफिकेशन के अन्दर आ जायगा। तो इस वजह से पैसे वाली जो बात कही है वह तो बिल्कुल गैर जरूरी है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक तनख्वाह की बात है उसको सभी मेम्बर अच्छी तरह जानते हैं कि जब यहां पर दो तीन महीने तक असेम्बली नहीं बैठती है तो भी उसकी तनख्वाह सभी लेते ही हैं। इसलिये टेरिटोरिअल आर्मी के लिये भी यह चीज लागू नहीं होती है। इसका असली मकसद व गरज उसके टेरिटोरिअल आर्मी में शिरकत करने से है जिसे अच्छी तरह ऐप्रिशिएट नहीं किया गया है। और मैं समझता हूं कि इस तरह का सवाल यहां उठाना ठीक नहीं है, यह बिल्कुल गैर-जरूरी है।

श्री राज नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायणदत्त तिवारी ने उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मुझे इस बात पर बड़ी खुशी होती अगर मंत्री जी सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव के स्वीकार करने में सहायक हुए होते लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बातें इस संशोधन के जरिये से माननीय मंत्री जी अपनी उक्ति में पेश कर रहे हैं, एक प्रकार से घुमा फिरा कर माननीय मंत्री जी ने जितनी बातें कहीं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उससे अपनी सहमति प्रकट करते हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि छुट्टी होते हुए विधान सभा के सदस्य खाली रहते हैं तो खाली समय में वह ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें मैं फिर आपके जरिये यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमें तनिक भी आपत्ति नहीं है छुट्टी के समय या विधान सभा की कार्यवाही चलती हो तब भी जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहें वह न लें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री के अस्वीकार कर देने के बाद इस समर्थन से क्या लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मेम्बर को इसका अधिकार है।

श्री राजनारायण--इस समय हमारे माननीय हाफिज साहब भी यहां आ गये हैं बुजुर्ग मेम्बर आफ दी हाउस हैं। वह भी सुनें और गौर करें और न्याय मंत्री को मश्विरा दें कि वह इस अमेंडमेंट को कबूल करें। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि यह विधेयक जिस रूप में यहां पर है अगर उसी रूप में पास हो जाता है तो हमारी जो मंशा है उसकी पूर्ति नहीं होती। कहा गया कि जो लोग यहां से ट्रेनिंग लेने जायंगे वे इतने नीचे स्तर के नहीं होते कि वे केवल पैसा लेने के लिये जायंगे। इस बात को तो मैं कबूल करता हूं कि जो लोग ट्रेनिंग लेने के लिये जायंगे वे इतने नीचे स्तर के नहीं होंगे कि पैसे के लिये जायं, अगर यह बात सही है तो फिर एक कंडीशन रख देने में क्या आपत्ति हो सकती है कि हम पैसे के लिये नहीं जा रहे हैं और हमें उस पीरियड की विधान सभा से जो सैलरी मिलती है उस पीरियड की क्यों लें जब कि हमें भत्ता वहां मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितने दिन वे रहेंगे उसका वह भत्ता पायेंगे। उस भत्ते का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि हम वहां भत्ता भी लें और विधान सभा के सदस्य होने के नाते २०० रुपये माहवार तनख्वाह भी लें, ये दोनों बातें न होनी चाहिये। मैं आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं। यह जो जरिया खोला जा रहा है यह दोनों तरफ की आमदनी का जरिया है। अगर कोई वहां ट्रेनिंग के लिये जाय तब तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी भावना सही हो रही है लेकिन अगर वह यह कहते हैं कि जाने वाले नीच के स्तर के नहीं हैं, पैसे के लिये वहां नहीं जायंगे तो पैसे की गुंजाइश ही क्यों रखी जाती है। श्रीमन् न्याय मंत्री माननीय गृह मंत्री से बात कर रहे हैं, शायद स्वीकार करने के लिये सलाह मशविरा हो रहा है। इसलिये मैं दो मिनट के लिये चुप रहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपकी तरफ भी उनका ध्यान है।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, मैं अपील करना चाहता हूं और आपके जरिये इस बात को जरा साफ कर देना चाहता हूं कि शायद माननीय न्याय मंत्री जी को इस बात की जानकारी न हो और वह अपने कोलीग से जो पहले भी इस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं उनसे जानकारी हासिल कर लें तो उनको मालूम हो जायगा कि इस तरह की डिसक्वालिफिकेशन्स पहले भी यहां से हटाई जा चुकी है, जिसकी चर्चा उन्होंने भी की। क्या उस डिसक्वालिफिकेशन्स के रिमूवल से ऐसी हालत नहीं पैदा हुई है कि लोग दो दो तरफ से पैदा करते हैं और कइयों ने तो कई हजार रुपया मासिक आमदनी की है। उनके दल के लोगों ने भी कई बार इसकी टीका टिप्पणी की है और अखबारों में इसकी टीका टिप्पणी हुई है और हमारे दल के लोग तो बुनियादी तौर से इसकी मुखालिफित करते ही हैं। अगर माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी होती, मैं समझता हूं कि उनको जानकारी नहीं है, तो इस तरह की लचर दलील लेकर इस सदन में न खड़े होते। मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसी हालत न पैदा होने दें कि एक ओर हम ईमानदार हैं उसका ढोंग पीटें और दूसरे रास्ते से हम चोरी करें। केवल ईमानदारी का ढोंग पीटने से हम ईमानदार नहीं कहे जा सकते। इसलिये माननीय नारायणदत्त जी ने इस संशोधन के साथ इस बात की कोशिश की है कि ऐसी परिस्थिति हम रहने ही क्यों दें जिससे हम दो जरिये से आमदनी कर सकें। अगर हमारे दिल में लगन है, चाव है, ख्वाहिश है ट्रेनिंग लेने की तो क्या उतने पीरियड के लिये हम इस सदन की सदस्यता की जो सैलरी हैं उसको छोड़ नहीं सकते, और यही कसौटी होगी हमारी लगन की, चाव की, इच्छा की, मनोवृत्ति की कि यहां की सैलरी छोड़ कर नेशनल कैडेट कोर में या टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग पा सकें। मैं अब इस सम्मानित सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना अपील करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से और इस सदन के सम्बन्धित सम्मानित सदस्यों से और जो विधान सभा के कार्यवाहियों से खूब परिचित माननीय मंत्री लोग बैठे हुए उनसे कि इस अमेंडमेंट को अवश्य स्वीकार करें। इसमें किसी अपमान की बात नहीं है। महात्मा

[श्री राजनारायण]

गांधी अपनी हिमालयन ब्लंडर्स को स्वीकार कर लेते थे। इसमें कोई इज्जत नहीं जाती। उसी तरह से अगर वे इस अमेंडमेंट को समझ लेने के बाद अब स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी इज्जत नहीं जाती। यह पार्लियामेंट्री प्रणाली के लिये कोई दोष भी नहीं माना जायगा कि एक बार अस्वीकार करके उसी अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की आकृतियों से जो अन्दाज लगा सकता हूं वह यही है कि हमारे अमेंडमेंट के साथ बहुमत है। इसलिये श्रीमन्, मैं अपने मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक्स्प्लेन न करें। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इसके जरिये से इस बात की गुंजायश नहीं रह जाती कि लोग यहां की सैलरी भी लें और वहां का भत्ता भी लें। श्रीमन् मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। भत्ता बहुत ऊंचा भी हो सकता है। कितना भत्ता हो सकता है यह तो बड़ा व्यापक सवाल है। मैं उसमें इस समय नहीं जाना चाहता। लेकिन माननीय मंत्री जी ने आफिस आफ प्राफिट का सवाल उठाया। श्रीमन्, अगर इन तमाम विवेचनाओं में जाया जाय तो उनको मालूम होगा कि बहुत जगह इसको डिस्क्वालिफिकेशन माना भी गया है और बहुत जगह नहीं भी माना गया है और कोई भी साधिकारपूर्ण बात इस सम्बन्ध में अभी तक निश्चित नहीं हो सकी कि पोस्ट आफ प्राफिट के क्या माने हैं कि जब लोग पैसा लेते हों तब वह पोस्ट आफ प्राफिट माना जायगा या जब केवल पद रखेंगे तब भी पोस्ट आफ प्राफिट माना जायगा। ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा इस पोस्ट आफ प्राफिट की नहीं है। मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत से लोगों की नामजदगी के पर्चे खारिज किये गये हैं जिनको पोस्ट आफ प्राफिट से पैसा नहीं मिलता था और बहुत से लोगों के पर्चे उसी कारण पर नहीं भी खारिज किये गये हैं। वहां पर रिटर्निंग अफसर ने भी यही बात मानी है कि जिस पोस्ट से कोई मासिक भत्ता नहीं मिलता है तो उसको पोस्ट आफ प्राफिट नहीं माना जायगा। इस पिछले जनरल एलेक्शन के जमाने में रिटर्निंग आफिसर ने दोनों रास्तों को अडाप्ट किया। माननीय मंत्री जी की जो राय है हो सकता है और लोग भी उनकी राय से इत्तफाक करें मगर यह राय सर्वमान्य नहीं हो सकती और न साधिकारपूर्ण तरीके से यह कहा जा सकता है कि किसी विधान सभा ने पोस्ट आफ प्राफिट की परिभाषा यह मानी हो। एक जनरल टर्म में उसको इस्तेमाल किया जाता है और जिसको जैसा अवसर मिला है उससे उसने फायदा उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी से बड़े अदब के साथ फिर यह अर्ज करूंगा और बड़ी उम्मीद के साथ अर्ज करूंगा कि वह हमारे इस संशोधन को जरूर स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत करीब आ गया है और बिल्कुल जमीन पर आ गया है। पहले तो हम लोग कहीं और घूम रहे थे। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन अब बात बहुत समझ में आने के लायक हो गयी है। अभी एक माननीय मित्र ने कहा कि मामला बहुत बड़ा नहीं है। सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग होगी और वहां पर एक महीने की ट्रेनिंग के लिये केवल हमको २७ रु० मिलेगा। तो फिर कुछ ऐसी बात समझ में आयी कि अब तो मामला बहुत हल्का है और अगर २७ रुपये का मामला है तो इसको हम त्याग करने के लिये तैयार हो जायं। हम लोगों के लिये और भी काफी सुविधायें हैं और लाभ के फेर में न पड़ें। अगर ब्रज बिहारी जी जैसे आदमी फौज की ट्रेनिंग के लिये तैयार होते हैं तो मैं तो उनसे छोटा हूं और माननीय उद्योग मंत्री जी, मुझे कितना ही बूढ़ा बनायें लेकिन फिर भी हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब विधान सभा के सदस्य होने के नाते हमको गुजारे के लिये मिल जाता है तो ऐसी हालत में इस २७ रुपये को हम छोड़ दें ताकि इस रुपये से कुछ और लोगों की ट्रेनिंग हो जाय। हमको इतना पैसा मिल जाता है कि जिससे हम दारुलशफा में रह सकते हैं और यह ट्रेनिंग यहां पर रह कर ले सकते हैं। इसलिये कि यहां पर नेशनल केडेट कोर

और टेरिटोरियल आर्मी दोनों तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। हम यहां पर रहते हुये इस काम को कर सकते हैं। अगर हमारे माननीय मंत्री जी को यह दिक्कत हो कि दारुलशफा में रहने के लिये कुछ खर्चे का प्रबन्ध करना जरूरी है तो यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हम कहीं भी रहकर चाहे कोई भी जगह हो जमीन हो, झोपड़ी हो रहकर नेशनल केडेट कोर की या टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को हम ले सकते हैं। असल में जो दिक्कत लोगों को है वह २७ रुपये के बारे में है उसके बारे में मैं बहुत थोड़े में कहता हूं कि लोग उसको छोड़ दें और किसी प्रकार से किसी लोभ की तरफ न बढ़ें। जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उधर के बहुत से सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी इच्छा है कि तो इस तरह का बिल पास हो और हम भी चाहते हैं कि पास हो लेकिन साथ ही उसमें अगर कोई गुंजायश इस बात की हो कि तो जो यह संशोधन नारायण दत्त जी ने पेश किया है उसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें और उसमें उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय को इसके स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद) — उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत सरल सा मसला हमारे सामने है। मेरा ख्याल है इसमें शायद ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको कभी कोई इस तरह की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला हो। हमको यूनीवर्सिटी ओ० टी० सी० की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है। मैं यह समझता हूं कि ऐसी ट्रेनिंग में कितना खर्चा सरकार का होता है। अब आप इसको ज़रा ग़ौर से समझें। २०० रुपया माहवार हमारे एम० एल० एज़० को उस जमाने में भी मिलते हैं जब कि वह असेम्बली में नहीं रहते, जब कि असेम्बली सेशन नहीं होता यानी अगर असेम्बली साल में ६ महीने होती है और अगर कोई सदस्य हर हफ्ते एक बार हाजिरी दे जाय तो वह साल भर तक २०० रुपया माहवार ले सकता है, हाजिरी देगा सिर्फ एक महीने और ११ महीने की तनख्वाह वह ले सकता है लेकिन अगर्चे वह आदमी देश के हित के लिये एक या दो महीने की ट्रेनिंग के लिये जाता है तो कहा जाता है कि उस वक्त उसको यहां की तनख्वाह न मिलना चाहिये। दूसरी बात यह सोचें कि जब असेम्बली होती होगी उसी वक्त के लिये वह होना चाहिये क्योंकि उसी वक्त आपको तनख्वाह का फर्क़ होना मालूम पड़ता है वर्ना जब काम नहीं करते तब तो २०० रुपये लेते ही हैं लेकिन जब असेम्बली होती है उस वक्त भी यह मौक़ा है कि आपको तनख्वाह मिलती रहे बशर्ते कि आप हफ्ते में एक बार हाजिरी दे दें। आपको मालूम होगा कि असेम्बली के जमाने में दस रुपया रोज आपको एलाउन्स मिलता है और जो टेरिटोरियल आर्मी में जायंगे उन पर कभी इतना खर्च नहीं होता जितना यहां होता है यानी दस रुपया रोज नहीं मिलेंगे क्योंकि एक दो महीने के लिये वह जायंगे। आम तौर से ऐसी ट्रेनिंग थोड़े दिन के लिये ही होती है और दो तीन साल तक फिर ट्रेनिंग का मौका नहीं होता। और न तनख्वाह मिलने का मौक़ा होता। होता इतना है कि उनको किट मिलता है खाने को मिलता है और बन्दूक चलाने का मौका मिलता है और वहां की डिसिप्लिन को कायम रखने के लिये रोज के खर्च के लिये दो चार रुपये और सिगरेट वग़ैरह पीने के लिये मिल जाते है बाक़ी वहां कोई वेतन नही मिलता। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ी आफ़त आने वाली है या कोई हजारों रुपये बग़ली तरीके से लोग वसूल कर लेंगे, ऐसा कोई मौका नहीं है और न कोई ऐसी चीज है कि जिसकी तरफ इशारा हो रहा है और कोई मौक़ा १ पैसा भी कमाने का नहीं है। बल्कि हमारे एम० एल० ए० भाइयों का तो कुछ पास से भी खर्च हो जायंगे और घर वालों को वहां से कमा कर कुछ देने का मौका न होगा और दो तीन महीने की जो ट्रेनिंग होगी उसमें सौ पचास घर से ही उन्हें खर्च करना होगा। ऐसी हालत में यह समझना कि इससे उनके पास कोई बहुत बड़ी रक़म इकट्ठी हो जायगी या कोई बड़ी आमदनी हो जायगी यह ग़लत है। आज भी जो वकालत करते हैं, मास्टरी करते हैं, प्रोफेसर हैं या डाक्टर हैं उनके लिये कोई रुकावट नहीं है मामूली तरीक़े से यह तो मौका दिया जा रहा है कि

[श्री मंगला प्रसाद]

आप लोग भी ट्रेनिंग पाना चाहें तो पा सकें। किसी के दिमाग़ में भी यह फ़ितूर या देश की मोहब्बत हो सकती है कि वह ट्रेनिंग ले और अगर जरूरत पड़े तो जान को कुरबान करके मुल्क की आजादी को बचावे। इसलिये इस छोटी सी चीज़ के लिये मुखालिफत करना मैं समझता हूं कि मुनासिब न होगा और इससे कोई आमदनी की सूरत पैदा नहीं होती जैसा कि कुछ लोगों का ख़याल है।

श्री चन्द्र सिंह रावत (ज़िला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें।

श्री चन्द्र सिंह रावत---मैंने जितने भी माननीय सदस्यों के इस विषय पर भाषण सुने हैं मैं उनके संबंध में कह सकता हूं और दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि उनको आर्मी लाइफ का बहुत कम तजुरबा मालूम होता है। वे ग़ैर तजुर्बेकार हैं। इस मसले पर इस सदन में बहस मुबाहसा चल रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि टेरिटोरियल फोर्स और इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको हमें विस्तृत दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखना है। इसका जो उद्देश्य है उसको मैं सदन के सामने एक्स्प्लेन करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह क्यों इस प्रकार का कानून बनाया जा रहा है। इसलिये कि माननीय सदस्य टेरिटोरियल फोर्स और दूसरी इस प्रकार की संस्थाओं में भरती हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इस संशोधन पर जो बहस हो रही है, उसी पर अपना भाषण सीमित रखें।

श्री चन्द्र सिंह रावत---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद संशोधन पर आ रहा हूं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जो संशोधन यहां उपस्थित है वह बिल्कुल तथ्यहीन है और बेकार है। अगर वह इस बिल के उद्देश्य को समझ गये होते तो वह खुद भी यह कदम आगे न बढ़ाते। क्योंकि उसके माने यह हैं कि इस सदन के जितने माननीय सदस्य हैं वह जनता के अन्दर काफी प्रभाव रखते हैं और जब कभी मुल्क में एमर्जेंसी हो उस जमाने में सब रेक्रूटिंग आफिसर का काम करेंगे क्योंकि जनता के ऊपर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और वह नौजवानों को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसलिये यह बहुत जरूरी है। जो लोग काफी तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने जनता के अन्दर काम किया है, जो इस मुल्क की जिन्दगी में दखल रखते हैं मैं समझता हूं कि उनका फौजी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है ताकि हमारे देश की सुरक्षा अच्छी प्रकार से हो सके। ऐसे लोगों को इस प्रकार की पोस्ट पर रखना और उनके लिए ऐसा मौका पैदा करना जरूरी है। इसलिए जो अमेंडमेंट मेरे लायक दोस्त ने पेश किया है वह उसको सही सलामती से वापस ले लें। मैं समझता हूं कि वह खुद इसकी जरूरत को महसूस करेंगे जब कि सही तरीके से उनके सामने पेश कर दिया जाता है और नई रोशनी उनके दिमाग की खिड़कियों से उनके दिमाग में घुसती है। उसी को बुद्धिमान आदमी कहते हैं जो सही तर्क के सामने घुटने टेक दे। इसमें कोई सम्मान हानि नहीं है बल्कि वह और भी अपने को सम्मानित करता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जहां तक यह सफाई का सवाल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है वहां पर जो ट्रेनिंग होगी उसमें करीब २७ रुपये ही खर्चा होगा, २७ रुपये मैं समझता हूं इतनी बड़ी

भारी रक़म नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने यह इशारा किया था कि जो अफ़सर या सिपाही ट्रेनिंग को जाता हो उसे तनख्वाह उसी रैंक की मिलेगी जिस रैंक का वह अफसर है। टेरिटोरियल आर्मी, या नेशनल केडेट कोर में सिर्फ सिपाही की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसमें कैप्टेन बन जाते हैं, मेजर बन जाते हैं। उसकी तनख्वाह दो सौ रुपये न रह कर एक हजार रुपये या १५ सौ रुपये हो जाती है। यह सारी चीजें रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज बिल में नहीं हैं। तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह सिर्फ ट्रेनिंग होती है और थोड़े से रुपये खर्च होते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें थोड़ा सा रुपया खर्च होता है तो मैं तो यह समझता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्यों के लिए भी यह बड़ी तौहीनी की बात है कि हम २७ रुपया लेकर वहां जायं और ट्रेनिंग लें।

जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा है कि जब हमें एक जगह तनख्वाह मिलती है और मैं तो यह कहूंगा कि अगर यह कानून ऐसा बनाया जाय कि इस सदन के हर माननीय सदस्य को जरूरी है कि मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करें तो मैं समझता हूं कि उसमें हम सबका सहयोग रहेगा। शिवनारायण जी तो उसमें आयेंगे नहीं, क्योंकि जब उन्हें कुछ मिलेगा तभी वह जायेंगे, वैसे तो जायंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि कम्पलसरी ट्रेनिंग होना ज्यादा आवश्यक है। वैसे तो जो ग़लतफहमी थी वह तो माननीय मंत्री जी ने शान्त कर दी लेकिन उस पर जो भाषण हुए वह यह कि देश में भारी खतरा है, हम लोग विरोध में हैं, ट्रेनिंग नहीं चाहते हैं, देश की बचत उन्हीं के हाथ में होगी और हम खाली अड़ंगा लगाना चाहते हैं। इन बातों के बाद मैं अब कहता हूं कि कम्पलसरी ट्रेनिंग हो। उसमें शायद यह है कि ४० साल से ज्यादा वाले को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। मुझे भी ४० साल से ज्यादा हो गये, ट्रेनिंग तो पा नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी हमारे नये नये मेम्बर हैं वह भी ट्रेनिंग हासिल करें और यह जरूरी है कि जो कम उम्र वाले हों उनके लिये कम्पलसरी हो।

तो जहां तक यह २७ रुपये की बात है और यह बात साफ है कि २७ रुपया ही ख़र्च लेना है तो उसके लिए हमने संशोधन में लिखा है कि अगर वह रुपया न लें तो उसमें हमारी शान है। हमारे प्रान्त की जनता भी यह कहेगी कि कितना सराहनीय कार्य है और लोग यह महसूस करेंगे कि हम लोगों को फौजी शिक्षा लेना कितना आवश्यक है। इसलिये इसका असर प्रान्त के लोगों में और अच्छा पड़ेगा।

हमारा तो इतना बड़ा प्रान्त है। यहां के लोगों को तो फौजी शिक्षा लेना और भी आवश्यक है और फौजी शिक्षा यहां के लोग न ले सकें तो यह हमारी बदक़िस्मती है। तो जैसा कि गेंदा सिंह जी ने भी कहा है कि अगर ऐसी गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोई हिदायत न हो और हम इसको पास कर सकते हैं तो यह थोड़ी सी बात है और इसमें हमारे माननीय सदस्यों की भी शान रहेगी और जब भी कोई ट्रेनिंग में जायेंगे, २७ रुपये ट्रेनिंग के नहीं लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हमको २०० रु० सैलरी मिलती ही है यहां से।

मंगला प्रसाद जी ने ऐसी नयी नयी बातें कहीं जो हमने कभी नहीं सुनीं थीं। हम तो रोज १० रुपया लेते हैं। उसके लिए यहां बोलते हैं, प्रान्त की सेवा करते हैं यहां से १० रुपये लेकर शाम को दस्तख़त करके चले जायंगे ट्रेनिंग लेने और ट्रेनिंग भी कर आयेंगे लेकिन अगर आप उस पर प्रतिबन्ध लगा दें जैसा कि नारायण दत्त जी ने कहा तो हमारी शान रहेगी और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त जी के संशोधन का विरोध करने खड़ा हुआ हूं।

[श्री शिवनाथ काटजू]

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसके सिद्धान्तों को वह भी स्वीकार करते हैं। जो कुछ उनका विरोध है वह कुछ रुपये, आने, पैसे पर है। यह समस्या राष्ट्र की रक्षा की समस्या से संबंधित है और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राष्ट्र की रक्षा में जहां तक योग दे सके वह दे और भी देशों में टेरिटोरियल आर्मीज हैं, नेशनल केडेट कोर हैं। उनमें काम करना एक राष्ट्र सेवा का काम है। यह संशोधन बिल उसी दृष्टिकोण को सामने रख कर लाया गया है। कुछ वैधानिक कठिनाइयां उसमें आन पड़ी थीं उनको हटाने के लिये यह पेश किया गया।

जैसा मैंने निवेदन किया उसके सिद्धान्तों पर विरोध नहीं है। विरोध केवल यह किया जा रहा है कि यहां लोग जो आते हैं तब उनको दैनिक भत्ता मिलता है, और मासिक वेतन मिलता है, तो वहां अगर जाकर उनको कुछ मिले तो एक प्रकार की दोहरी आमदनी हो जायगी। इसलिए वह लेना असंगत होगा। मेरा ख्याल है कि जहां तक वहां के भत्ते का सम्बन्ध है शायद एक सिपाही को १२ या १४ आने रोज मिलते हैं और हवलदार को उससे ज्यादा शायद मिलते हों और यह कार्य कोई साल-भर तक तो होता नहीं है। साल में बहुत थोड़े दिन होता है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग को हमारे विधान कार्य से जोड़ना और रुपये पैसे का प्रश्न उसमें लाना इस सदन को शोभा नहीं देता। मैं नारायण दत्त जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे सदन की शोभा को देखते हुए अपना संशोधन वापस ले लें क्योंकि इस सदन के बहुत थोड़े से लोग इस कार्य में जा सकेंगे। मेरी व्यक्तिगत रूप से कुछ जानकारी है। मैं यूनीवर्सिटी में छः वर्ष तक यू० टी० सी० में था। उसके बाद जब राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ तो मैंने लिखा कि यह कार्य फिर करना चाहता हूं लेकिन मुझसे कहा गया कि तुम ३८ वर्ष के हो गये हो इसलिये हम तुमको नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में हमारे इस सदन के बहुत सारे सदस्य आयु में ३८ वर्ष से ज्यादा हैं। तो उनका इसमें जाने का तो, कोई प्रश्न नहीं है। हां ३८ वर्ष में कुछ लोग जैसे माननीय राजनारायण जी हैं, वह अगर इस कार्य को करें तो मेरे ख्याल में शारीरिक दृष्टि से उनको यह लाभदायक ही होगा। इस कार्य में कोई बाधा नहीं रखनी चाहिए और जैसा मैंने निवेदन किया जहांतक रुपये पैसे का सम्बन्ध है वह कुछ शायद एक व्यक्ति के लिये ४०, ५० रुपये साल का हो या ७०, ८० रुपये का साल में हो तो वह कोई ज्यादा नहीं है। उसकी तुलना हमारे असेम्बली के मासिक वेतन से या दैनिक भत्ते से करना जैसा मैंने निवेदन किया किसी प्रकार से शोभा की बात नहीं है। मैं उनसे यह फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इन छोटी सी बातों को वह सामने न रखें बल्कि राष्ट्र की जनता के हित को देखते हुए इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करें।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा उपस्थित संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक आफिस आफ प्राफिट का प्रश्न है यह कहा गया कि कुछ आफिस आफ प्राफिट के डिस्क्वालिफिकेशंस रिमूव करने के बाद कहीं कहीं पर हजारों रुपयों का फायदा उठाया गया। वहां पर अगर ऐसी बात है तो मैं उन माननीय सदस्य के साथ हूं कि ऐसा हर्गिज न होना चाहिये था और ऐसा कोई आफिस आफ प्राफिट का डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव न होना चाहिये जिससे किसी माननीय सदस्य को उसके जरिये से एक पैसे का भी फायदा हो सके। परन्तु साथ ही साथ हर एक आफिस आफ प्राफिट तथा इसको जो कि टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग का सवाल है, एक ही पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। इसलिए कि यह एक राष्ट्र का सवाल है। अब मैं कुछ राष्ट्र का काम लेते हुए भी डरता हूं क्योंकि लोग यह समझने लग गये हैं कि अगर मैं यह कहूं कि यह उनका राष्ट्र के हित का नहीं है तो वह यह समझेंगे कि यह आक्षेप उनके नेशनलिस्ट होने पर है कि वह नेशनलिस्ट नहीं हैं। ऐसी बात तो नहीं है। परन्तु श्रीमन्, यह कहा गया कि २६ या २७ रु० महीने का सवाल है, शायद २६ या २७ रु०

की बात इसलिये सोची गई कि एक मामूली सिपाही शायद इतनी ही तनख्वाह पाता होगा और अगर एक महीने के लिये या दो महीने के लिए यहां कोई माननीय सदस्य टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग के लिये जाय तो उनको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जो कि एक सिपाही को मिलती है। यह भी कहा गया कि २६ या २७ रु० तक ही सीमित नहीं है, वह तो कैप्टेन हो सकते हैं, कमांडरइन चीफ हो सकते हैं और क्या-क्या हो सकते हैं और हजारों रुपये ले सकते हैं, यह मेरी समझ में बात नहीं आई। वह हजारों रुपये ले सकते हैं या हजारों रुपये तनख्वाह पा सकते हैं। श्रीमन्, यह तो राय की बात है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर राष्ट्र की सेवा या देश की सेवा करना है तो देश पर विपत्ति पड़े तो हमारे नौजवान जो लड़ते हैं उनको तनख्वाह क्यों दी जाती है। इसी तरह श्रीमन् जब हम लोग चुनाव लड़ करके यहां आते हैं तो चुनाव में तरह तरह की बातें करते हैं कभी कभी जनता को धोखा भी देते हैं कि हम सेवा करने जा रहे हैं तो श्रीमन् यह भी सवाल हो सकता है कि जब हम सेवा करने जा रहे हैं तो दो सौ रुपया क्यों लेते हैं। तो यह सब बातें कही जा सकती हैं इधर से और उधर से भी और दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, परन्तु यहां पर मेरा निवेदन यह है कि टेरिटोरियल आर्मी जो एक नेशनल डिफेंस की चीज है उसके लिये मैं माननीय काटजू से इस बात में सहमत हूं कि इस तरह के प्रश्न उठाना कि २७, २८ रुपये का मामला है, उसको छोड़ ही क्यों नहीं देते हो और यह कह करके एक संकेत करना कि कोई माननीय सदस्य २७, २८ रुपये के लालच से वहां जायगा, इसलिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि जो सदस्य वहां जाय वह यहां की तनख्वाह छोड़ दे श्रीमन् मैं दुख के साथ कहता हूं कि यह इस भवन के लिये शोभा नहीं देता। मुझे मजबूरन इस संशोधन के विरोध में खड़ा होना पड़ा। जहां तक इसका सवाल है कि किस भावना से कोई माननीय सदस्य वहां जायंगे माननीय विरोधी दल के नेता से ले करके अन्य सदस्यों ने भी यह नहीं कहा और न कभी उनके दिमाग में यह बात आ सकती है कि कोई २७ या २८ रुपये के लालच में वहां जायगा। जब दिमाग में ऐसी बात आ ही नहीं सकती तो २७, २८ रुपये के लिये विधेयक में ऐसी चीज रख देना मैं समझता हूं कि इस भवन के लिये बिल्कुल शोभा नहीं देता और मैं आशा करता हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री चन्द्र सिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोज़र मोशन मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—बोलने के लिये कोई खड़े नहीं हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि क्लोज़र के लिये राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से अपने उन सभी मित्रों के भाषण सुने जिन्होंने कि मेरे इस छोटे से संशोधन का विरोध किया, लेकिन जितने भी तर्क उस पक्ष की तरफ से इस संशोधन के विरोध में दिये गये वे कुछ असंगत थे, क्योंकि मेरी यह भावना नहीं थी कि जो असेम्बली के मेम्बर्स हैं उनकी तनख्वाह खत्म हो जाय या जो २७ रुपये टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग के लिये मिलें उनसे वे वंचित रख दिये जायं। यह कोई रुपये का प्रश्न नहीं था। अगर यह केवल रुपये का प्रश्न होता तो उसको टाला जा सकता था और इस संशोधन को उपस्थित करने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। आफिस आफ प्राफिट की परिभाषा के अन्दर आर्थिक प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं और संसार भर की संसदों में इस बात की प्रणाली रही है, इस बात की परिपाटी रही है कि और भी दृष्टिकोण लेते हुये आर्थिक रूप से यह देखा जाय कि आफिस आफ प्राफिट क्या है और उसकी सीमायें नियत कर दी जायं नहीं तो कोई भी संसद या विधान सभा का प्रभावशाली सदस्य अपने प्रभाव के कारण से बहुत से पदों पर पदारूढ़ हो सकता है। इसलिये इस महत्व को समझते हुए आफिस आफ प्राफिट को परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी। इसी सिद्धान्त को देखते हुये विधान मंडलों को इस बात के अधिकार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दिये गये कि वे समय समय पर घोषित कर सकती हैं कि कौन से आफिस आफ प्राफिट हैं और उनकी डिसक्वालिफिकेशन के वापस लेने का अधिकार भी विधान मंडलों को दिये गये हैं। अगर समय की महत्ता को देखते हुये सदन यह चाहता है कि टेरिटोरियल आर्मी में, कैडिट कोर में या और भी ऐसी संस्थाओं में हमारे जाने की आवश्यकता है, हमारी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि यह केवल एक महीने का प्रश्न नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन को यह कह करके टाल दिया कि यह एक महीने का मामला है या दो महीने का मामला है। माननीय मंगला प्रसाद जी ने यह कहा कि असेम्बली के मौके पर भी ट्रेनिंग हो सकती है और असेम्बली में इतना मिलता है। मैं एलाउंसेज की तुलना नहीं कर रहा था। भले ही हम वहां सिपाही की हैसियत में जायं या करनल की हैसियत में जायं या भले ही और कोई माननीय सदस्य उससे भी ऊंचे किसी पद पर चले जायं। यहां पर रुपये का प्रश्न नहीं है प्रश्न तो यह है कि कहीं वह उस पद पर मिलने वाले प्रभाव का या आर्थिक सहायता का दुरुपयोग तो नहीं करते। दुरुपयोग इस माने में क्योंकि हमको आदर्श उपस्थित करना है। और इस आदर्श पेश करने की महत्ता को देखते हुए जनता के ऊपर एक बड़ा नैतिक प्रभाव पड़ता है जब कि सब यह देखते हैं कि विधान सभा के सदस्य बिना किसी आर्थिक भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण के कार्य में या ट्रेनिंग के कार्यों में जाते हैं।

लेकिन यह काम सिर्फ ट्रेनिंग से ही खत्म नहीं हो जायगा। इमरजेंसी के मौके आ सकते हैं। जब कि आपको फील्ड में ऐक्शन भी लेना पड़े। तो मैं उस समय के लिये जानना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाय और आपको मोर्चे में जाना पड़े तो क्या आप उस वक्त उतनी तनख्वाह लेते रहेंगे। इसमें सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड का जिक्र है, ऐक्शन पीरियड का कहीं जिक्र नहीं है। यह शायद ग़लत फहमी हो गयी है कि टेरिटोरियल आर्मी इत्यादि का सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड तक ही संबंध है। ट्रेनिंग का उपयोग भी तो होगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब कि आपको वहां जाना पड़ेगा। इस आवश्यकता को देखते हुये मैंने यह संशोधन पेश किया था और मुझे आशा है कि माननीय न्याय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली ज़हीर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर जनता का राज्य होता है और डेमोक्रैसी होती है वहां पर विरोधी दल के नेता का खास स्थान है मगर मुझे अफसोस है कि आज जो तकरीर राजनारायण जी ने की उसमें उन्होंने ऐसी बे ताल्लुक बातें की जिनकी वजह से मालूम हुआ कि बावजूद एक साल गुजर जाने के भी अभी तक उन्होंने अपने स्थान को अच्छे तौर से समझा नहीं है। मुखालिफत जो होती है वह किसी उसूल के मातहत होती है और कोई गरज उसकी होती है, महज मुखालिफत की नियत से मुखालिफत नहीं होती है। उन्होंने और उनकी पार्टी के और मेम्बरों ने भी तकरीरें कीं, मैं उनकी बातों को समझा और मैं उनका जवाब दूंगा लेकिन जहांतक राजनारायण जी की तकरीर थी मुझे अफसोस है कि वह इस भवन में अपनी पार्टी के नेता हैं, उसमें जैसे बीछू के डंक होते हैं वह भरे हुये थे और मतलब कुछ नहीं, मतलब गायब बहर हाल जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं यह समझूंगा कि वह इसे बिलकुल समझे नहीं हैं कि डिसक्वालिफिकेशन का जो उसूल है वह क्या है। यह जो डिसक्वालिफिकेशन और उसका रिमूवल है वह, इंगलिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन्स का नतीजा है। एक जमाना था वहां पर जिस वक्त बादशाह और पार्लियामेंट की लड़ाई रहती थी उस वक्त यह होता था कि मेम्बरों को विन-ओवर करनेके लिये और उनको हमख्याल बनानेके लिये बादशाह अक्सर ओहदे दे दिया करता था ताकि वह ओहदे पर भी रहें और पार्लियामेंट के मेम्बर भी रहे और जैसी बादशाह चाहे वे वैसी राय दें। इसके खिलाफ पार्लियामेंट में बहुत से एजीटेशन हुये और साल हा साल यह लड़ाई चली नतीजा यह हुआ कि उसके मातहत ये कायदे बने कि जो मेम्बर हो वह गवर्नमेंट के मातहत

कोई ओहदा नहीं रख सकता। चुनान्चे जो खास ओहदे इस कायदेसे मुस्तसना करने होते हैं उनके लिये कानून वक्तन फवक्तन बनते रहे हैं। हमारे यहां पहले भी ऐसे कानून मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा कानून से यह जाहिर है कि इससे कोई कुछ फायदा नहीं उठा सकता। अगर कोई अपनी खुशी से अपनी टैरीटोरियल आरमीमें भरती होजाय तो वह चीज बिलकुल दूसरी है। इससे गवर्नमेंट के लिये किसी मेम्बर को ओहदा देकर अपने हमख्याल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे हमारे विरोधी दल के मेम्बरान ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। हम लोग इधर वाले तो ज्यादा दिनों से काम करते आये हैं और अब ज्यादा उम्र होने से बहुत कम लोग उसमें शरीक होने के हक़दार होंगे। इसलिये इस उसूल पर मुखालिफत करना कोई मानी नहीं रखता कि गवर्नमेंट किसी को ओहदा देकर उनसे फायदा उठाना चाहती है।

कुछ मेम्बरान ने फरमाया कि पैसे का इसके अन्दर सवाल नहीं आना चाहिये क्योंकि यह एक नैशनल सर्विस की बात है। मुझे विरोधी दल के नेता से भी यही उम्मीद थी। जहां तक पैसे का मामला है, हर शख्स को अखत्यार है कि वह चाहे तो अपने २०० रुपये सारी तनख्वाह और भत्ता छोड़ दे जो किसी और काम में आ जावेगा। इसी तरह से जो भत्ता वगैरा उसे फौज में मिले उसे भी वह छोड़ सकता है। लेकिन इस किस्म का कोई कानून बनाना एक लगो बात होगी और किसी तरह से यह हमारी विधान सभा के लिये मौजूं नहीं है।

मैंने शुरू में ही कहा था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमसे यह कानून बनाने के लिये कहा है। यह हर स्टेट में बनेगा। बम्बई में बन चुका है और बिहार में पेश है। मालूम नहीं है कि क्या वहां भी ऐसे ही विरोधी दल के नेता हैं जिन्होंने यह सवाल उठाया हो कि किसी को २० या २७ रुपये इसके जरिये से मिलने पर उनसे गवर्नमेंट कोई नाजायज फायदा उठा लेगी या अपने फरायज को माननीय सदस्य अच्छी तरह से अन्जाम न दे सकें। मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह बिल सीधा सादा मुल्क की खिदमत करने के लिये है और हर एक को हक हासिल है कि वह इस ट्रेनिंग में शरीक हो और उस दिन के लिये तैयार रहे जब उसकी जरूरत हो।

जहां तक एक्टिव जंग का सवाल है, उसका तो सवाल ही दूसरा है। उसमें जो कोई भी जायगा हम उसे अपने सिर पर चढायेंगे और उसको हर तरह आराम देंगे। यहां इस वक्त तो महज ट्रेनिंग का सवाल है। जो शक्क उठाये गये हैं वे गलतफहमी पर मबनी है।

मैं समझता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद हमारे विरोधी दल के नेता अपना एतराज़ वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति केवल एक समय में एक ही पद का वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---मुझे एक सूचना और देना है। एक और संशोधन मुझे अभी अभी मिला है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक काफी समय से इस सदन के सामने रहा है। ऐसी स्थिति में इस संशोधन को उपस्थित करने की इजाजत देना मैं उचित नहीं समझता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी को कोई एतराज न हो तो वह पेश हो जाय क्योंकि अभी आपने एक संशोधन लिया।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मुझे इसका फैसला करना ही चाहिये। मेरी समझ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी इजाजत नही दे सकता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

कुछ ऐसे पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित किया जाय कि उस पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सैयद अली ज़हीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

इस विधेयक का मतलब यह है कि इस सदन से यू० पी० शुगर और पावर अलकोहल इंडस्ट्री लेबर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऐक्ट, १९५० में स्वीकृत हुआ। स्वीकृत होने के बाद १९ मई, १९५१ को प्रेसीडेंट की स्वीकृति उसको प्राप्त हुई और फिर कायदे के मुताबिक २ जून, १९५१ को वह यू० पी० गजट में छपा। उस ऐक्ट के सेक्शन १ के सब-सेक्शन ३ में लिखा हुआ है "The Act shall come into force on such date as may be prescribed by notification in the official Gazette."

---

* ३ अगस्त १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

यानी जिस तारीख को गजट में छापा जाय कि फलां तारीख से यह कानून लागू होगा इस सेक्शन के अनुसार इस बात की विज्ञप्ति गजट में निकलनी चाहिए थी कि फलां तारीख को कानून लागू होगा। यह गलती हुई और इस किस्म की विज्ञप्ति नहीं निकली गजट में लेकिन पहली सितम्बर से इस कानून के अनुसार काम होता रहा, रुपया खर्च हुआ और हजार से ऊपर शक्कर मिल के मजदूरों के लिये मकान बन चुके हैं और काम बराबर जारी है और हम आशा करते हैं कि अगले सीजन तक और भी मकान बन जायेंगे। लेकिन गलती से जो नोटीफिकेशन निकलना चाहिये था वह नहीं निकला । इस विधेयक में इतना ही कहा गया है कि यह गलती कंडोन कर दी जाय और यह मान लिया जाय कि कानून पहली सितम्बर, सन् १९५१ से लागू हो गया है। इस गलती के लिये मैं माफी मांगता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री ने उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ द्वारा भूल को सुधारने की चेष्टा की है। पहले तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे विधेयक में ऐसी गलती रह गयी। जो सन् ५० का विधेयक हो उसमें सन् ५३ में यह जाहिर हो कि इस प्रकार की भूल हो गयी है । फिर बिल की पहली या दूसरी धारा के अनुसार हो वह विज्ञप्ति प्रकाशित हो जानी चाहिये थी लेकिन विभाग द्वारा उसको प्रकाशित नहीं किया गया। इस तरह की यह गलतियां बड़ी खटकने वाली गलतियां हैं और विभागों द्वारा ये होती ही रहती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की आज्ञा देंगे ताकि इस प्रकार की भूलें न हो सकें।

दूसरा ऐतराज "चालक मद्यसार" शब्द पर है जो कि "पावर अलकोहल" का ट्रांसलेशन किया गया है। अगर इसके लिये नयी शब्दावली न गढ़ी जाकर पावर अलकोहल ही रहता तो अच्छा होता। पायनियर में एक विधान सभा के सदस्य 'चालक' का अर्थ "ड्राइवर" समझे, ऐसा निकला। यह ठीक है कि हिन्दी राजभाषा हो गयी है लेकिन ऐसे शब्द गढे जायं जो जरा समझ में भी आयें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि "चालक मद्यसार" के बजाय अगर "पावर अलकोहल" रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

तीसरी बात उन्होंने निधि के प्रयोग के बारे में कही। यह ठीक है कि श्रममंत्री जी ने इस योजना को सन् ५० में बनाया था और चीनी मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाये जाने के लिये यह योजना बनायी गयी थी यह बड़ा सराहनीय कार्य श्रम मंत्री के प्रयत्नों से हुआ लेकिन जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि अगर मोलेसेज की कीमत के सन्तुलन में मिल मालिकों से ठीक व्यवस्था की गयी होती और शीरे के बाजार भाव में और इस निधि में कोई व्यवस्था होती तो जितना रुपया आज तक इस निधि में आया है, मैं समझता हूं उससे दुगना रुपया आया होता। मुझे इस बात की आशा नहीं थी माननीय श्रम मंत्री अपने सूक्ष्म भाषण में यह भी न बतायेंगे कि इस निधि में अब तक कितना रुपया आया है और उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ है, अगर वे ऐसा करते तो अच्छा होता उससे सदन को कुछ मालूम हो जाता कि कितना रुपया शीरे के आमदनी का जमा हुआ और कितना रुपया मालिकों को रुपया मिल मालिकों को ग्रांट किया गया, या रिसर्च के लिये ग्रांट किया गया। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी हम लोगों को इन सब तथ्यों से अवगत कराने की कृपा करेंगे ताकि सदन के सदस्यों को यह ज्ञात हो सके कि सिम्तबर १ के बाद क्या क्या कार्यवाही हुई ।

यह ठीक है कि मजदूरों के लिये इस प्रकार का कार्य चल रहा है। सरदार नगर और बहेड़ी में मकान बन भी गये हैं। मेरे पास, क्योंकि मैं एडवाइजरी कमेटी का सदस्य हूं इसलिये बहुत सी शिकायतें आयी हैं, इस बीच में कोई मीटिंग न होने के कारण मैं उसके बारे में कोई बात कह भी नहीं सका। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास भी ऐसी बहुत से शिकायतें आयी होंगी कि नक्शे पहुंच चुके हैं, इंजीनियर्स भी पहुंचे हैं लेकिन मिल मालिक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लगातार मकानों के बनाने में देरी कर रहे हैं। सरदार नगर की मिसाल ईंटों के बारे में हमारे सामने है। हमारे माननीय सदस्य ने परसों बतलाया था कि तमकुही रोड में कितने तेज भाव पर ईंटें खरीदी गयी। यानी जो रुपया ग्रांट हुआ है उसका कुछ चेक भी होना चाहिये कि मिल मालिक इस निधि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, आया जो रुपया खर्च किया गया है किसी बिल्डिंग के लिये वह उनके संतुलन में आता है या नहीं। जब ४०,५० रुपये हजार के भाव से वहां ईंटें लिये गये लेकिन अभी तक उनका कोई आडिट नहीं हो पाया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने इस प्रकार के खर्च मिल मालिकों की ओर से हों उसके आडिट चेक व इंसपेक्शन का भी प्रबन्ध करें। मैंने इस संबंध में दो बार ऐडवाइजरी कमेटी में भी मांग की थी माननीय मंत्री जी के सामने कि रिजनल ऐडवाइजरी कमेटी इस ऐक्ट के अनुसार या नियम के अनुसार जो होना चाहिये था वह बन जाना चाहिये और मुझे याद है कि माननीय मंत्री जी ने लेबर कमिश्नर साहब को इस बात की आज्ञा भी दी कि रिजनल ऐडवाइजरी कमेटी बनायी जायं। लेकिन आज दो साल होने को आ रहे हैं अभी तक वे रिजनल ऐडवाइजरी कमेटी नहीं बनीं। अगर वे बन जातीं, एक एस्टर्न जोन के लिये, एक सेंट्रल जोन के लिये और एक वेस्टर्नजोन के लिये तो इंसपेक्शनका काम अच्छी तरह से हो सकता। मिल मालिक जिस प्रकार से इस निधि को खर्च कर रहे हैं उन पर भी कुछ कंट्रोल होना आवश्यक है कि किस आया प्रकार वे इस निधि का उपयोग कर रहे हैं। क्या मैं आशा करूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे सकेंगे कि रिजनल ऐडवाइजरी कमेटीज बनेंगी और मिल मालिकों के कार्यों का दृष्टिप्रेक्षण हो सकेगा।

एक शिकायत और मैं माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि ये क्वार्टर्स जो मजदूरों के लिये बने हुये हैं आमतौर पर यह शिकायत सुनी जाती है कि इस प्रकार के जितने भी क्वाटर्स बने हुये हैं वे खासतौर से उन लोगों को एलाट होते हैं जो कि मिल मालिकों के फेवरिट्स होते हैं, या जो बड़ी श्रेणी के कर्मचारी हैं, या जो फैक्ट्री के किसी बड़े ओहदे पर काम करने वाले हैं। इसके लिये कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार यह तय हो सके कि उन गरीब मजदूरों को भी ये क्वाटर्स मिल सकेंगे जो कि एक एक कमरे में १२, १२, १५, १५ और २०, २० रहते हैं। खासतौर से एक सुझाव मैंने ऐसे कर्मचारियों के लिये दिया था और दो चार जगह का मुझे निजी अनुभव है जहां के मजदूरों की इस संबंध में शिकायत है। बहेड़ी और काशीपुर की शिकायत तो मैंने खुद ही माननीय मंत्री जी से की थी। साथ ही साथ रिसर्च के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

पावर अलकोहल के रिसर्च के बारे में कानपुर की एक स्कीम आयी थी कि इस निधि का कुछ रुपया इस प्रकार के रिसर्च में भी खर्च किया जाय कि शीरे से अल्कोहल के कितने किस्म बन सकते हैं। मैंने उस समय भी एक सुझाव दिया था कि इस प्रकार के रिसर्च जो और मुल्कों में हुये हैं? शीरे से अल्कोहल बनाने में उससे फायदा उठाया जाय लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है। शीरे से अल्कोहल बनाने के बारे में दूसरे मुल्कों में जो रिसर्च हुये हैं उसका कुछ फायदा उठावें तो मैं समझता हूं कि हम काफी आगे इस निधि के रुपये का सदुपयोग बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ जो चीनी या गन्ने के बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस निधि का कुछ रुपया गवर्नमेंट गन्ने के बाई प्रोडक्ट्स के रिसर्च की तरफ भी लगाने की ओर ध्यान दें। इस बात की भी अत्यन्त आवश्यकता है कि शीरे का बाजार भाव, जैसा कि मैंने कहा मुझे आशा है कि जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं वे इस बात पर प्रकाश डालेंगे शीरे के बाजार भाव में, मिल मालिकों के रवैये में और सरकार के शुरू भाव के तै करने में और फिर उसे बाजार में बेचने में तीन तीन बार दाम बढा कर जो आमदनी करने की प्रवृत्ति है उसे बन्द कर देना चाहिये। शीरे का एक भाव नियत होना चाहिये और पूरा पूरा नफा इस निधि में जाना चाहिये तभी उसका पूरा पूरा उपयोग हो सकेगा। माननीय मंत्री जी अपने

उत्तर को देते समय जो कार्यवाही इस निधि के संबंध में हुई है और भाव के बारे में जो शिकायतें आई हैं उसके बारे में स्पष्टोक्ति करेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यही आशा करता था कि माननीय श्रम मंत्री जी अपना बिल पेश करते हुये जो भाषण करेंगे तो उस मद से जो आमदनी हुई है उस पर कुछ प्रकाश अवश्य डालेंगे, परन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई और फिर अंधेरे में टटोलने के माफिक मुझे होना पड़ा। जो कुछ भी जानकारी मुझे इस संबंध में है मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और उसके बाद माननीय श्रम मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। यों तो यह एक ऐसी चीज है एक ऐसा आमदनी का जरिया है जिससे लाखों रुपया प्रति वर्ष इकट्ठा किया जा सकता है और किया गया है। हमारे प्रदेश में जितना गन्ना पेरा जाता है उसमें साढे तीन प्रतिशत मुलेसिस निकलता है। केवल पिछले वर्ष के ही हिसाब को ले लें तो साठ लाख मन से ऊपर मुलेसिस पैदा हुआ होगा। मेरे पास इस समय इसके आंकड़े तो मौजूद नहीं हैं जिनको कि मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके सामने रख सकूं, लेकिन एक अनुमान मेरा यह है कि अगर २२ या २३ करोड़ मन गन्ना पिछले वर्ष पेरा गया था जिलों में और पिछले वर्ष शुरू की जो रिकवरी थी वह साढे तीन प्रतिशत से कुछ ज्यादा थी तो इस प्रकार से मैं ६० लाख मन से कुछ ज्यादा का अन्दाजा करता हूं। यू० पी० सरकार ने उसकी कीमत मुकर्रर कर ली है और उस कीमत पर सरकार कुछ तो सीरा डिस्टलरीज को दिलवाती है जहां जा कर वह अल्कोहल तैयार होता है और बाकी कुछ फैक्टरियों को दिया जाता है जो उसको यों ही लेती हैं। खुले बाजार में शायद वह बेचने के लिये स्वतंत्र हैं।

मुझे इस वर्ष यह भी मालूम हुआ कि बिहार की फैक्टरियों ने इस बात की शिकायत की थी और वे अपनी सरकार को कोस रहीं थीं कि बिहार सरकार ने शीरे का निर्ख १ रुपया ९ आने प्रतिमन मुकर्रर कर दिया है और हमारी सरकार ने संभवतः ५ आने दर मुकर्रर किया है। उनका कहना था कि १ रुपये ९ आने प्रति मन के हिसाब से उनको शीरा बिकने में दिक्कत होती है। यू० पी० की सरकार पौने पांच आने मन पर अपने यहां का शीरा मिल मालिकों को बेचने की इजाजत देती है तो मैं सुन कर हैरत में रह गया। यू० पी० और बिहार में अन्तर इतना ही पड़ता है कि कभी-कभी हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि एक पैर तो हमारा यू० पी० में रहता है और दूसरा बिहार में। एक खेत का एक मेंड है उसके इधर यू० पी० और उधर बिहार है और एक बात यह भी है कि यह शीरा जो यू० पी० और बिहार का बिकता है वह एक ही बाजार में बिकता है, वह पूर्वी बंगाल में बिकता हो या पश्चिमी बंगाल में या कहीं भी बिकता हो लेकिन बाजार एक ही है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि आखिर बिहार सरकार ने १ रुपये ९ आने मन क्यों रखा जब कि यू० पी० की सरकार ने पौने पांच आने मन रखा। यह हो सकता है कि एक रुपये ९ आने मन में बिहार का माल गोदामों में पड़ा हो और यू० पी० का बिक रहा हो लेकिन मुझे इस बात में बड़ा संदेह है। माननीय श्रम मंत्री जी इसका पता लगाने की कृपा करेंगे और हमारे भ्रम को भी दूर करेंगे कि आखिर यह पौने पांच आने मन जो रेट रखा गया है उसपर क्या शीरा बिकता है? मैं समझता हूं कि पौने पांच आने मन में जहां पर डिस्टिलरी है उसको तो फैक्ट्री को मजबूरन देना ही पड़ेगा लेकिन एक बात और मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मुझको इस बात की कुछ शिकायत मिली कि डिस्टिलरी जिन फैक्टरियों से शीरा लेती है वहां उनको पौने पांच आने में तोलते तो हैं लेकिन उन्हें उतना शीरा मिलता नहीं। कोई न कोई बहाना मिल वाले इस बात का करते हैं कि रास्ता खराब है या गाड़ियां नहीं मिलती हैं, कोई न कोई बात इस तरह की करते हैं जिसकी वजह से डिस्टिलरी को शीरा न मिल सके।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

एक तरफ तो यह शिकायत है और दूसरी तरफ वह पौने पांच आने मन के रेट से न दे कर उस शीरे को कहीं ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। इसके अतिरिक्त जो फैक्टरीज ईमानदारी

[श्री गेंदा सिंह]

से डिस्टिलरी को पौने पांच आने मन में देना भी चाहते हैं तो उनके रास्ते में यह बाधा पड़ती है कि उन्होंने उस भाव में दे तो दिया लेकिन अगर उन्होंने सौ मन तौलकर डिस्टिलरी को बेचा तो डिस्टिलरी वाले कहते हैं कि सौ मन के बजाय ७५ मन हुआ। तो फिर इसमें झगड़े खड़े हुये और अन्त में झगड़े का फैसला नहीं हो पाता है और शीरा दूसरे रास्ते ब्लैक मार्केट में चला जाता है। तो यह सब बातें हैं। मेरा यह अनुमान है कि शीरे की फैक्टरी वाले और डिस्टिलरी वाले सब यह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठा सकें और जो सरकारी रेट है उससे ज्यादा बेचने की कोशिश की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी मालूम हुआ कि उसमें कुछ केमिकल ऐडवाइजर्स लोग भी काम करते हैं। तीन तरीके के शीरों का मुझे ज्ञान है, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। अब शीरे के अन्दर जो कंटेंट्स होते हैं उसको डिस्टिलरी वालों ने सोचा कि दूसरी श्रेणी में कर दो या तीसरे श्रेणी में कर दो तो ज्यादा लाभ हो जायगा और फिर वह मामला केमिकल ऐडवाइजर तक चलता है और ऊंचे तक जाता है और उसमें वह गड़बड़ हो जाता है।

अब मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान शीरे की आमदनी की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि उससे हमारे प्रदेश में हमारा ख्याल है कि हजारों मजदूरों का भला होने वाला है। उसी से लेबर वेलफेयर सेन्टर्स खुलते हैं। उसी से जहां जिन मिलों ने मकानात नहीं बनवाये हैं वहां उस कोष से उनके मकानात बनवाये जा रहे हैं। जहां पर मजदूरों के दवा इलाज का माकूल इंतजाम नहीं है वहां दवा इलाज दिलवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

तो इस प्रकार से वह सारा का सारा पैसा मजदूरों के काम में जाता है लेकिन मेरी जितनी जानकारी हो सकती है उससे मैं कह सकता हूं कि मुझे यह मालूम है कि उस पैसे का दुरुपयोग होता है? कहीं कहीं पर नकशा यों बनाया जाता है कि जो नकशा कानपुर के लिये बनता है, जितना ईंटा कानपुर के मकान के नींव के लिये डाला जाता है, जितनी चौड़ी दीवार कानपुर में बनाई जाती है, जितना सिमेंट कामपुर में मकान को लगता है और जितना ऊंचा मकान कानपुर में बनाया जाता है उसी तरह का नकशा देवरिया के लिये, खड्डा मिल के लिये और तमकोही मिल के लिये जो गंडक के किनारे है उसके लिये भी वही नकशा बनाया गया है। अब उसका परिणाम यह होता है कि किसी भी हालत में उसको न तो मजबूत कहा जाता है, न सुरक्षित कहा जाता है और न आराम देने वाला ही कहा जा सकता है। जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि ऐसे मकानों को बनाने के लिये लोक स्थानीय कमेटीज रीजन वाइज होनी चाहिये। अगर उन कमेटीज की राय लेकर यह काम किया जाय तो अच्छा होगा।

मैं अब उस जमा किये गये कोश के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि इत्तिफाक से यह बिल हमको वहीं पर मिल गया था तो जब हमने इस बिल को देखा तो मैंने सोचा कि यहां पर मकान बने हुये हैं उनको देखते चलूं। तो उन मकानों को देखने से मालूम हुआ कि उस कोश का दुरुपयोग होता है। इसके बारे में नारायण दत्त जी ने कहा लेकिन मैं भी इसके ऊपर जोर देना चाहता हूं कि जेम्स फिन्ले कम्पनी जैसी एक कम्पनी को देवरिया जिले में एक मिल है। वह शुगर फैक्ट्री वहां पर मकान बना रही है तो कम्पनी की तरफ से मजदूरों के मकानों के लिये ४० और ५० रुपये के भाव ईंटा खरीदा जा रहा है। उसी जगह पर थोड़ी दूर के फासले पर ३० रुपया हजार ईंटा बिक रहा है इस प्रकार से उस सरकारी रुपये का दुरुपयोग होता है। यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय हिन्दुस्तान में है और सरकार ने कुछ दिन पहले एक पैनाल बनाया था और उस पैनाल में काफी बड़े बड़े दक्ष लोग थे। उन्होंने शुगर इंडस्ट्री की तरक्की के लिये कई रास्ते बतलाये थे और उनमें से पावर अल्कोहल के लिये जो दूसरे बाई प्रोडेक्ट्स शुगर इंडस्ट्रीज के हैं उनके ऊपर बहुत जोर दिया था। इनमें पावर अल्कोहल का सबसे पहले स्थान है। उसके लिये सरकार ने सन् १९५० ई० में एक कानून बनाया था और वह आज तक लागू है। इसमें एक गलती हो गयी थी और अब उस गलती को सुधारने जा रहे हैं। लेकिन

हम जहां पर थे उससे एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। हम पावर अल्कोहल से कोई फायदा नहीं उठा सके। सरकार ने वायदा किया था कि जो भी पावर अल्कोहल पैदा होगा वह सारा का सारा सरकार खरीदेगी लेकिन मैं जानना चाहता हूं माननीय श्रम मंत्री जी से कि आज जो इस तरह से यह पावर अल्कोहल तैयार हो रहा है उसके बेचने का क्या प्रबन्ध है। आज शीरेवाले कह रहे हैं कि हमारी खत्ती भरी पड़ी है। डिस्टिलरी वाले कहते हैं कि हम नहीं लेंगे और फिर उनको इस बात की भी इजाजत नहीं है कि वह किसी जगह बेच सकें। जब सीजन करीब आता है तो वह कहते हैं कि चाहे आप जिस भाव में गन्ना दें हम पेरेंगे नहीं, वह कहते हैं कि हमारे पास खड्डत्तियां नहीं हैं कि जहां पर शीरा रखा जाय। तो फिर सरकार को मजबूर होकर कहना पड़ता है कि चाहे जिस भाव में चाहो बेच डालो। यह मिल वालों के नाज और नखरे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह नाज नख़रे शब्द अन-पार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यदि वह किसी सदस्य के लिये न कहे गये हों तो पार्लियामेंट्री हो जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने कम्पनियों के लिये कहा था। तो वह लोग इस प्रकार बहाना करती हैं। यदि मैं नाज नख़रा न कहूंतो मैं यह कह सकता हूं कि वह बहाना करते हैं, अगर नाज नख़रा शब्द से श्री रामनरेश शुक्ल जी को कुछ घबराहट है तो मैं तो उनको अवध का समझता था इसलिये मैंने कुछ चिढ़ नाज नखरे से नहीं समझी और दूसरे मैं तो लखनऊमें बोल रहा हूं और अगर अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा होगी तो नाज नखरा शब्दों का इस्तेमाल न करूंगा। तो मेरा मतलब यह था कि मिल मालिकों ने बहाना बना रखा है कि हमारी खत्ती खाली नहीं है और इसी वजह से साल के आखीर में सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। मैं तो जानकारी के लिये माननीय श्रम मंत्री जी से जानना चाहता था कि इस प्रदेश में समय कहा पर कितनी खत्तियां शीरे से भरी पड़ी हैं और सन ५० से जब से वह कानून लागू हुआ है तब से कितना रुपया इकट्ठा हुआ है। यह मौका ऐसा है कि हमें इसकी जानकारी हो जाय तो बहुत ठीक इसका उपयोग होगा ताकि मालूम हो जाय कि इसका उपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है और आगे के लिये मिल मालिकों को भी इससे कुछ हिम्मत टूटेगी। यह सब हमें मालूम होना चाहिये कि कितना शीरा उत्पन्न हुआ, कहां पर इस समय कितना है और किस भाव में बेंचा गया, पावर एल्कोहल कितना तैयार हुआ और कितना इस समय मौजूद है। यह कानून आज से करीब ३ साल पहले आया था उस वक्त से आज तक क्या क्या सुधार हुये यह सब मंत्री जी जी को बतलाने की मेहरबानी करनी चाहिये। कुछ शाब्दिक गलितियों के अलावा देखना यह है क्या कि किसी ने इस कानून का नजायज फायदा तो नहीं उठाया है और सरकारी कोष का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ है हमारा प्रदेश इससे लाभान्वित हुआ है या नहीं और आशा है कि माननीय श्रम मंत्री जी ऐसा प्रयत्न करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि उस गलती का संबंध है कि जिसकी वजह से इस बिल को सदन के सामने लाना पड़ा, उसके लिये तो पहले भी क्षमा मांग चुका हूं और फिर उस क्षमा मांगने की बात को दोहराता हूं। तीन बरस पुरानी गल्ती तो नहीं है, प्रेसीडेंट के दस्तखत के बाद २ बरस हुये हैं लेकिन गल्ती गल्ती ही है और उसके लिये मुझे यह कहने में आपत्ति नहीं है कि ऐसी गल्ती नहीं होनी चाहिये थी और हमें पहले ही देखना चाहिये था।

श्री नारायण दत्त जी ने इस बिल के नाम के संबंध में कुछ एतिराज किया था। उन्होंने इस सिलसिले में पायनियर में "स्लिन्ग्स एन्ड एरोज" में मजाक की शक्ल में कुछचीजें निकाली थीं जिन मेम्बरों ने अंगरेजी का बिल देखा होगा उन्होंने तो जान ही लिया होगा कि चालक मद्यसार क्या

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

होता है। मैं समझा कि पाइनियर में मजाक की चीज हो गई लेकिन कोई नये मेम्बर ऐसा समझते तो किसी हद तक खूबसूरती के साथ कहा जा सकता था कि यह ठीक है किसी भूले भटके नये सदस्य ने ऐसा लिया होगा लेकिन जब नाम के बारे में श्री नारायण दत्त जी ने अब एतराज किया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि सन् ५० में भी इसका नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक था। अगर यह नाम गलत था तो सन् ५० में ही सदन को इस पर एतराज करना चाहिये था और इसे नहीं मानना चाहिये था और अब तो जब से वही नाम इसका चला आ रहा है जैसा कि हमारे पुराने सदस्य जानते होंगे, इसलिये इस समय उनको इस तरह के एतराज का कोई मौका नहीं है। अब तो उनको चाहिये कि जो लोग इसको न समझे हों उनको मदद दें और उनको समझावें।

अगर हमको राजभाषा हिन्दी को बनाना है तो फिर हमको नये नये शब्दों का प्रयोग करना ही होगा क्योंकि जो रोज का व्यवहार है उसमें वैसे शब्द मिलही नहीं सकते। अंग्रेजी में भी कितने ही शब्द लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच से आये हुये हैं। सब ऐंग्लो सेक्शन शब्द नहीं हैं। जब कोई नयी चीज व्यवहार में आने लगती है तो उसका प्रचार हो जाता है और वह खटकती नहीं। अगर हमको हिन्दी को बढ़ाना ही है तो यह बड़ी गलत चीज होगी कि कोई नया शब्द आ गया तो उससे घबड़ाने लगें। अगर ऐसा होगा तो हिन्दी कभी व्यवहार में आ ही नहीं सकती है।

मेरी मुसीबत यह है कि वह यहां इस वक्त मौजूद नहीं हैं। लेकिन चूंकि शुरू में उन्होंने ही कहा था इसलिये मैं जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने इस बात की भी सलाह दी थी कि फंड किस तरह से चलाना चाहिये। यह सवाल १९५० में उठाना चाहिये था जबकि फंड शुरू किया गया था। उस वक्त इस सदन ने जरूर ही कुछ सोच समझ कर जिस ढंग से मुनासिब समझा उसे मंजूर किया। अब इस बात का मौका नहीं है कि उसको किस तरह से चलाना चाहिये था, कितना रुपया लेना चाहिये था।

अभी गेंदा सिंह जी ने दो एक बातों का जिक्र किया। एक तो शीरे की कीमत की बाबत। उनको मालूम होगा कि इस फंड का इतिहास थोड़े में है जैसा कि उन्होंने खुद जिक्र किया कि चालक मद्यसार या पावर अलकोहल जो कुछ भी कहिये उसको प्रोत्साहन देने का जिस समय प्रश्न आया तो उस वक्त हमारा ख्याल यह था कि चूंकि पेट्रोल हमारे देश में करीब करीब न के बराबर पैदा होता है इसलिये पेट्रोल का जितना कम खर्च हो उतनाही अच्छा है और चूंकि हमारे सूबे में शकर के बहुत से कारखाने हैं इसलिये यहांपर इसके बनाने का बहुत अच्छा मौका है। तो डिस्टिलरीज के लिये यह प्रबन्ध किया गया कि चार आने के भाव से उनको शीरा मिलेगा और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिये हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा, चाहे पांच आने में बेचें, दस आने में बेचें, या दो रुपये में बेचें। इसके मानी यह हुये कि डिस्टलरी वालों को छोड़कर मनमाने दामों पर बेच सकते थे। लेकिन जो इस किस्म के कारखाने वाले थे उनसे एक जेंटिलमैन्स प्रामिस यह हुआ कि चार आने के भाव से जो अधिक बेचने पर रुपया मिलेगा वह एक फंड में जमा कर देंगे जो कि बिल के अन्दर कायम रखा गया था। यह एक समझौते की बात है। जहां तक हम जानते हैं, मुमकिन है कि कहीं पर गलती हो गई हो लेकिन चूंकि इसी तरह से काम हुआ हमने उनके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया। जिस वक्त फंड कायम हुआ तो चालीस लाख से ऊपर जमा हुआ। इस वक्त की मैं ठीक रकम नहीं बतला सकता क्योंकि यह टेक्निकल सा बिल था इसके लिये मैं तैयार होकर नहीं आया था। लेकिन यह ख्याल था कि इस रुपये से करीब पंद्रह सौ मकान तयार हो जायंगे क्योंकि मोटे तौर से एक मकान में २५ सौ या २७ सौ का एस्टीमेट था। उस वक्त यह भी ख्याल था कि कुछ रुपया रिसर्च के वास्ते रखेंगे। इस प्रकार से इस फंड का उद्गम हुआ। यह जेंटिलमेंस ऐग्रीमेंट की बात है। अब मिल के मालिक जो हैं उनको भी आज कुछ उज्र है और एक बात यह बड़ी महत्व की है जिस तरफ गेंदा सिंह जी ने ध्यान दिलाया। वह पावर अलकोहल की खपत की बात है। उसकी खपत कम है उसका कारण यह है कि यह पूरे तौर से सूबे की सरकार के अधिकार की बात नहीं है क्योंकि

पूरा पूरा अलकोहल जितना बने वह सब उत्तर प्रदेश में खर्च हो जाय ऐसा संभव नहीं है। उस वक्त तो इस बात की आशा की गयी थी कि सारे देश में इसका व्यवधान लग जायगा कि जहां जहां भी पेट्रोल खर्च हो पेट्रोल के साथ-साथ कुछ न कुछ पावर अल्कोहल भी खर्च किया जाय यह बात कुछ हद तक रही। उसके बाद माननीय सदस्य को याद होगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने धीरे-धीरे इस सारे व्यवधान को उठा लिया। उत्तर प्रदेश ने बार बार उनको प्रेस किया कि पावर अल्कोहल बहुत जरूरी चीज है। पावर अल्कोहल की देश के लिये सिविल कामों के लिये और रक्षा के कामों के लिये उपयोगिता हो सकती है तो बंधन लगाना चाहिये, लेकिन किन्हीं वजूह से हो उन्होंने मंजूर नहीं किया और सब जगह से प्रतिबन्ध हट गया। हमने उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों तक इस प्रतिबन्ध को कायम रखा, लेकिन जो प्रतिबन्ध सारे प्रदेशों से उठ जाय वह अकेले उत्तर प्रदेश में चल नहीं सकता था। इन सब कारणों से जितनी खपत पावर अल्कोहल की होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी और न वजहों से जो लोग हैं उनको भी शिकायत होगी।

मकानों की बात, जैसा मैंने कहा अभी गेंदा सिंह जी ने जिक्र किया कि मकानों का नकशा बहुत उपयुक्त नहीं हैं और मकानों के बनाने में रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। जो इस वक्त तक हमारी सूचना है वह तो यह है कि ३१६ मकान पूरे तौर से तयार हो चुके हैं और अगले सीजन के खुलने, शुरू होने तक ६३३ मकान तैयार हो जायेंगे, यानी ९४९ मकान तैयार हो जायेंगे, यानी ऐसी हम आशा करते हैं कि अगले सीजन तक जो हमारा पहला ख्याल था कि १,५०० मकान बनें, उसमें से ५०० मकान बनने को बाकी होंगे।

अब जहां तक नकशे की बात है तो जहां तक कानपुर की बात है वहां तो पहले से ही काम शुरू किया गया था और वहां पहले ही वह बन गये थे। जो रीजनल कमेटी है उसके नारायण दत्त जी भले ही मेम्बर न हों लेकिन जो बड़ी ऐडवाइजरी कमेटी है जिसके सामने नकशा रखा जाता है उसके वे मेम्बर हैं और मुझे याद है कि उसकी अंतिम मीटिंग जब नैनीताल में हुई थी तो नकशे मेम्बरों के सामने आये थे। मैं खुद इंजीनियर नहीं हूं और न हमारे ऐडवाइजरी कमेटी के मेम्बर या नारायण दत्त जी से यह आशा की जा सकती है कि वह भी इंजीनियर हों। मुमकिन है कि हम उन लोगों के समझने में गलती हुई हो। तो मैं ही कह सकता हूं कि नारायण दत्त जी ने कहा कि कानपुर के टाइप के मकान पूर्वी रीजन में रहने वाले मजदूरों के लायक नहीं हैं तो मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्यों ठीक नहीं हैं। क्योंकि और जिनके लिये वह बनाए गये हैं उनके लिये ही अगर ठीक नहीं हैं तो बेकार बात है और चाहे एक पैसे का दुरुपयोग न हुआ हो लेकिन यह दुरुपयोग तो हो ही गया। नारायण दत्त जी ने यह कहा कि आम तौरसे यह शिकायत है कि मिल वाले अपने फेवरिट लोगों को उनमें भर देते हैं और मजदूरों को मकान नहीं मिलते हैं। एक दो शिकायत ऐसी जरूर आई है लेकिन व्यापक रूप से ऐसी शिकायतें मेरे पास नहीं आईं। उनके कहने का मतलब अगर मैं समझा, तो यह है कि आम तौर से ऐसा हो रहा है। तो मेरे पास तो आम तौर पर ऐसी शिकायत नहीं आई है और मेरा ख्याल यह है कि मुझको व्योरे से शिकायत भेजी जाय कि फलां फलां जगह मजदूरों को मकान न दे कर मिल वालों ने फलां को भर दिया तो मैं जरूर उसको देखूंगा और कार्यवाही की जायगी।

एक चीज गेंदा सिंह जी ने कही कि रुपये का दुरुपयोग होता है। उसी क्षेत्र में २० रुपये हजार के भाव से ईंट मिलती है पब्लिक के लिये और मिल वाले ६० रुपये हजार के भाव से खरीदते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि रुपया उन्हीं सबका आया है लेकिन जब वह फंड में आ गया तो वह पब्लिक का रुपया हो जाता है और उसका दुरुपयोग इस तरह से नही किया जा सकता और इस बात के देखने की कोशिश करूंगा कि पैसा चाहे थोड़ा हो लेकिन उसका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिये। एक केस की सूचना तो उन्होंने दी है और मैं उसको देखूंगा लेकिन और भी अगर इस किस्म की सूचना मिलेगी तो मैं अवश्य देखूंगा कि रुपये का दुरुपयोग न हो और गलत तरीके पर वह खर्च न हो, यह मेरी कोशिश रहेगी।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इन शब्दों के साथ आशा करता हूं कि जिस विधेयक को मैंने सदन के सामने रखा था वह स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम १६, १९५१ का लागू किया जाना।

२--उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (३) में किसी बात के होते हुये भी--

(१) उक्त अधिनियम १ सितम्बर, १९५१ ई० से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा।

(२) १ सितम्बर, १९५१ से इस अधिनियम के प्रारम्भ तक की अवधि में उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञायें या बनाये गये नियम, किये गये कार्य या की गयी कार्यवाहियां, दिये गये आदेश या प्रयुक्त अधिक्षेत्र को विधि में उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझा जायेगा मानों उक्त अधिनियम (ऐक्ट), एक हो १, सितम्बर १९५१ से प्रचलित था।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

उत्तर प्रदेश अधिनियम १६, १९५१।

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण उअौर विकास निधि अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० को अनुपूरित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम १६, १९५१।

यह आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई० को अनुपूरित किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शक्कर और मद्यसार चालक उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*प्राविडेंट फंडस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राविडेंट फंड्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स.....।

श्री अध्यक्ष---कौन सी आपत्ति है, पहले यह तो बतलाइये आप।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं रूल ९६ के मुताबिक पेपर्स चाहता हूं। ९६ नियम जो असेम्बली रूल्स का है---

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the bill is based and which are not confidential may be placed on the table of the house."

[जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।]

तो इस रूल के मुताबिक मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से चाहूंगा कि कौन कौन से पेपर्स हैं, कितनी किस किस की डिमांड्स हैं, क्या आंकड़े हैं जिनके अनुसार यह बिल सरकार को लाने की आवश्यकता पड़ी, वह हमें दिये जायं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब को यह तवज्जह दिलाऊं कि जो रूल अभी पढ़ा गया उसके जरिये से अभी वह मौका काग़जात मांगने का पैदा नहीं हुआ। इसमें तो यह लिखा हुआ है कि विचार का मोशन जब उपस्थित हो जाय तो उस वक्त वे कागजात मांगें जा सकते हैं। यह जो रूल अभी पढ़ा गया है, इसी में यह लिखा हुआ है। तो यह तो एक कब्ल अज़वक्त बात है।

श्री अध्यक्ष---आप जारी रखें। मतलब यह है कि जो मोशन है कंसिडरेशन का, वह अभी पेश नहीं हुआ। वह पेश होने के बाद आप नियम के अनुसार कागज मांग सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---दूसरी बात यह भी अर्ज किये देता हूं कि जो काग़ज मांगे गये हैं वह काग़ज कोई है नहीं। जो मैं अर्ज करूंगा इस बिल की बाबत उससे मालूम होगा कि इसका कोई काग़ज वाग़ज है नहीं।

---

*३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

तो मैं यह अर्ज करने वाला था कि सन् ४९ में यू० पी० के लेजिस्लचर ने एक कानून पास किया जिसके जरिये से काश्तकारों को कुछ हक दिये गये, प्रिविलेजेज दिये गये। उनमें का एक प्रिविलेज यह था कि जो काश्तकार अपने लगान का १० गुना रुपया जमा कर देगा उसको भूमिधरी के राइट्स हासिल हो जायेंग। चुनांचे काश्तकारों ने जमा किया। कितने ही मुलाजिम भी थे ऐसे कि जिनके पास काश्तकारी थी और उस काश्तकारी की जमींन में उनको भूमिधरी के राइट्स हासिल करने की जरूरत हो सकती थी। तो सरकार ने यह किया कि जो सरकारी मुलाजिम यह चाहता हो कि वह भूमिधरी राइट्स हासिल कर ले अपनी किसानी की जमींन में और उसके पास रुपया नहीं है तो वह रुपया अपने प्राविडेंट फंड से ले सकता है जितना रुपया कि १० गुना में जमा करने के लिये चाहिए और बाद को वह उसे चाहे तो जमा कर दे और न हो सके तो न करे। और इस बात को कानून की रू से ठीक समझा गया। जहां सरकारी मुलाजिमों ने अपने प्राविडेंट फंड में से रुपया मांगा उनको रुपया दिया गया। बाद में आ करके यह बात महसूस हुई कि जो सन् २५ का यह ऐक्ट है प्राविडेंट फंड का गवर्नमेंट आफ इंडिया का बनाया हुआ उसकी धारा ३ जो है उसमें यह दिया गया है कि प्राविडेंट फंड का जो यह रुपया होगा यह किसी चीज में कुर्क नहीं हो सकता है, अटैचमेंट से प्रोटेक्शन है। इसका वह प्रोटेक्शन इस सूरत में नहीं बाकी रहेगा इसलिये कि यह काम जिस काम के लिये उनको रुपया लेने की इजाजत दी गयी, धारा २ में जिसमें कि चीजें लिखी गयी हैं उसमें सेक्शन ३ जो है उसमें कम्पलसरी डिपाजिट लिखा है और कम्पलसरी डिपाजिट की डेफिनीशन २ में दी गयी है, तो उस कम्पलसरी डिपाजिट की डेफीनीशन में यह रुपया कि जो इस तरीके से लिया गया था शामिल नहीं है कि इस गरज से भी लिया गया हो तो वह कम्पलसरी डिपाजिट समझा जायगा और दफा ३ की रू से वह महफूज रहेगा। चूंकि यह अंग्रेजी में है लिहाजा अंग्रेजी में यह अल्फ़ाज दिये हुये हैं :—

"or for acquisition of bhumidhari rights under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or privileges under the U. P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949, shall be inserted."

यह अल्फ़ाज इसमें बढ़ जायंगे यानी एक परपज और बढ़ जायगा और इस परपज के लिये भी रुपया लिया जायगा तो वह कम्पलसरी डिपाजिट होगा। उसकी डेफिनीशन में आ गया और वह अटैच नहीं हो सकेगा जैसा कि सेक्शन ३ में दिया हुआ है। सरकारी मुलाजिमों के बारे में प्राविडेंट फंड की बाबत एक चीज पैदा हो गयी है उस चीज को दूर करने के लिये उस प्रोटेक्शन को बाकी रखने के लिये जो प्रोटेक्शन इस कानून ने दिया है, यह संशोधन इस कानून के अन्दर लाया गया है। मकसद इसका सिर्फ इतना है। इसलिये इसके न कोई पेपर्स हैं और न कोई काग़ज हैं जिस पर यह बिल मुनहिसर हो। यह एक सीधा साधा बिल है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको पास कर देगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इस बात के लिये मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हमको इसका मौका दिया कि सरकार की मुआविजा सम्बन्धी नीति और दसगुना के मामले में हम फिर उनको दोबारा सलाह दें। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से काग़जात मांगे तो उन्होंने पहले तो एक कानूनी आब्जेक्शन बतलाया और उसके बाद कह दिया कि असलियत यह है कि इस सम्बन्ध में कोई काग़जात हैं भी नहीं। आज मैं देखता हूं कि कई बिल हमारे इस सदन के सामने उपस्थित हुये। दो चार उनमें जुमले होते हैं और सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि यह बहुत ही मामूली बिल है, इसमें इस किस्म की इरेंगुलेरिटी

(अनियमितता) आ गयी थी, इसलिये इसको नियमित करना है। असलियत यह है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इतनी जहमत उठाई होती और सरकार ने तमाम जिलों से काग़जात इकट्ठा किये होते तो सरकार का एक बहुत बड़ा राजफ़ाश हो जाता और अध्यक्ष महोदय आप के भी रोंगटे खड़े हो जाते कि किस तरह से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से जबरदस्ती प्राविडेंट फंड से क़र्ज़ा देकर के दसगुना वसूल किया। आज तीन चार साल के बाद सरकार को यह सूझा है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मसला पेश हो जाय कि जो प्राविडेंट फंड खास जरूरतों के लिये था, जैसा कि आगे चल करके मैं निवेदन करूंगा वह इस तरह से जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों से वसूल करके दसगुना में वसूल किया गया। हमें सरकार की हठवादिता पर अफसोस होता है। आप जानते हैं कि सरकार के सलाहकारों ने सरकार को यह सालह दी कि चूंकि महंगी है, अनाज महंगा बिकता है, इसलिये आसानी से १८० करोड़ रुपया जमींदारों को मुआविजा देने के लिये वसूल हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, तीन चार वर्ष की कोशिश के बाद भी उस फंड में ३१ करोड़ से एक पैसा आगे नहीं बढ़ा। और यह भी आपको जानकारी है और सदन के अन्य सदस्यों को भी जानकारी है कि ३१ करोड़ रुपये में से मुश्किल से मेरा ख्याल है कि २०,२२ करोड़ रुपया ऐसा है जो कि सचमुच दसगुने रुपये में जमा हुआ है और बाकी झगड़े के खेतों का है सरकार की तरफ से प्रचार हुआ कि जो भी १० गुना जमा कर देगा उसको एक हक मिल जायगा और इस तरह से ३, ३ और चार चार फरीकों ने एक एक खेत पर दसगुना जमा किया और वह ३१ करोड़ की रकम है, उसे हमारी सरकार वसूल कर चुकी है। लेकिन अब तीन चार साल दसगुना वसूल करके और भूमिधरी राइट का प्राविजन करके क्या जमींदारी एबालिशन ऐन्ड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट की नीति कामियाब रही है या नहीं रही है इस पर फिर विचार करना चाहिये। आज आप जानते हैं कि छोटी छोटी भी प्रादेशिक सरकारों को और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे मसलों का सामना करना पड़ता है कि फला समस्या के कारण विधान में संशोधन करना कि पार्लियामेंट विधान को बदले तो राज्य सरकारें कोशिश करती हैं लेकिन मुझे जानकर यह ताज्जुब हुआ कि इस स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक पार्लियामेंट या वहां के प्राइम मिनिस्टर को यह नहीं लिख कर भेजा कि विधान से जो मुआविजे वाला क्लाज है वह हटा दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात चाहे मानी जाय या न मानी जाय लेकिन इतने तजुर्बे के बाद भी अगर सिद्ध होता है ....

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जनाब की तवज्जह के लिये, जितनी तकरीर अब तक हुई है और जो हो रही है उसका ताल्लुक इस अमेंडमेंट से नहीं है बतला दूं। असली बिल जो था जिसका यह अमेंडमेंट है वह तो पास शुदा है इस लेजिस्लेचर से और आज उसके ऊपर किसी किस्म से कुछ कहना ग़ैरताल्लुक बात है। इस तरमीम के मुताल्लिक जो कुछ कहना हो वह कहें।

श्री अध्यक्ष—मैं खुद टोकने वाला ही था कि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की तरफ, दसगुने की तरफ और उसके सिद्धान्तों की तरफ इशारतन अगर कुछ थोड़ा सा कहा जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको नतीजा निकालना चाहिये जो कि इस विधेयक पर चस्पां हो जाय। कोई इस तरह का नतीजा पहिले निकालें और फिर आगे बढ़ें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, आपकी बुद्धिमत्ता का तो मैं कायल हूं और सम्भवतः मैं आपको मौका नहीं देता टोकने का लेकिन मैंने सरकार की एक खास रग पर चूंकि हाथ रख दिया इसलिये फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भड़क जाना पड़ गया। असलियत यह है कि वह सोचने यह लगें कि कहीं उनकी उस असफल नीति की फिर से चारों तरफ से गूंज न हो और उन्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े इसलिये बहुत जल्द

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

घबड़ा गये। मैंने यह कहा कि सरकार की तरफ से इस दसगना फंड को बढ़ाने के लिये ज्यादती की गई और एक ज्यादती यह भी है। उसमें हजारों ऐसे मसले हैं कि जिनकी सरकार को गरज नहीं है इंक्वायरी कराने की। लोगों के गन्ने का रुपया बाकी था कटौती का उसको जबरदस्ती दसगुने में ले लिया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों का भी दसगुना उनकी मंजूरी से ले लिया गया जो कि कभी के मर चुके थे। इस किस्म की मिसालें माननीय गेंदा सिंह जी ने देवरिया की और और जगहों की बतलाईं। सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों पर जोर डाला गया, डिप्टी कमिश्नरों पर और एस० डी० ओज० पर कि यह प्राविडेंट फंड का रुपया है इसे जल्दी से जल्दी वसूल किया जाय। सरकार का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अपने खेतों का दसगुना देना लाजिमी हो। लेकिन हद से बाहर जा करके सरकारी कर्मचारियों को मजबूर किया गया और पता लगाया गया कि किसका कितना खेत है, कौन है और कितना लगान देता है और वह दसगुना जरूर जमा करे। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि कौन से कानून के मातहत यह रुपया वसूल किया गया। आज खुद अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारी इन बातों का जवाब देते कि कितनी दरख्वास्तें हैं और कितने लोगों की हैं तब वह राज खुलता। लेकिन सरकार का बहुमत है, जिस चीज को चाहे रेगुलराइज करदे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं उन धाराओं पर आना चाहता हूं जिनका कि जिक्र माननीय वित्त-मंत्री ने किया। आप खुद देखेंगे कि प्राविडेंट फंड ऐक्ट १९२५ की धारा २ में यह लिखा है कि

"In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context compulsory deposit means a subscription to or a deposit in a provident fund which, under the rules of the fund, is not, until the happening of some specified contingency, repayable on demand otherwise than for the purpose of payment of premia in respect of life insurance."

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस विधेयक पर विचार करने का विरोध कर रहे हैं क्या ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो पहिले आपको यह स्पष्ट कहना चाहिये था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध ही नहीं घोर विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इसमें साफ लिखा है कि यह फंड किस लिये यूटीलाइज किया जा सकता है।

"for the purpose of payment of premia in respect of policy of life insurance or the payment of subscriptions or premia in respect of a family pension fund."

अब उसके बाद हमारी सरकार यह जोड़ना चाहती है कि—

"Or for acquisition of bhumidhari rights under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or privileges under the U.P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949."

हमारी सरकार ने यहां तक भी तकलीफ गवारा करने की जरूरत नहीं समझी कि उसमें इतना भी रख देती कि अगर संबंधित व्यक्ति से इस किस्म की मांग को साफ कह दिया

गया है कि सरकार को भी इतना हक़ नहीं है कि वह सरकारी कर्जे में भी उस फंड में से रुपया ले सके। इस ऐक्ट का सेक्शन ३ (१) (ए) इस प्रकार है—

"A compulsory deposit in any Government or Railway provident fund shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any civil, revenue or criminal court in respect of any debt or liability incurred by the subscriber or depositor and neither the official assignee nor any authority appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920, shall be entitled to or have any claim on any such compulsory deposit.

मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस ऐक्ट को पढ़ने की तकलीफ नहीं उठाई। जब हमें यह बात मालूम नहीं है कि कितने लोगों का मामला है और कितने लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं, हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते। अब ३ साल के बाद सरकार की आंखें खुली हैं कि उनसे सूद भी वसूल किया जाय। प्राविडेंट फंड तो इंसान जब बूढ़ा होने पर रिटायर होता है तब उसके बाल बच्चों और कुनबे की मदद के लिये होता है। इसे आदमी अपने रोटी कपड़े से रुपया बचा कर जमा करता है। कौन ऐसा हर्ज हो जाता है यदि १० गुना जमा करने के लिये इस फंड में से रुपया न निकाला जाय? इसमें एक सिद्धांत की भी बात है कि चाहे किसी पार्टी का भी बहुमत हो, हमको सरकारी कर्मचारियों की वक़त करनी जानना चाहिये। हमें हर प्रकार से दखल नहीं देना चाहिये। जब सरकारी कर्मचारियों की ही राय सरकार ने नहीं जानी तो कैसे यह विधान सभा इस अमेंडमेंट को मंजूर कर ले, मेरी समझ में नहीं आता। किस तरह से सरकार की इस ज्यादती पर हम मोहर लगा दें, यह एक समझने की बात है। तो मैं समझता हूं कि अब भी समय है, माननीय मंत्री जी के पास और भी फंड्स हैं और सरकारी कर्मचारियों की कर्जे की सोसाइटियां भी हैं, उनसे इतना रुपया कर्जा भले ही दिला दिया जाय और प्राविडेंट फंड का कर्ज रेफंड करा दिया जाय और मैं तो समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री की तरफ से एक फ्री आर्डर होना चाहिये कि अगर कोई दरख्वास्त दे कि उससे जबर्दस्ती रुपया इकट्ठा किया गया है तो वह अपना रुपया वापस ले सकता है और उसकी १० गुना की सनद वापस कर दी जायगी क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, दस गुना न जमा करने से उसकी जमीन तो कोई निकलती नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि कम से कम हमारे बुजुर्ग वित्त मंत्री जी के हाथों से कोई इस किस्म का काम न हो कि जिससे उनकी जग हंसाई हो और उनके साथ साथ उनकी सरकार की भी हंसाई हो। अब भी वक्त है। हम लोग तो गांधी जी के शिष्य हैं। बड़ी बड़ी गल्तियां गांधी जी एक मिनट में मान लिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, चूंकि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है इसलिये मैं तमाम ज्यादतियां बयान करने में मजबूर हूं फिर भी सरकार एक गलती के बाद दूसरी गलती करती चली जा रही है। उसे ऐसी गलती न करनी चाहिये कि जबरदस्ती क़र्ज़ा लेने के लिये उनको मजबूर किया जाय। अगर बहुत ही जरूरी हो तो उनको और तरीके से कर्जा देकर, तकावी रुपया वसूल किया जा सकता है लेकिन प्राविडेंट फंड को जब कि वह उनके बुढ़ापे के लिये, बाल बच्चों के लिये, उनके मरने के बाद उनकी बेवाओं आदि के लिये होता है, किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और इसको वापस लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय त्रिपाठी जी ने जो भाषण दिया उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तरफ तो वह काश्तकारों और किसानों के हित की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ वह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक के संबंध में पिछली बातें उठाना और दस गुना के प्रश्न को इस सदन के सामने लाना उचित नहीं है। यह विधेयक एक बहुत ही छोटा सा विधेयक है और इसका उद्देश्य किसानों को फायदा पहुंचाना है। अब अगर त्रिपाठी जी यह चाहते हैं कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाय तो उसका अर्थ यही होगा कि जो उनको बचत दी जा रही है, जो उनके

[श्री शिवनाथ काटजू]

प्राविडेंट फंड की रक्षा की जा रही है वह उस रक्षा को वापस लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछूंगा कि क्या वह यह चाहते हैं कि उनका प्राविडेंट फंड जो उन्होंने दस गुने के लिये जमा किया है वह उस दस गुने के ऊपर खर्च न हो बल्कि और किसी कर्जे के ऊपर उसकी कुर्की हो जाय? क्या उसमें उनका हित होगा? इस संबंध में यह प्रश्न उठाना कि वह अपना रुपया वापस ले लें अगर जबरदस्ती उन्होंने रुपया जमा किया, यह बिलकुल इर्रेलेवेंट है। प्रश्न जो इस वक्त हमारे सामने है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। यह छोटा सा विधेयक सिर्फ यही बात सामने रखता है कि जहां प्राविडेंट फंड की रक्षा की गई है उस रक्षा के अन्दर वह रुपया भी शामिल कर दिया जाय जो किसी सरकारी कर्मचारी ने एक किसान के नाते दस गुना देने में जमा किया। आज हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाहें सौ, सवा सौ रुपये हैं और वे काश्तकार भी हैं, वे मध्यम श्रेणी के लोग अगर उन्होंने अपना रुपया बचा कर अपने प्राविडेंट फंड से दसगुने में दे दिया और भूमिधरी का अधिकार प्राप्त किया है तो क्या उनका इसी में हित होगा कि वह रुपया जो दस गुना देने में लगाया गया है वह वहां न जाय बल्कि कुर्क होकर और किसी दूसरी तरफ चला जाय। प्राविडेंट फंड का उद्देश्य यही है कि एक सरकारी कर्मचारी के वेतन से जो रुपया बचा कर रखा जाता है उसको उसके और उसके खानदान के लोगों के लिये जमा रखा जाय और किसी और कर्जे के अन्दर उसकी कुर्की न हो। इसमें १० गुने की बात नहीं थी उसी को इस विधेयक में बढ़ाया गया है अगर माननीय राम नारायण जी समझते हैं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाय तो उन काश्तकारों का जो कि छोटे कर्मचारी हैं जो थोड़ा वेतन पाते हैं, उनका क्या होगा, उनका हित कैसे होगा? मैं ख्याल करता हूं यदि माननीय राम नारायण की काश्तकारों का उतना ही हित चाहते हैं जितना कि लोग चाहते हैं तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह विधेयक वापिस ले लिया जाय तो किस तरह से हित होगा? मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इसमें किसानों की रक्षा की गयी है, किसानों का उसमें लाभ है अतः इसको स्वीकार किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, देखने में यह विधेयक बहुत ही छोटा है। देखने में यह ऐसा लगता है कि यह वास्तव में उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिये है जो प्राविडेंट फंड में चन्दा देते हैं और सरकार भी जिसमें हिस्सा देती है लेकिन वास्तव में यह संशोधन केवल उन कर्मचारियों से संबंध रखता है जिन्होंने भूमिधरी को प्राप्त करने के लिये आज से कुछ समय पहले कुछ एडवांस लिया था जो नान रिपेएबिल हो। ऐसे एडवांस को लेकर और कंपलसरी प्राविडेंट फंड की परिभाषा को लेकर जो यह संशोधन किया गया है वह आधारभूत ही गलत है। किसी भी स्टेट में कम्पलसरी डिपाजिट की परिभाषा में परिवर्तन नहीं हुआ है फिर अगर आपको इस विधेयक में परिवर्तन करना ही था तो दफा २ में क्यों परिवर्तन किया गया। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में रिपेएबिल एडवान्स की बात कही गयी है उसमें कहा गया है—

"After the promulgation of the U. P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949, in order to enable those who were also tenants of agricultural lands. to acquire Bhumidhari rights in their land by paying a sum equal to ten times the rent they were permitted to take advances from their Provident Fund accounts, and were also as a special case, allowed the option either to repay the advances in accordance with the rules or not to repay them at all.

(सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) के प्रचारित होने के बाद ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो कृषि भूमि (Agricultural Lands) के काश्तकार थे, उनके प्राविडेंट फंड से अग्रिम ऋण (advance) के रूप में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से लगान के दसगुना देने के निमित्त द्रव्य दिया गया

था। उक्त कर्मचारियों को विशेष स्थिति में स्वतंत्रता दी गई गयी थी कि उक्त अग्रिम ऋण को नियमों के अनुसार वे वापस करें या बिलकुल वापस न करें ।)

तो जो कंसेशन दिया गया था वह न केवल नान रिपेएबिल एडवांसेज के लिये ही था बल्कि रिपेएबिल एडवांसेज के लिये भी थी। अगर माननीय मंत्री जी अपनी नियमावली का अवलोकन करें तो उनको मालूम होगा कि उनके विधेयक का आधार और और प्राविडेंट फंड का आधार कितना परस्पर विरोध में है। यह ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ की धारा २४१ के अनुसार बनाया गया है तो उसकी नियमावली ११, १२ और १३ की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"11. Temporary advances may be granted to a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund, provided that no such advance shall be admissible from this fund to a subscriber who has also joined the General Provident Fund. The grant of advances shall be regulated by rules 12 and 14 of the Contributory Provident Fund Rules (United Provinces). In making an advance under rule 12(c) of those rules, the sanctioning authority shall see that the balance of subscriptions and interest thereon left in the Fund is sufficient to make payments of insurance premia under rule 21 of these rules.

12. A subscriber to this Fund shall not be allowed to make a withdrawal from the amount of subscription with interest thereon standing to his credit in the Fund to make payments towards insurance policies or a family pension fund except an insurance policy taken under these rules.

13. No government servant shall be allowed to withdraw the amount at his credit in the Fund or the amounts of his subscriptions and interest thereon in the Fund before actually he retires."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के क्लाज (बी) आफ सब सेक्शन (२) आफ सेक्शन २४१ आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ ऐज एडाप्टेड बाई दि इंडिया (प्रोविजिनल कंस्टीट्यूशन आर्डर) १९४७ में जब तक इसका संशोधन नहीं होता तब तक केवल प्राविडेंट फंड ऐक्ट में संशोधन करने से काम नहीं बनेगा । हमारी सरकार के जहां एक ओर काफी कानूनी सलाहकार लोग मौजूद हैं लेकिन मैं समझता हूं कि प्राविडेंट फंड रूल्स केवल एक ही ऐक्ट के अनुसार नहीं बने हैं। मैंने तो इस बीच में फाइनेंस कमेटी के मेम्बर होने की हैसियत से इस बात की कोशिश की कि प्राविडेंट फंड नियमों का कुछ पठन पाठन कर सकूं। अभी पढ़ ही रहा हूं और आज मैंने श्री परिपूर्णानन्द जी का लेख भी देखा है और मैं समझता हूं कि प्राविडेंट फंड के नियम बहुत ही जटिल हैं। वे एक ही ऐक्ट से कवर नहीं होते हैं। इसलिये प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९२५ से यह समझ लेना कि हम सेक्शन २(ए) के अनुसार उनको नान-रिपेएबिल ऐडवांस का अधिकार दे देते हैं, मैं समझता हूं कि एक प्रकार से यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ;
१० अगस्त, १९५३ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १५ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

७ अगस्त, १९५३ ई० को प्रवर समिति की दो बार बैठक हुई और तत्पश्चात् ८ अगस्त, १९५३ ई० को एक बैठक हुई। समिति ने विधेयक पर खण्डशः विचार किया। समिति ने माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये विभिन्न संशोधनों और समिति की बैठक में प्रस्तावित अन्य परिवर्तनों पर भी विचार किया।

जो बड़े परिवर्तन किये गये उनमें से कूछ निम्नलिखित हैं---

(१) "फैक्ट्री का अध्यासी (occupier of a factory)" की परिभाषा में,
(२) गन्ना बोर्ड का संगठन,
(३) परिस्थिति, जिसमें बोर्ड भंग किया जा सकता है, और
(४) गन्ना विकास परिषद् (Cane Development Council) के सभापति के नामोक्त तथा परिषद् के किसी सदस्य के हटाने के सम्बन्ध में, गन्ना कमिश्नर के अधिकार।

समिति ने १६-क के रूप में एक नई धारा बढ़ाकर दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था की है जिसके अन्तर्गत उसने फैक्ट्री के अध्यासी द्वारा खरीदे गये गन्ने के लिये प्रतिकर भूगतान करने के निमित्त वैधरूप से व्यवस्था की है। यह कमीशन गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति और गन्ना विकास परिषद् को देय होगा।

गन्ना फैक्ट्रियों की अनुमानित आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ परिवर्तन भी बढ़ा दिये गये हैं।

गन्ना पर बिक्री-कर लगाने से सम्बद्ध उपबन्ध निकाल दिये गये हैं।

एक और धारा बनाई गई है जिसके अन्तर्गत इस विधि के अधीन अपराधों की सुनवाई करने वाले मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अधिक से अधिक ५,००० रुपये तक अर्थ दण्ड लगा सकते हैं। कमेटी ने कुछ छोट मोटे परिवर्तन और भी किये हैं। कमेटी समझती है कि यथा संशोधित विधेयक को पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

हस्ताक्षर	(१)	श्री इकुम सिंह विसेन, उद्योग मन्त्री	सभापति
,,	(२)	श्री चरण सिंह, राजस्व मन्त्री	सदस्य
,,	(३)	श्री बलवन्त सिंह	
,,	(४)	श्री विश्वम्भर सिंह	
,,	(५)	श्री महीलाल	
,,	(६)	श्री शिव प्रसाद, देवरिया	
,,	(७)	श्री शिव कुमार शर्मा	
,,	(८)	श्री केशव पाण्डे, गोरखपुर	
,,	(९)	श्री बंशीधर मिश्र	
,,	(१०)	श्रीमती चन्द्रावती	
,,	(११)	श्री सुरेश प्रकाश सिंह	
,,	(१२)	श्री नारायण दास, फैजाबाद	
,,	*(१३)	श्री महमूद अली खा (सहारनपुर)	
,,	*(१४)	श्री गेंदा सिंह	
,,	*(१५)	श्री नारायण दत्त तिवारी	
,,	*(१६)	श्री हनुमान प्रसाद	
,,	(१७)	श्री शिव सरन लाल	

*असहमति की टिप्पणी के साथ।

इस विधेयक को पढ़ने के बाद पहले ही हमें निराशा हुई थी। हम यह समझते थे कि १९३८ ई० से लेकर अब तक जो अनुभव गन्ना-चीनी व्यवसाय के सम्बन्ध में ईख से लेकर चीनी बनने तक सरकार को हुआ है उससे लाभ उठा कर ऐसा अधिनियम सरकार बनायेगी जिससे उन कठिनाइयों का समाधान हो जाय। परन्तु हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक को जिस प्रकार तैयार किया गया है उससे यही स्पष्ट होता है कि पिछले अनुभव से कोई लाभ नहीं उठाया गया है।

सदन के इस विधेयक पर कुछ बहस होने के बाद इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव से हमें प्रसन्नता इसलिये हुई कि इस विधेयक की रूप रेखा ऐसी बन सकेगी जिससे बहुत सी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसमें संदेह नहीं कि कुछ धाराओं में ऐसे संशोधन हुये भी परन्तु अधिकतर ऐसे संशोधन जिसके द्वारा केन कमिश्नर, कलेक्टर अथवा सरकार के हाथों में शक्ति केन्द्रीभूत होने से रुक जाय और वह जनता (ईख उत्पादकों) द्वारा बनायी हुई अर्ध सरकारी संस्थाओं को कुछ शक्ति मिल जाय, मानने को सरकार रत्ती भर तैयार नहीं है। पिछले १५ वर्षों में इतने घोर परिश्रम से बनायी हुई सहयोगी संस्थाओं के सहयोग लेने की आवश्यकता सरकार न तो राज्य शूगर कंट्रोल बोर्ड अथवा प्रत्येक मिलों में बने विकास परिषदों में तैयार है। अलबत्ता अपने ही हाथों बनायें (नामांकित) किये सदस्यों के बोर्ड और परिषद् को बिना किसी कारण बतलाये तोड़ देने का अधिकार स्वतः सरकार ले रही है तथा केन कमिशनर को दिला रही है यद्यपि इस बोर्ड के जो अधिकार पहले से रहे हैं उन्हें भी कम कर दिया गया है। हमारी यह प्रार्थना है कि बोर्ड कम से कम राज्य सरकार को गन्ना की क्या कीमत निर्धारित हो सलाह दे स्वीकार न हो सकी।

यह व्यवसाय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यवसाय है। इसका सर्वतोमुखी विकास हमारे प्रदेश के विकास में सर्व प्रथम स्थान रखता है। परन्तू इसी व्यवसाय से एक भारी रकम प्रति वर्ष सरकार ईख- कर के नाम से वसूल करती है। यह रकम १९५२-५३ के सोजन तक लगभग २० करोड़ के इक्ट्ठी हुई होगी। जिस समय यह कर लगाया गया था उसी समय इसका उपयोग इस व्यवसाय की तरक्की में किया जायगा, कहा गया था। परन्तु दो पैसे मन के स्थान आज तीन आने मन ईख के दाम के साथ सरकार वसूल करती है, और आगे ४ आने मन करने की इच्छा रखती है। परन्तु इस रकम का अधिक भाग इस व्यवसाय के विकास में व्यय करने को तैयार नहीं है जब कि भारतवर्ष के किसी विशेषज्ञ का मत सरकार के हट के पक्ष में नहीं है। इस कर को कम करना और जो भी लिया जाय उसका अधिकांश इस व्यवसाय की उन्नति में व्यय किया जाय इसका विरोध सरकार द्वारा समझ में नहीं आता।

हमें प्रसन्नता है कि बिक्री-कर लगाने के कठोर इरादे को सरकार ने बदल दिया।

हमारे प्रदेश के मिल मालिक गन्ना का दाम जितने दिन भी रोकने में सफल हो सके इसके लिये बड़ा अपवित्र इरादा पिछले दो वर्षों से रखा है। इसमें उन्होंने जिले के कलक्टरों और केन कमिश्नरों को प्रसन्न रखने में सफलता प्राप्त की है, और इसी का परिणाम है कि ईख उत्पादकों को, ईख सोसाइटियों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। इस विधेयक में भी इसी प्रकार की धारायें कलक्टरों तथा केन कमिश्नरों के अधिकार के सम्बन्ध में रखी गयी है। प्रवर समिति में हजार बार आग्रह के बाद भी हम सफल न हो सके। इस अवसर पर भी हम स्थानीय केन यूनियन के बोर्ड के संचालक मंडलों को अधिकार दिलाने के पक्ष में थे, जिसका अध्यक्ष जिलाधीश हो सकता है, परन्तु हमें खेद है कि इसके लिये भी सरकार को राजी न कर सके।

हमारा यह अनुभव रहा है कि मिल के वास्तविक मालिकान कानूनी शिकंजों से बचने के लिये अपनी ओर से एक ऐसा व्यक्ति मालिक घोषित कर देते हैं जो केवल मुकदमों में उन

मालिकान का ढाल हो सकें और वे सभी अपराधों के पीछे छिपे रहते हैं। इस बुरे काम को रोकने के लिये हम चाहते हैं कि जब कभी अपराधी सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो न केवल इस प्रकार का घोषित नामधारी मालिक फंसे बल्कि उसे बनाने वाला भी। तभी अपराध नहीं होंगे और ईख उत्पादकों अथवा मजदूरों अथवा सरकारी रकम हजम करने को या रोक रखने का दुष्प्रयास नहीं होगा। साथ ही अपराधी को जेल की सजा अवश्य दी जाय। यह मैजिस्ट्रेट की इच्छा पर न हो, अधिनियम में स्पष्ट रख दिया जाय। पर इसमें भी हम सरकार को अपने मत का बनाने में असफल रहे।

इस प्रकार हमें बाध्य होकर यह असहमति टिप्पणी देने की आवश्यकता पड़ी। हमने बहुत से छोटे-मोटे मतभेदों को प्रवर समिति में भुनाया भी। परन्तु हम उन स्थानों पर अपने को रोकने में असमर्थ हैं जहां स्पष्ट हम देखते हैं कि इससे लाखों ईख उत्पादकों, हजारों मजदूरों और ईख सोसाइटियों का भारी अहित होने वाला है। हमें अब भी विश्वास है कि सदन और सरकार हमारे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करके विधेयक को ऐसा बनायेगी जिससे बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायं।

इस समय यह नोट लिखते समय हमारे सामने प्रवर समिति की रिपोर्ट नहीं है। इस हालत में कुछ अस्पष्टता हो जाना स्वाभाविक है।

(ह०) गेंदा सिंह,
(ह०) हनुमान प्रसाद मिश्र,
(ह०) नारायणदत्त तिवारी।

८ अगस्त, १९५३ ई०।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

चीनी की फैक्ट्रियों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद के विनियमन का

विधेयक

चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य सम्बद्ध विषयों का विनियमन करना आवश्यक है इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

परिभाषायें

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर—

(क) 'अभ्यर्पित क्षेत्र' (assigned area) का तात्पर्य धारा १४ के अधीन फैक्ट्री के निमित्त अभ्यर्पित क्षेत्र से है;

(ख) 'बोर्ड' का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित गन्ना बोर्ड से है;

(ग) 'गन्ना' का तात्पर्य फैक्ट्री में प्रयोग के लिये उद्दिष्ट गन्ने से है;

(घ) 'गन्ना कमिश्नर' (Cane Commissioner) का तात्पर्य धारा ६ के अधीन नियुक्त गन्ना कमिश्नर (Cane Commissioner) से है और इसके अन्तर्गत धारा १० के अधीन नियुक्त अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर (Additional Cane Commissioner) भी है;

(ङ) 'गन्ना उत्पादक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो या तो अपने आप या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, अथवा भाड़े की मजदूरी से गन्ने की खेती करता हो किन्तु गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति का सदस्य न हो;

(च) 'गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति' का तात्पर्य ऐसी समिति से है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्टर्ड हो और जिसका एक उद्देश्य यह भी हो कि वह अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित गन्ने को बेचे, और इसके अन्तर्गत उक्त समितियों का, उक्त ऐक्ट की धारा ८ के अधीन रजिस्टर्ड संघ भी है;

(छ) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के हेतु नियुक्त करे;

(ज) 'परिषद' (Council) का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित गन्ना विकास परिषद (Cane Development Council) से है;

(झ) 'पेराई का मौसम' का तात्पर्य किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो १ अक्टूबर से आरम्भ हो और उसके ठीक बाद पड़ने वाले ३० जून को समाप्त हो;

(ञ) 'फैक्ट्री' का तात्पर्य ऐसे गृहादि से है जिसके अन्तर्गत अहाते भी हैं, जिसमें २० या २० से अधिक श्रमिक काम करते हों या पिछले १२ महीनों में किसी दिन काम किये हों और जिसके किसी भाग में चीनी के उत्पादन से सम्बद्ध निर्माण प्रक्रिया (Manufacturing process) बैकुअम पैन द्वारा होती हो या यंत्र चालित शक्ति द्वारा (Mechanical power) सामान्यतः होती हो;

(ट) 'फैक्ट्री का अध्यासी' (occupier of factory) का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका फैक्ट्री के मामलों पर अंतिम (अल्टिमेट) नियंत्रण हो और जहां फैक्ट्री के ऐसे मामले

[प्रबन्ध करने वाले एजेंट के अधीनस्थ हों, ऐसे एजेंट से हैं; प्रबन्धक प्रबन्ध करने वाले डाइरेक्टर या प्रबन्ध करने वाले एजेंट के अधीनस्थ हो तो ऐसे प्रबन्धक, प्रबन्ध करने वाले डाइरेटर या प्रबन्ध करने वाले एजेंट से है;

(ठ) 'नियत' का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है;

(ड) 'खरीदारी एजेंट' (purchasing agent) का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे खरीदारी एजेंट के रूप में काम करने का लाइसेंस इस अधिनियम के अधीन प्राप्त हो;

(ढ) 'सुरक्षित क्षेत्र' (reserved area) का तात्पर्य धारा १४ के अधीन प्रचारित आज्ञा में निर्दिष्ट क्षेत्र से है;

(ण) 'नियम' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम से है;

(त) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; और

(थ) 'चीनी कमिश्नर' (Sugar Commissioner) का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो धारा ६ के अधीन चीनी कमिश्नर (Sugar Commissioner) नियुक्त हो।

अध्याय २

प्रशासन के साधन

(Administrative machinery)

गन्ना बोर्ड।

३—(१) राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये गन्ना बोर्ड की स्थापना करेगी।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:

(क) उद्योग मंत्री तथा कृषि मंत्री [अथवा उनके द्वारा नामांकित उनका प्रतिनिधि जो पदेन सभापति होगा,]

(ख) राज्य सरकार १५ सदस्य नियुक्त करेगी जिनमें से [६] ५ चीनी फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि होंगे तथा [६] ५ गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और [३] बाकी ऐसे व्यक्ति होंगे जो गन्ने के विषय में विशेषज्ञ [हैविंग] (पर्जेसिंग टेक्निकल नालेज) हों अथवा गन्ना या उससे निर्मित वस्तुओं से रुचि रखते हों; [और इनकी नियुक्ति सरकार करेगी]

(ग) गन्ना कमिश्नर या उनका प्रतिनिधि जो पदेन सदस्य होगा;

(घ) उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करे; यह बोर्ड का पदेन सचिव भी होगा।

(२-क) उद्योग मंत्री बोर्ड के पदेन सभापति (चेयरमैन) होंगे और उनकी अनुपस्थिति में कृषि मंत्री, और यदि वह भी अनुपस्थित हों तो उद्योग मंत्री द्वारा नामांकित उनका प्रतिनिधि बोर्ड की बैठक का प्रधान होगा।

(३) बोर्ड का कार्य-काल दो वर्ष होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार यदि उसे संतोष होगा कि ऐसा करना आवश्यक हो तो, बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही इसे तोड़ सकती है।

(४) बोर्ड को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(क) उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट सभी सदस्य आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा,

(ख) उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार बोर्ड को पुनः संगठित करेगी।

बोर्ड के कार्य।

४—बोर्ड राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में परामर्श देगा, अर्थात्:

(क) चीनी की फैक्टरियों के निमित्त गन्ने की खरीद तथा पूर्ति के विनियमन से सम्बद्ध विषय,

(ख) गन्ने के विभेद जो चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हों,

(ग) फैक्टरियों के अध्यासियों (Occupiers of Factories) अथवा प्रबंधकों, गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति, गन्ना विकास परिषद् तथा खरीदारी एजेंटों के बीच समुचित संबंध बनाये रखना;

(घ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

विकास परिषद्।

५—(१) फैक्टरी के सुरक्षित क्षेत्र के लिये एक गन्ना विकास परिषद् (जिसे यहां पर आगे चलकर परिषद कहा गया है) स्थापित की जायगी जो उस क्षेत्र के नाम से अथवा उस नाम से जो नियत किया जाय एक सतत अनुक्रम वाली (having perpetual succession) निगमित संस्था (body corporate) होगी और वह किसी ऐसे निरोध या विशेषता के अधीन (subject to such restrictions or qualifications) जो इस अधिनियम या किसी दूसरे विधायन के अधीन लगाई जाय, निगमित नाम से वाद प्रस्तुत करने या उस पर वाद प्रस्तुत किये जाने, चल तथा अचल सम्पत्ति उपार्जित करने, रखने, प्रशासित तथा हस्तांतरित करने तथा संविदा भी करने की क्षमता रखेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब गन्ना कमिश्नर आदेश दे तो फैक्ट्री के लिये सुरक्षित क्षेत्र से बड़े अथवा छोटे क्षेत्र के लिये भी परिषद की स्थापना की जा सकती है।

(२) वह क्षेत्र जिसके लिये विकास परिषद् की स्थापना की जाय, प्रभाग (Zone) कहलायेगा।

(३) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति,

(ख) ६ सदस्य जिनमें से:—

(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप से दो दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे,

(२) जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) जो पदेन सदस्य होंगे,

(३) एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें;

(ग) जिला गन्ना अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें, जो सदस्य तथा सचिव (सेक्रेटरी) होगा,

(४) परिषद् का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा और कार्यकाल समाप्त होने पर परिषद् उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार पुनः संगठित की जायगी,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गन्ना कमिश्नर को यदि यह संतोष हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही परिषद् को तोड़ सकते हैं अथवा उसके किसी सदस्य को, कारणों को अभिलिखित करके हटा सकते हैं।

(५) परिषद् को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(क) सभापति तथा सचिव (सेक्रेट्री) से भिन्न सभी सदस्य आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे, किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा,

(ख) गन्ना कमिश्नर उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को पुनः संगठित करेंगे, और

(ग) पुनः संगठित होने तक परिषद् के कर्त्तव्यों, अधिकारों तथा कार्यों का पालन, प्रयोग तथा सम्पादन उन प्रतिबन्धों के अधीन तथा उस अवधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, सभापति अथवा सचिव (सेक्रेटरी) जैसा कि गन्ना कमिश्नर आदेश दें, करेंगे ।

परिषद् के कार्य ।

[६] (६) (१)—परिषद् का कार्य निम्नलिखित होगा:—

(१) प्रभाग (Zone) के लिये विकास कार्यक्रम पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना,

(२) विकास योजना के सभी आवश्यक अंगों, जैसे गन्ने के विभेद, गन्ने के बीज, बुआई का कार्यक्रम, उर्वरक और खाद, के निष्पादन (execution) के उपाय और साधन का [पता लगाना], निकालना,

(३) प्रभाग (Zone) में सिंचाई तथा अन्य कृषि संबंधी सुविधाओं का विकास करना,

(४) बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये आवश्यक कार्यवाही करना एवं भूमि विस्तार कार्य (Soil extension work) के निमित्त सभी संभव सहायता देना,

(५) गन्ना कमिश्नर के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन विकास योजनाओं के निष्पादन के लिये अपने अधीनस्थ निधियों को लगाना, और

(६) प्रभाग (Zone) के सामान्य विकास से सम्बद्ध तथा उनके लिये लाभप्रद नियत कार्यों को करना।

६—(२) राज्य सरकार नियम द्वारा जिले में सभी विकास परिषदों की वार्षिक बैठक के लिये नियम द्वारा व्यवस्था कर सकती है, इस प्रकार की सभी बैठकों में कलेक्टर प्रधान होंगे।

७—परिषद् का कोई भी आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual Vacancy) जहां तक संभव हो धारा ५ की धारा उपधारा (३) में बताई गई रीति के अनुसार भरा जायेगा।

आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual Vacancies)

८—(१) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन तथा कार्यों के सम्पादन के संबंध में परिव्ययों के निमित्त परिषद् के पास एक निधि रहेगी।

परिषद् निधि ।

(२) परिषद् की निधि में निम्नलिखित होंगे :—

(क) इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ग) उन दरों के अनुसार जो नियत किये जायं, चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा दिया गया अंशदान, और

(घ) अन्य कोई धनराशि जो राज्य सरकार इसे दिलाये।

९—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार

चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर।

(क) चीनी कमिश्नर, तथा

(ख) गन्ना कमिश्नर

की नियुक्ति कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों का पालन तथा प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार को एक ही व्यक्ति को चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के पद पर नियुक्त करने से न रोकेगी।

१०—(१) राज्य सरकार ऐसे सरकारी अधिकारियों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे, अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर (Additional Cane Commissioner) नियुक्त या पदयुक्त (appoint or designate) कर सकती है,

अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर । (Additional Cane Commissioner)

(२) अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर, गन्ना कमिश्नर के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा जिसके लिये राज्य सरकार आदेश दे।

निरीक्षक।

११—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार किसी व्यक्ति को निरीक्षक के रूप में नियुक्त अथवा सरकार के ऐसे अधिकारियों को पदयुक्त, जैसा कि वह उचित समझे ऐसी स्थानिक सीमाओं के निमित्त जो उन्हें अभ्यर्पित (assigned) की जायं, कर सकते हैं।

(२) इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों तथा प्राप्त अधिकारों का निरीक्षक पालन अथवा प्रयोग करेगा

अध्याय ३

गन्ने की पूर्ति तथा खरीद

आवश्यकताओं का अनुमान।

१२—(१) गन्ना कमिश्नर, धारा १४ के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा फैक्ट्री के अध्यासी (occupier) को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट रीति में तथा दिनांक तक गन्ने के उस अनुमानित परिमाण को उसे बतलावे जो फैक्ट्री को पेराई के ऐसे मौसम के लिये अपेक्षित होगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय।

(२) गन्ना कमिश्नर उक्त अनुमानित परिमाण की परीक्षा करेंगे और ऐसे परिष्कार के साथ, जिसे वह करे, उन्हें प्रकाशित करेंगे।

(३) उपधारा (२) के अनुसार प्रकाशित अनुमानित परिमाण ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो नियत किया जाय, पुनरालोकित (revised) किया जा सकता है।

पैमाइश इत्यादि का अधिकार।

१३—(१) राज्य सरकार धारा १४ के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है—

(क) किसी फैक्ट्री के निमित्त गन्ने की पूर्ति के हेतु सुरक्षित किये जाने वाले अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले क्षेत्र की पैमाइश और ऐसी पैमाइश के व्यय की फैक्ट्री के अध्यासी से वसूली,

(ख) उक्त पैमाइश के प्रयोजनों के निमित्त किसी अधिकारी की नियुक्ति, उसके कर्त्तव्य तथा अधिकार,

(ग) प्रक्रिया जिसके अनुसार उक्त पैमाइश की जायगी, और

(घ) खंड (ख) के अनुसार नियुक्त अधिकारी को क्षेत्र में भूमि के स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा दी जाने वाली सहायता और सुविधायें,

(ङ) ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक विषय जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या बांछनीय हों।

(२) [उप] उपधारा (३) के खंड (१) के अनुसार फैक्ट्री के अध्यासी द्वारा देय धनराशि अध्यासी से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जायगी।

सुरक्षित क्षेत्रों तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों का प्रख्यापन।

१४—धारा १५ की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन दी हुई आज्ञा पर बिना विपरीत प्रभाव डाले किसी विशेष पेराई के मौसम के भीतर धारा १५ के उपबंधों के अनुसार

फैक्ट्री को गन्ने की पूर्ति के प्रयोजन से गन्ना कमिश्नर, उस रीति से जो नियत की जाय फैक्ट्री तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के परामर्श के बाद :

(क) किसी भी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चलकर सुरक्षित क्षेत्र कहा गया है) सुरक्षित कर सकता है, तथा

(ख) किसी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चलकर अभ्यर्पित क्षेत्र कहा गया है) अभ्यर्पित कर सकता है,

तथा किसी भी समय इसी प्रकार ऐसी आज्ञा को निरस्त कर सकता है अथवा इस प्रकार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र की चौहद्दी में परिवर्तन कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत गन्ना कमिश्नर द्वारा पारित आज्ञा की अपील राज्य सरकार के पास होगी।

सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों में गन्ने की पूर्ति तथा खरीद का विनियमन।

१५—(१) राज्य सरकार पूर्ति को बनाये रखने के लिये आज्ञा द्वारा :

(क) किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने के वितरण, बिक्री अथवा खरीद का, तथा

(ख) सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र के भिन्न अन्य किसी क्षेत्र में गन्ने की खरीद का,

विनियमन कर सकती है,

(२) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये ऐसी आज्ञा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) गन्ने का परिमाण जिसे प्रत्येक गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति ऐसे क्षेत्र में फैक्ट्री को देंगे जो उक्त फैक्ट्री के लिये सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो,

(ख) वह रीति जिसके अनुसार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ना उस फैक्ट्री द्वारा, जिसके लिये उक्त क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, खरीदा जायगा तथा वह परिस्थिति जिसमें गन्ना उत्पादकों को सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य के द्वारा गन्ना उत्पादक का गन्ना नहीं खरीदा जायगा,

(ग) उस फैक्ट्री के अध्यासी अथवा प्रबन्धक द्वारा जिसके निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत गन्ना खरीदने के वास्ते कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के आकार, नियम तथा शर्तें,

(घ) परिस्थितियां जिनमें निम्नलिखित के लिये अनुज्ञा दी जा सकती है :—

(१) खरीदारी एजेंट अथवा उस फैक्ट्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके निमित्त क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने की खरीद,

(२) उस फैक्ट्री से भिन्न जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, किसी अन्य व्यक्ति अथवा फैक्ट्री के हाथ किसी सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की बिक्री।

(ङ) ऐसे आनुषंगिक तथा परिणामिक मामले जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक तथा वांछनीय प्रतीत हों।

गन्ने के मूल्य की अदायगी।

१६—(१) फैक्ट्री का अध्यासी कलेक्टर के संतोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

(२) [अध्यासी] फैक्ट्री को दिये गये गन्ने के संबंध में गन्ना पाने पर अध्यासी तुरन्त सभी धनराशियों की अदायगी का उत्तरदायी होगा और यदि किसी खरीदारी एजेंट द्वारा गन्ना दिया गया हो, तो अध्यासी के अतिरिक्त खरीदारी एजेंट भी उसी प्रकार उत्तरदायी होगा।

(३) जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से १५ दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह [बाकी] रु० पाने के दिनांक से ७ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चत करे।

(४) गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि, ब्याज के सहित यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगी और ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानों कि यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

गन्ने की खरीद पर कमीशन।

१६(क) (१) फैक्ट्री द्वारा खरीद किये हुये गन्ने के प्रत्येक मन के लिये अध्यासी द्वारा कमीशन देय होगा।

(क) यदि गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति द्वारा खरीदारी की गयी हो तो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति और गन्ना विकास परिषद् को ऐसे अनुपात में कमीशन देय होगा जो राज्य सरकार प्रख्यापित करे किन्तु गन्ना विकास परिषद् को देय कमीशन का अंश पचास प्रतिशत से अधिक न होगा;

(ख) और यदि खरीदारी सीधी गन्ना उत्पादक से की गयी हो तो गन्ना विकास परिषद् को कमीशन देय होगा।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) और (ख) के अधीन कमीशन उन दरों से देय होगा जो नियत किया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ख) के अधीन निश्चित दर उस दर से अधिक नहीं होगी जिसके अनुसार खंड (क) के अधीन गन्ना विकास परिषद् को कमीशन देय हो।

(३) भुगतान (payment), ब्याज और वसूली जिसके अन्तर्गत मालगुजारी की बकाया की वसूली भी है, से सम्बद्ध उपबन्ध जो गन्ना के मूल्य को प्रवृत्त होते हैं, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उपधारा (३) के अधीन कमीशन के भुगतान और वसूली को भी प्रवृत्त होंगे।

१७—(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि : फैक्टरियों में प्रयोगार्थ गन्ने के विभेदों को अनुपयुक्त प्रख्यापित करने का अधिकार।

(क) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने का कोई विभेद उक्त क्षेत्र में स्थित किसी फैक्ट्री या सभी फैक्टरियों के लिये अनुपयुक्त है,

(ख) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी विभेद का पेड़ी वाला गन्ना (रैटून केन) उक्त क्षेत्र में स्थित सभी अथवा किसी फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त है, और

(ग) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये किसी विभेद के गन्ने का बीज अनुपयुक्त है,

(१-क) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति कलेन्डर वर्ष के ३१ दिसम्बर के बाद और पहली सितम्बर से पूर्व जारी की जायगी।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी विभेद के गन्ने का बीज जब उस क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया जाय फैक्टरी का अध्यासी, उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद अथवा ऐसे विभेदों के बीज को किसी भी व्यक्ति को, गन्ना उत्पादकों अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा किसी भी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिये, वितरित न करेगी।

(३) जब किसी भी विभेद का गन्ना अथवा पेड़ी का गन्ना फैक्टरी में प्रयोग के लिये उपधारा (१) के अधीन अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया गया हो तो ऐसे फैक्टरी का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद का गन्ना न तो बोयेगी और न ऐसे विभेद के गन्ने की पेड़ी रखेगी। गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां।

अध्याय ४

विविध

१८—[(१) राज्यपाल, विज्ञप्ति द्वारा गन्ने की बिक्री पर कर लगा सकते हैं जिसकी दर १२ पाई प्रतिमन से अधिक न होगी और विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाली बिक्री के किसी वर्ग अथवा वर्गों को, विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी क्षेत्र में ऐसे कर से मुक्त कर सकते हैं।] गन्ने की बिक्री पर कर।

(२) राज्यपाल, विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिये प्रवेश पाने वाले गन्ने पर अबवाब लगा सकते हैं, जो चार आने प्रतिमन से अधिक न होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अबवाब किसी भी क्षेत्र में ऐसे गन्ने के प्रवेश पर नहीं लगाया जायगा जिसकी विक्री के सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कर देय हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, किसी फैक्टरी में ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिये प्रयुक्त अथवा प्रयोग किये जाने वाले गन्ने के संबंध में पूर्णतः अथवा अंशतः अबवाब में छूट दे सकती है।

(३) राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें वह प्राधिकारी जिसे कर अथवा अबवाब निर्धारण करनेतथा वसूलकरने का अधिकार हो तथा वह व्यक्ति जिससे और वह रीति जिसमें कर अथवा अवबाव वसूल किये जायेंगे, निर्दिष्ट होंगे।

(४) यदि इस धारा के अधीन कर अथवा अबवाब लगाने से पहले ही गन्ने की बिक्री के सम्बन्ध में अनुबन्ध हो गया हो तो बेचने वाले को अधिकार होगा कि वह खरीदार से संविद मूल्य (Contracted price) के अतिरिक्त उसके अंश के रूप में ऐसे कर और अबवाब की धनराशि भी वसूल करे जिसके लिये बेचने वाला उत्तरदायी है।

(५) जब कोई व्यक्ति कर अथवा अबवाब को बाकी रखे तो कर अथवा अबवाब वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी आदेश दे सकता है कि बकाया धनराशि के अतिरिक्त ऐसी धनराशि जो उक्त बकाया के १० प्रतिशत से अधिक न हो, शास्ति (penalty) के रूप में उस व्यक्ति से वसूल की जाय जिसके द्वारा कर अथवा अबवाब देय हो।

(६) कर अथवा अबवाब वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र कलेक्टर के पास भेज सकता है जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति से बकाया के रूप में देय धनराशि निर्दिष्ट होगी और कलेक्टर उस व्यक्ति से प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो कि यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

(७) उपधारा (५) के अधीन शास्ति (penalty) के रूप में लगाई गई कोई भी धनराशि उस रीति से वसूल की जा सकेगी जिसमें उपधारा (६) में कर अथवा अबवाब की बकाया वसूल करने की व्यवस्था की गई है।

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अध्यासी का अवधारण।

१९—(१) जब किसी फैक्टरी का अध्यासी कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय (एसोसियेशन) हो तो उसके साझेदारों अथवा सदस्यों में से किसी [भी] एक या उससे अधिक व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन उन अपराधों में से किसी के लिये भी, जिसके लिये फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे दंड दिया जा सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फर्म अथवा समवाय (एसोसियेशन) कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी एक सदस्य को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये फैक्टरी का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा व्यक्ति तब तक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यासी समझा जायगा जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक फर्म अथवा समवाय में उसकी साझेदारी अथवा सदस्यता समाप्त न हो जाय।

(२) जब फैक्टरी का अध्यासी कोई कम्पनी हो तो उसके किसी एक या एक से अधिक संचालक (डायरेक्टर) पर, अथवा निजी कम्पनी हो तो उसके किसी हिस्सेदार पर किसी भी अपराध के लिए, जिसके लिए फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है और उसे दंड दिया जा सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनी कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी संचालक को अथवा निजी कम्पनी की दशा में किसी हिस्सेदार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यासी नामांकित

किया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यासी समझा जायगा जब तक उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक उसकी संचालकता अथवा हिस्सेदारी समाप्त न हो जाय।

शास्ति (penalty)

२०—(१) यदि [किसी फैक्ट्री का अध्यासी अथवा प्रबन्धक या खरीदार एजेंट] कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने या दिये गये नियम अथवा आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास का दंड जो ६ महीने तक हो सकता है अथवा अर्थदंड का, जो ५,००० रु० से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिए जब-जब उल्लंघन करे वह ऐसे अधिक अर्थ दंड का भागी होगा जो १,००० रुपये से अधिक न होगा।

[(२) यदि कोई भी अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनेया दिये गये नियम या आज्ञा के उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसे वह अर्थ-दंड दिया जायगा जो ५,००० रुपया से अधिक न होगा।]

(२) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत विशेष रूप से और इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की सुनवाई करने वाले प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये यह वैध होगा कि इस अधिनियम के अधीन अपराधी निर्णित किये गये किसी व्यक्ति पर ऐसा अर्थ दंड लगावें, जो पांच हजार रुपये से अधिक न होगा।

कार्यवाहियों का निवेशन (institution)।

२१—(१) इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद (complaint) किये बिना कोई अभियोग निवेशित (instituted) नहीं किया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर गन्ना कमिश्नर अथवा गन्ना कमिश्नर की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट ऐसा प्रशमन शुल्क (Composition fee) लेकर जो उस पर ऐसे अपराध के लिये लगाये जा सकने वाले अर्थ-दंड से अधिक न होगा, किसी भी स्तर पर उक्त अपराध का प्रशमन (Compound) कर सकता है।

(३) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न हो, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने या दिये गये किसी नियम अथवा आज्ञा के विरुद्ध किसी अपराध का विचार न कर सकेगा।

इस अधिनियम के अधीन किए गये कार्यों का संरक्षण

२२—(१) कोई भी वाद, अभियोग अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (Suit, prosecution or other legal proceeding) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा अथवा बनाए गए किसी नियम के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किए जाने वाले किसी कार्य के लिए न लाई जा सकेगी।

(२) ऐसे कार्य के कारण, जो इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा या बनाये गये नियम के अनुसार सद्भावना से किया गया हो या जिसका करने का विचार हो, हुई क्षति या होने वाली क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लाई जा सकेगी।

निवर्तन तथा अपवाद।

२३—दि यू० पी० शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ जिसे यहां पर आगे चल कर इस धारा में तथा धारा २६ में "उक्त ऐक्ट" के नाम से अभिदिष्ट किया गया है, एतद्द्वारा निर्वर्तित (repeal) किया जाता है।

किन्तु प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ ई० की धारा ६ तथा २४ की सामान्य प्रयुक्ति (general application) को बिना बाधित किये, निर्वर्तित विधायनों तथा पुनर्विहित विधायनों (enactments, repealed and re-enacted) के अधीन नियुक्तियों, विज्ञप्तियों, आज्ञाओं इत्यादि (appointments, notifications, orders etc) के निवर्तन और जारी रखने के संबंध में यह निवर्तन निम्नलिखित पर विपरीत प्रभाव न डालेगा और न अन्य प्रकार से उन्हें प्रभावित करेगा :—

(क) उक्त ऐक्ट द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी तामील की गई नोटिस, दी गई आज्ञा, अथवा दिये गये परमिट (अनुज्ञापत्र), लाइसेंस अथवा सेंक्शन (स्वीकृति) के व्यापार (operation);

(ख) उक्त ऐक्ट के अधीन उसके निवर्तन के पूर्व निर्धारित या लगाये गये किसी अबवाब, कर या अन्य शास्ति (penalty) की, अथवा उसके निवर्तन से पूर्व की अवधि के संबंध में किसी अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति को निर्धारित या लगाने के अधिकार की, या उसके अधीन की गई किसी बात या किसी ऐसी बात की जिसके करने की अनुज्ञा हो, अविकल वैधता (Continued validity) और उक्त अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति निर्धारित या लगायी जा सकती है और उक्त कोई बात की जा सकती है मानो कि उक्त ऐक्ट निर्वर्तित नहीं किया गया है;

(ग) उक्त ऐक्ट के अधीन संगठित बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल को जारी रखना और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुसार इस प्रकार का बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल (गन्ना विकास परिषद्) संगठित न हो जाय उक्त बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल इस अधिनियम के अधीन उक्त बोर्ड या परिषद् द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकार, पालन किये जाने वाले कर्तव्य और किये जाने वाले कार्यों का पालन, प्रयोग तथा संपादन करेंगे; और

(घ) उक्त ऐक्ट के अधीन अथवा द्वारा प्राप्त किसी अधिरक्षा (immunity), मुक्ति (exemption) अथवा रक्षा (protection) का जारी रहना।

द्वितीयतः प्रतिबन्ध यह है कि उक्त ऐक्ट के अधीन सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित रूप से प्रख्यापित कोई क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन जब तक कोई विपरीत आदेश न दिया जाय अथवा कोई ऐसी बात न की जाय या ऐसा कार्य न किया जाय जिससे वह अधिक्रांत (superseded) हो जाय, उसी प्रकार जारी रहेगा मानो इस अधिनियम के अधीन प्रख्यापित किया गया हो।

संक्रमण सम्बन्धी उपबन्ध (transitinal provision)।

२४—उक्त ऐक्ट से इस अधिनियम में संक्रमण संबंधी उपबन्धों के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित कर के,

(क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि के भीतर जो कि आज्ञा में निर्विष्ट की जाय, उन अनुकूलनों के अधीन प्रभावशाली होगा जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा परित्याग (modifications, addition or ommissions) के रूप में आवश्यक अथवा उपयुक्त समझे जायं, तथा

(ख) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्य ऐसी अस्थायी व्यवस्था कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ के बारह मास के बाद कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी।

नियम बनाने का अधिकार।

२५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) बोर्ड तथा परिषद् की संस्थापना तथा संगठन;

(ख) बोर्ड तथा परिषदों का विघटन तथा पुनः संगठन तथा अन्य आनुषंगिक विषय;

(खख) विकास परिषद् के सदस्यों को हटाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) बोर्ड तथा परिषद् द्वारा कार्य के परिचालन की व्यवस्था

(गग) धारा ६ के अधीन विकास परिषद् की वार्षिक बैठक बुलाने की रीति, उस बैठक में किया जाने वाला कार्य और उसके करने की रीति;

(घ) रीति तथा रूप जिस प्रकार धारा ८ के अधीन परिषद् के अधीनस्थ निधि रखी जायगी तथा ऐसी निधि का प्रयोग तथा उससे अदायगी ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड तथा परिषदों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेश;

(च) चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के कर्तव्य, अधिकार तथा कार्य; नियुक्ति और उनकी सेवाओं की अन्य शर्तों से

(छ) धारा ११ के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की सम्बद्ध विषयतथा उनके कर्तव्य, अधिकार और कार्य;

(ज) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में प्रार्थना-पत्र तथा अपील प्रस्तुत की जायं, जिनके विषय में यहां पर विशिष्टि व्यवस्था नहीं की गयी हो;

(झ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अपीलों के संबंध में दिया जाने वाला शुल्क;

(ञ) खरीदारी तथा उनके द्वारा अथवा चीनी की फ़ैक्टरियों द्वारा गन्ने की खरीदारी के लिये नौकर रखे जाने वाले दूसरे व्यक्तियों

की नियुक्ति तथा उनको लाइसेंस देना तथा उनके कार्य और कर्त्तव्य और उनके द्वारा जमा की जाने वाली जमानतें तथा वे दशायें जिनमें ऐसी जमानतें जब्त की जा सकें;

(ट) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उनके अधीन किये जाने वाले अनुबंध का आकार-पत्र तथा अनुबन्ध की शर्तें तोड़ने पर शास्ति (penalty);

(ठ) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां, गन्ना विकास परिषदों तथा यू० पी० केन यूनियन फ़ेडरेशन के संगठन, संचालन प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा (आडिट), तथा ऐसी संस्थायें तथा उनके संघों की इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता की शर्तें, नियम, तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था (finances) का नियंत्रण;

(ड) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा गन्ना दिये जाने पर वह दर और रीति जिसपर और जिसके अनुसार उक्त समिति को कमीशन दिया जायगा;

(ढ) गन्ने की ठीक तौलाई तथा तौलाई के लिए सुविधाओं तथा तौलाई की जांच और तौलाई के समय के संबंध मे व्यवस्था;

(ण) फैक्टरियों को आने वाले मार्गों तथा गन्ना लाने वाली गाड़ियों के रुकने के स्थान के लिए तथा गाड़ीवानों और बैलों के लिए छाया, स्थान तथा बैलों के लिए नांदों और संबद्ध विषयों की व्यवस्था;

(त) उन झगड़ों के संबंध में :

(क) जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के बर्ताव के विषय में, सदस्यों, अथवा सदस्य और समिति, अथवा दो निबन्धित (रजिस्टर्ड) संस्थाओं अथवा संस्था और फ़ैक्टरी अथवा गन्ना उत्पादकों और फैक्टरी के बीच में हों,

(ख) जो संस्था या फैक्टरी द्वारा परिषद् के प्रति अंशदान की अदायगी के संबंध में गन्ना विकास परिषद् और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों अथवा परिषद् और फैक्टरी अथवा परिषद् तथा गन्ना उत्पादकों के बीच हों,

तथा अन्य किसी झगड़े के विषय में जो परिषद् के कार्य से संबद्ध हों, गन्ना कमिश्नर के निर्णय के लिए या यदि वह आदेश दे तो मध्यस्थ निर्णय (आर्बिट्रेशन) के लिये गन्ना कमिश्नर को भेजा गया अभिदेश, मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रकार, गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ के यहां अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया एवं गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ या मध्यस्थों के न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करना;

(थ) विवरणों, नकशों और रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों का आकार-प्रकार जिनका इस अधिनियम द्वारा

अथवा इसके अधीन रखना अपेक्षित हो तथा ऐसे नकशों, विवरणों और आकार-पत्रों की खानापुरी करना;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार तथा रीति जिसके अनुसार वे दिये जायेंगे,

(ध) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया;

(न) विषय जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जायं।

उद्देश्य और कारण

८ मई, १९५२ स, इन्डस्ट्रीज (डवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] के प्रचारित होने से, चीनी उद्योग विनियमन एक मात्र केन्द्रीय विषय हो गया है। राज्य सरकार का कार्य अब केवल यह रह गया है कि चीनी की फैक्टरियों को गन्ने की पूर्ति (supply) का प्रबन्ध करें।

फैक्टरियों में गन्ने के समुचित वितरण, व्यवस्थित वैज्ञानिक रीति से गन्ने का विकास, उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से तथा इस नये अधिनियम को स्थायी रूप देने के विचार से, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

हुकुम सिंह,
उद्योग मंत्री।

पी० एम० यू० पी० ए० पी० ५६ एल० ए०—१९५३—८५०